Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 155-2026/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, OCTOBER 8, 2026 (ASVINA 16, 1948 SAKA)

हरियाणा सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 अक्तूबर, 2026

संख्या एल.एम.–2026/प्रवर्तन/19662.— नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 53 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के बाद, बनाने का प्रस्ताव करते हैं तथा धारा 53 की उपधारा (4) द्वारा यथा अपेक्षित, इसके द्वारा, ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इनसे प्रभावित होने की सम्भावना है;

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह की अवधि की समाप्ति पर या के बाद सरकार नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों, यदि कोई हों, के साथ जो आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

1. (1) ये नियम हरियाणा विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2026 कहे जा सकते है। संक्षिप्त नाम, तथा प्रारम्भ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं ।

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 1);

(ख) "प्रशासकीय सचिव" से अभिप्राय है, प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग;

(ग) "अपील प्राधिकारी" से अभिप्राय है,–

(i) नियंत्रक– यदि संबंधित विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील की जाती है;

(ii) प्रशासकीय सचिव– यदि नियंत्रक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील की गई है;

(घ) "व्यासमापन" से अभिप्राय है, सभी प्रक्रिया, जो किसी बाट या माप की त्रुटियों के मान का निर्धारण करने और यदि आवश्यक हो, तो ऐसे बाट या माप के अन्य माप–वैज्ञानिकगुणों का निर्धारण करने के लिए आवश्यक हों और इसमें किसी बाट या माप के गेज–चिह्नों अथवा माप–चिह्नों की वास्तविक स्थिति अथवा कुछ मामलो में मापी जाने वाली मात्रा के संगत मान के सम्बन्ध में केवल कुछ प्रमुख चिह्नों का निर्धारण करना भी शामिल है;

(ङ) "निर्देश मानक प्रयोगशाला" से अभिप्राय है, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित प्रयोगशाला, जहां निर्देश मानक, द्वितीयक मानक और कार्यकारी मानक अनुरक्षित किए जाते हैं;

(च) "पंजीकृत व्यक्ति" से अभिप्राय है, इन नियमों के नियम 5 के अधीन पंजीकृत विनिर्माता, मरम्मतकर्ता अथवा व्यवहारी;

(छ) "पंजीकरण प्राधिकारी" से अभिप्राय है, नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, हरियाणा अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी, जो उप नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान की पदवी से नीचे का न हो;

(ज) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(झ) "बाट या माप का स्व–सत्यापन" से अभिप्राय है, ऐसे विनिर्माता, जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र के रूप में अनुमोदित हैं, द्वारा निर्मित ऐसे बाट या माप के सम्बन्ध में इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा विहित रीति में बाट या माप का सत्यापन;

(ञ) "कुशल कर्मकार" से अभिप्राय है, ऐसा व्यक्ति, जिसको नियंत्रक द्वारा बाट या माप की मरम्मत हेतु कौशल प्रमाणपत्र जारी किया गया हो;

(ट) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(ठ) "परीक्षण बाट या माप" से अभिप्राय है, ऐसे बाट या माप, जो केवल शुद्धता की दृष्टि से कार्यकारी मानक बाट या माप की प्रतिकृति हो;

(ड) "सत्यापन प्राधिकारी" से अभिप्राय है, नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान हरियाणा, विधिक माप विज्ञान अधिकारी अथवा इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सरकारी अनुमोदित परीक्षण केन्द्र।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त तथा अपरिभाषित किन्तु उक्त अधिनियम अथवा इसके अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः उक्त अधिनियम अथवा उसके अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में उन्हें दिए गए हैं।

कतिपय मामलों में बाट, माप या संख्या का उपयोग।

(धारा 10)

3. पैकेट में रखी वस्तुओं से भिन्न किसी माल, माल के वर्ग अथवा वचनबद्धता के सम्बन्ध में कोई संव्यवहार, व्यवहार या संविदा, अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट वजन, माप या संख्या के अनुसार की जाएगी।

जब्त किए गए बाट या माप आदि का निपटान करना।

[धारा 16(1)]

4. (1) किसी भी असत्यापित और/या अस्टाम्पित बाट या माप को उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा, जिससे ऐसा बाट या माप जब्त किया गया था, यदि विधिक माप विज्ञान अधिकारी उस व्यक्ति के अपराध का प्रशमन कर देता है और ऐसा सत्यापन और/या स्टाम्पन करवाने के लिए अनुसूची–IV में विनिर्दिष्ट सत्यापन और/या स्टाम्पन फीस सहित नियम 14 के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त फीस के भुगतान पर ऐसे बाट और माप की वापसी के पन्द्रह दिन के भीतर उनका सत्यापन और स्टाम्पन करवाया जाता है।

(2) अधिनियम की धारा 15 के अधीन जब्त और निरूद्ध किए गए किसी भी बाट या माप या वस्तु या माल (खराब होने वाले/शीघ्र प्राकृतिक क्षय या अन्यथा) या सम्बन्धित दस्तावेज, जो किसी न्यायालय में कार्यवाही अथवा सम्भाव्य कार्यवाही के अध्यधीन हैं, और न्यायालय के समक्ष विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने हैं, को न्यायालय में कार्यवाहियों के निष्कर्ष के बाद विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा अपने कब्जे में लिया जाएगा और न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगीः

परन्तु न्यायालय के आदेशों के अभाव में, बाट या माप या वस्तु या माल (खराब होने वाले/शीघ्र प्राकृतिक क्षय या अन्यथा) या सम्बन्धित दस्तावेजों के सम्बंध में नियंत्रक द्वारा किए गए विशेष आदेश में निर्दिष्ट निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जाएगी और उसकी सामग्री बेची जाएगी और आगमों को राज्य सरकार के पास जमा करवाया जाएगाः

परन्तु यह और कि यदि वह व्यक्ति, जिसने अपराध किया है, जब्त/निरूद्ध विवरणी पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तो विधिक माप विज्ञान अधिकारी को अपचारी व्यक्ति द्वारा ऐसी इनकारी के समय पर उपस्थित कम से कम दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने चाहिए। अपचारी व्यक्ति को लौटाए गए माल के मामले में, वह वचन देगा कि वह दोषपूर्ण माल को उसके दोषों को सुधारे बिना नहीं बेचेगाः

परन्तु यह और कि नियंत्रक या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी होगा कि जब्त और निरूद्व किया गया माल त्वरित या प्राकृतिक क्षय के अध्यधीन है।

(3) जहां अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन जब्त किए गए माल, त्वरित या प्राकृतिक क्षय के अध्यधीन नहीं हैं, तो विधिक माप विज्ञान अधिकारी, अपराची व्यक्ति और उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जिसने अपराध किया है, को नियन्त्रक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी जब्ती का नोटिस देने के बाद, अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजन के लिए माल को रख सकता है।

(4) उप–नियम (2) और (3) में निर्दिष्ट मालों, जो किसी न्यायालय में कार्यवाही अथवा सम्भाव्य कार्यवाही के अध्यधीन नहीं हैं, का निपटान, उपरोक्त मालों की जब्ती के दिन से नब्बे दिन की समाप्ति के बाद, नियंत्रक द्वारा किए गए सामान्य या विशेष आदेश में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

विनिर्माताओं, मरम्मतकर्ताओं और व्यवहारियों का पंजीकरण।
[धारा 23 (2)]

5. (1) प्रत्येक विनिर्माता, मरम्मतकर्ता या व्यवहारी पंजीकरण प्राधिकारी को पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुमोदन के लिए अनुसूची-V में यथा विनिर्दिष्ट पंजीकरण फीस के साथ अनुसूची–II, III या IV, जैसी भी स्थिति हो, में आवेदन प्रस्तुत करेगाः

परन्तु यदि मरम्मतकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदक वैयक्तिक से भिन्न है, तो आवेदक द्वारा स्वामी/भागीदार/ निदेशक/सदस्य/ कर्मचारी, जैसी भी स्थिति हो, के संबंध में नियंत्रक द्वारा अनुसूची–III के अनुसार जारी कौशल प्रमाणपत्र की प्रति पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय दिया जाएगाः

परन्तु यह और कि आवेदक के पंजीकरण के समय पर इस प्रकार उल्लिखित कौशल प्रमाणपत्र के विवरण में परिवर्तन, यदि कोई हो, के मामले में उसे पंजीकरण प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर पंजीकरण रद्द किया गया समझा जाएगाः

परन्तु यह और कि किसी विनिर्माता द्वारा निर्मित किसी बाट या माप, जिसका निर्माण हरियाणा राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य में किया जाता है और उसका उपयोग हरियाणा राज्य में भी किया जाता है, की मरम्मत करने के लिए विनिर्माता द्वारा उसका पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु विनिर्माता को मरम्मत करने के बारे में सम्बन्धित विधिक माप विज्ञान अधिकारी को अग्रिम में सूचित करना होगाः

परन्तु यह और कि ऐसे विनिर्माता, मरम्मतकर्ता या व्यवहारी, जो हरियाणा विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन), नियम 2011 के अधीन अनुज्ञप्तिधारक हैं, को इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छह मास के भीतर पंजीकरण प्राधिकारी को पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुमोदन के लिए अनुसूची-V के अनुसार पंजीकरण फीस के साथ अनुसूची–II, III या IV जैसी भी स्थिति हो, में आवेदन प्रस्तुत करना होगाः

परन्तु यह और कि पूर्व में प्राप्त की गई अनुज्ञप्ति के संबंध में भुगतान की गई राशि का समायोजन अनुज्ञप्ति की शेष अवधि की सीमा तक किया जाएगा।

(2) पंजीकरण प्राधिकारी, उप–नियम (1) में आवेदन प्राप्त होने पर, विनिर्माता, मरम्मतकर्ता या व्यवहारी, जैसी भी स्थिति हो, को अनुसूची–VI, VII या VIII जैसी भी स्थिति हो, में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) पंजीकरण प्रमाणपत्र में परिवर्तन या प्रतिलिपि पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए फीस, अनुसूची-V के अनुसार पंजीकरण फीस का आधा होगी।

(4) इन नियमों के अधीन पंजीकृत प्रत्येक मरम्मतकर्ता द्वारा अनुसूची-IX के अनुसार धनराशि, प्रत्येक पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए राज्य सरकार के पास प्रतिभूति के रूप में जमा करवाई जाएगी।

(5) पंजीकरण प्राधिकारी, इन नियमों के अधीन पंजीकृत विनिर्माताओं, मरम्मतकर्ताओं और व्यवहारियों का अनुसूची-X के अनुसार एक रजिस्टर बनाए रखेगा।

(6) इन नियमों के अधीन पंजीकृत प्रत्येक विनिर्माता, मरम्मतकर्ता या व्यवहारी, पंजीकरण प्रमाणपत्र के निबन्धनों और शर्तों अथवा नियंत्रक द्वारा जारी किए गए किन्हीं सामान्य या विशेष निर्देशों और शर्तों के अनुसार ऐसी कार्यशाला/उपकरण/औजार/ रजिस्टर इत्यादि बनाए रखेगा।

(7) इन नियमों के अधीन जारी किए गए प्रत्येक पंजीकरण प्रमाणपत्र को पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उस परिसर, जहां पंजीकृत व्यक्ति व्यवसाय करता है, में किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(8) इन नियमों के अधीन जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र न तो बिक्री योग्य होगा और न ही हस्तान्तरण योग्य होगा।

(9) जहां इन नियमों के अधीन किसी भी पंजीकृत व्यक्ति के व्यवसाय को उत्तराधिकार, निर्वसीयत या वसीयती, वारिस या वसीयतदार, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा हस्तान्तरित किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का उत्तराधिकारी या विधिक वारिस, जैसी भी स्थिति हो, ऐसा व्यक्ति या तो उसके अपने नाम से या किसी अन्य के नाम से तब तक व्यवसाय नहीं करेगा जब तक ऐसे हस्तान्तरण की तिथि के बाद साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व उत्तराधिकारी या विधिक वारिस, नियंत्रक को इन नियमों के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन नहीं करता है:

परन्तु इस नियम की कोई भी बात, उपरोक्त साठ दिन की अवधि के लिए पंजीकृत व्यक्ति के रूप में व्यवसाय करने के लिए उत्तराधिकारी या विधिक वारिस को प्रतिषिद्ध करने वाली नहीं समझी जाएगी और यदि वह ऐसे पंजीकरण के लिए आवेदन करता है, तो जब तक नियंत्रक द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाता है या अनुसूची-XI में निर्दिष्ट प्ररूप में लिखित रूप में नोटिस द्वारा सूचित नहीं किया जाता है, कि ऐसा पंजीकरण उसको प्रदान नहीं किया जा सकताः

परन्तु यह और कि जहां इन नियमों के अधीन किसी भी पंजीकृत व्यक्ति का व्यवसाय बिक्री, उपहार, पट्टे या अन्यथा द्वारा हस्तान्तरित किया जाता है, वहां अन्तरिती या पट्टेदार, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे व्यवसाय को या तो उसके अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से तब तक नहीं करेगा जब तक उसने ऐसे व्यवसाय को करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया हो।

कौशल प्रमाण पत्र।
[धारा 23 (2)]

6. (1) विनिर्माता, जो केवल उसके द्वारा निर्मित बाट या माप की मरम्मत करता है, से भिन्न ऐसा व्यक्ति, नियंत्रक को अनुसूची–XII के अनुसार फीस के साथ अनुसूची–XIII में कौशल प्रमाणपत्र जारी करवाने के लिए आवेदन करेगाः

परन्तु कोई भी व्यक्ति बाट या माप की मरम्मत करने के लिए कौशल प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह नियंत्रक द्वारा समय–समय पर जारी किए गए सामान्य या विशेष आदेशों में विनिर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यताएं, तकनीकी सक्षमता नहीं रखता हो और ऐसे निबन्धन और शर्तों को पूरा नहीं करता हो।

(2) नियंत्रक, उप–नियम (1) में आवेदन प्राप्त होने के बाद, मरम्मतकर्ता को अनुसूची–XIV में कौशल प्रमाणपत्र जारी करेगा।

अभिलेखों और रजिस्टरों को बनाए रखना।
(धारा 17)

7. इन नियमों के अधीन पंजीकृत प्रत्येक विनिर्माता, मरम्मतकर्ता या व्यवहारी अनुसूची-XV, XVI या XVII जैसी भी स्थिति हो, में अभिलेखों और रजिस्टर बनाए रखेगा और नियन्त्रक को अनुसूची-XVIII, XIX या XX जैसी भी स्थिति हो, में प्रत्येक तिमाही के अनुवर्ती मास के दसवें दिन तक त्रैमासिक, नियतकालिक रिर्पोर्ट/विवरणी प्रस्तुत करेगा।

पंजीकरण का निलंबन और प्रतिसंहरण।
धारा 23 (2)

8. (1) नियंत्रक या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी, यदि विश्वास का ऐसा कारण रखता है कि इन नियमों के अधीन जारी किए गए किसी पंजीकरण प्रमाणपत्र के धारक ने ऐसा पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए किसी भी आवेदन में या उसके संबंध में कोई कथन किया है, जो किसी तात्विक विशिष्टियों में गलत या असत्य है या किसी विधि या अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या किए गए आदेश के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, तो ऐसे पंजीकरण प्रमाणपत्र के धारक के विरूद्ध जांच के पूरा होने तक ऐसे पंजीकरण को निंलबित कर सकता हैः

परन्तु ऐसा पंजीकरण प्रमाणपत्र तब तक निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक उसके धारक को अनुसूची- XXI के अनुसार प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया होः

परन्तु यह और कि जहां इस उप–नियम में निर्दिष्ट जांच, पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो ऐसा निलम्बन पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति पर रद्द हो जाएगा।

(2) नियंत्रक या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी, यदि ऐसी जांच, जो वह उचित समझे, करने के बाद संतुष्ट हो जाता है कि पंजीकरण प्रमाणपत्र के धारक ने उप–नियम (1) में निर्दिष्ट स्वरूप का मिथ्या या गलत बयान दिया है, या उक्त उप–नियम में यथा निर्दिष्ट विधि के उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो वह ऐसे पंजीकरण का प्रतिसंहरण करेगाः

परन्तु ऐसा कोई पंजीकरण तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके धारक को अनुसूची-XXI के अनुसार प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जिसका पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है, ऐसे निलंबन के तुरन्त बाद, पंजीकृत व्यक्ति के रूप में कार्य करना बंद कर देगा और तब तक व्यवसाय दोबारा शुरू नहीं करेगा जब तक कि ऐसे निंलबन के आदेश को रद्द अथवा अभिशून्य, जैसी भी स्थिति हो, नहीं कर दिया जाता है।

(4) प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, जिसका पंजीकरण प्रतिसंहरित कर दिया गया है, ऐसे प्रतिसंहरण की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर या नियंत्रक या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर, ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो तीन मास से अधिक न हो, बाट या माप, जो ऐसे प्रतिसहंरण की तिथि को उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियन्त्रण में था, को अनुमत करेगा अथवा का निपटान करेगा और ऐसा करने में असफल रहने पर, नियंत्रक या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, लिखित में बाट या माप को जब्त कर सकेगा और उसका निपटान कर सकेगा और उसकी आगमों को नियंत्रक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अनुसार वितरित कर सकेगाः

परन्तु पंजीकृत व्यक्ति द्वारा नियंत्रक या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, को ऐसे प्रतिसंहरण की तिथि से साठ दिन के भीतर अपील की गई हो और यदि इस प्रकार की गई अपील में राहत दी गई है, तो उपनियम (4) के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

निर्देश, द्वितीयक तथा कार्यकारी मानकों/मानक तुलाओं का अनुरक्षण । धारा 24(1)

9. (1) निर्देश मानक– निर्देश मानकों को विधिक माप विज्ञान (राष्ट्रीय मानक) नियम, 2011 के अधीन यथा विहित ऐसे स्थान पर, ऐसी रीति में और ऐसी अभिरक्षा में रखा जाएगा।

(2) द्वितीयक मानक,–

(क) द्वितीयक मानकों को ऐसे स्थान पर, ऐसी रीति में तथा ऐसी अभिरक्षा में रखा जाएगा, जो नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(ख) द्वितीयक मानकों की संख्या, किस्म एवं विनिर्देश ऐसे होंगे, जो विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में यथा विहित हैं;

(ग) प्रत्येक द्वितीयक मानक का सत्यापन, विधिक माप विज्ञान (राष्ट्रीय मानक) नियम, 2011 के अधीन यथा विहित रीति में और ऐसे नियतकालिक अंतरालों पर किसी निर्देश मानक प्रयोगशाला में कराया जाएगा और यदि ऐसे सत्यापन पर वे अधिनियम द्वारा अथवा के अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप पाए जाते है, तो, यथास्थिति, उन्हें स्टाम्पित किया जा सकेगा अथवा सत्यापन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(3) कार्यकारी मानक,–

(क) कार्यकारी मानकों को विधिक माप विज्ञान अधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाएगा;

(ख) कार्यकारी मानकों की संख्या, किस्म एवं विनिर्देश ऐसे होंगे, जो विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में यथा विहित हैं;

(ग) प्रत्येक कार्यकारी मानक का सत्यापन, विधिक माप विज्ञान (राष्ट्रीय मानक) नियम, 2011 के अधीन यथा विहित रीति में और ऐसे नियतकालिक अंतरालों पर किसी निर्देश मानक प्रयोगशाला या द्वितीयक मानक प्रयोगशाला में कराया जाएगा और यदि ऐसे सत्यापन पर वे अधिनियम द्वारा अथवा के अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप पाए जाते है, तो, यथास्थिति, उन्हें स्टाम्पित किया जा सकेगा अथवा सत्यापन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(4) द्वितीयक मानक तुला,–

(क) प्रत्येक ऐसे स्थान पर, जहाँ द्वितीयक मानक बाट रखे जाते हैं, द्वितीयक मानक तुलाओं का एक सेट अनुरक्षित किया जाएगा;

(ख) द्वितीयक मानक तुलाओं की संख्या, किस्म एवं विनिर्देश ऐसे होंगे, जो विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में यथा विहित है;

(ग) प्रत्येक द्वितीयक मानक तुला का सत्यापन बारह मास की अवधि में कम–से–कम एक बार किया जाएगा तथा यदि आवश्यक हो, तो उसे अधिनियम में विहित सुग्राहिता तथा अन्य माप वैज्ञानिक गुणों की सीमाओं के भीतर उसे सही करने हेतु निर्देश मानक प्रयोगशाला द्वारा अथवा नियंत्रक या इस निमित उस द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा व्यवस्थित की जाएगी।

(5) कार्यकारी मानक तुला,–

(क) प्रत्येक ऐसे स्थान पर, जहाँ कार्यकारी मानक बाट रखे जाते हैं, कार्यकारी मानक तुलाओं का एक सेट अनुरक्षित किया जाएगा;

(ख) कार्यकारी मानक तुलाओं की संख्या, किस्म एवं एवं विनिर्देश ऐसे होंगे, जो विधिक माप विज्ञान(सामान्य) नियम, 2011 में यथा विहित हैं;

(ग) प्रत्येक कार्यकारी मानक तुला का सत्यापन बारह मास की अवधि में कम–से–कम एक बार किया जाएगा तथा यदि आवश्यक हो, तो उसे विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में विहित सुग्राहिता तथा अन्य माप वैज्ञानिक गुणों की सीमाओं के भीतर सही करने हेतु निर्देश मानक प्रयोगशाला द्वारा अथवा किसी ऐसे स्थान पर, जहाँ द्वितीयक मानक अनुरक्षित किए जाते हैं, व्यवस्थित की जाएगी।

बाट या माप की भौतिक विशेषताएँ, आकृति तथा संरचनात्मक विवरण।

धारा 24(1)

10. ऐसा प्रत्येक बाट या माप, जो किसी संव्यवहार में अथवा संरक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है अथवा उपयोग में लाया जाना आशयित है, उसकी भौतिक विशेषताएँ, आकृति, संरचनात्मक विवरण, सामग्री, कार्यशीलता, सहनसीमा और ऐसे अन्य विवरण, अधिनियम अथवा विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अधीन विहित विनिर्देशों के अनुरूप होंगे।

बुलियन बाट, कैरट बाट आदि का उपयोग।

धारा 24(1)

11. (1) विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में यथा विनिर्दिष्ट बुलियन बाटों से भिन्न किसी अन्य बाट का उपयोग, सोने, चांदी, प्लेटिनम और पैलेडियम इत्यादि से बने आभूषणों या अन्य बहुमुल्य वस्तुओं सहित बुलियन में किसी संव्यवहार में नहीं किया जाएगा।

(2) विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में यथा विनिर्दिष्ट कैरेट बाट से भिन्न किसी अन्य बाट का उपयोग, बहुमूल्य रत्नों के किसी भी संव्यवहार में नहीं किया जाएगा।

(3) प्रत्येक नकद रसीद, बीजक, बिल या अनुमान पर्ची में, बहुमूल्य रत्नों के किसी भी संव्यवहार के सम्बन्ध में कैरेट वजन की इकाइयों और इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली द्वारा विनिर्दिष्ट इकाइयों, अर्थात किलोग्राम, ग्राम या मिलीग्राम, जैसी भी स्थिति हो, दोनों का मात्रा के लिए उल्लेख किया जाएगा।

(4) नकद रसीद, बीजक, बिल या अनुमान पर्ची में, बुलियन में प्रत्येक संव्यवहार के सम्बन्ध में, तौल उपकरणों के उपयोगकर्ता को शुद्व बुलियन वजन और बहुमूल्य धातु एवं बहुमूल्य रत्नों के लिए अलग–अलग राशि सहित बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम आदि की शुद्वता का उल्लेख 'कैरेट' या 'पार्ट्स प्रति हजार', जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार होगाः

परन्तु उपभोक्ताओं से तौल उपकरणों के उपयोगकर्ता द्वारा पुरानी बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम इत्यादि या ऐसी पुरानी बहुमूल्य धातुओं के आभूषणों की खरीद से सम्बन्धित प्रत्येक संव्यवहार में, ऐसा उपयोगकर्ता संव्यवहार के पूरा होने से पूर्व और इसके बाद बहुमूल्य धातु और बहुमूल्य रत्नों के लिए पृथक रूप से शुद्व बुलियन वजन और राशि सहित ऐसी पुरानी बहुमूल्य धातुओं या ऐसी पुरानी बहुमूल्य धातुओं के आभूषणों, जैसी भी स्थिति हो, की शुद्वता का 'कैरेट' या 'पार्ट्स' 'प्रति हजार', जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार नकद रसीद, बिजक, बिल या अनुमान पर्ची में उल्लेख करेगा।

(5) विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में यथा विनिर्दिष्ट केवल वर्ग क या वर्ग ख के तुलादंड या उच्च यथार्थता वर्ग (वर्ग–।।) या विशेष यथार्थता वर्ग (वर्ग–।) का गैर–स्वचालित तौल उपकरण, जो एक मिलीग्राम या उससे कम सत्यापन स्केल अंतराल वाले हैं, उप–नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट संव्यवहार में उपयोग किए जाएंगे।

(6) विधिक माप विज्ञान अधिकारी, नियन्त्रक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे ढंग का उपयोग करते हुए किसी भी बहुमूल्य धातु, जो बुलियन में किसी भी संव्यवहार में बेची जाती है, शुद्वता का निरीक्षण और परीक्षण 'कैरेट' या 'पार्ट्स प्रति हजार', जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार कर सकता है। निरीक्षण और परीक्षण के प्रयोजन हेतु, विधिक माप विज्ञान अधिकारी को नियंत्रक द्वारा ऐसे उपकरण, जो आवश्यक हो, की आपूर्ति की जा सकती है।

बाट या माप का सत्यापन और निरीक्षण।

धारा 24(1)

12. (1) किसी भी संव्यहार या संरक्षण के लिए किसी भी बाट या माप का उपयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, सत्यापन के लिए ऐसे बाट या माप को उस तिथि को या उससे पहले, जिसको सत्यापन अपेक्षित है, सत्यापन प्राधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र में इसे उपयोग में लाया जाता है, के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान पर, जो सत्यापन प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, पर प्रस्तुत करेगाः

परन्तु ऐसा विनिर्माता, जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा सरकारी अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के रूप में अनुमोदित किया गया है, उसके द्वारा निर्मित ऐसे बाट या माप के स्व–सत्यापन के लिए पात्र होगा;

परन्तु यह और कि जहां कोई बाट या माप ऐसे स्वरूप का है, जिसे उसके स्थान से हटाया नहीं जा सकता है या हटाया नहीं जाना चाहिए, ऐसे बाट या माप का उपयोग करने वाला व्यक्ति, सत्यापन प्राधिकारी को उस तिथि, जिसको सत्यापन करवाना अपेक्षित है, से कम से कम तीस दिन पहले रिपोर्ट करेगा।

(2) जहां कोई बाट या माप ऐसे स्वरूप का है, जिसे उसके स्थान से हटाया नहीं जा सकता है या हटाया नहीं जाना चाहिए, सत्यापन प्राधिकारी ऐसे बाट या माप को उसकी अवस्थिति के स्थान पर ही उसका सत्यापन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

(3) उप–नियम (2) में निर्दिष्ट बाट या माप के सत्यापन हेतु, उपयोगकर्ता ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा, जो नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(4) सत्यापन के लिए प्रस्तुत प्रत्येक बाट या माप स्वयं में पूर्ण होगा, जिसमें मोहर भी शामिल है।

(5) प्रत्येक बाट या माप को साफ–सुथरी अवस्था में सत्यापित किया जाएगा और यदि आवश्यक हो, तो सत्यापन प्राधिकारी द्वारा स्वामी या उपयोगकर्ता से इस प्रयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की अपेक्षा की जाएगी।

(6) कोई भी विधिक माप विज्ञान अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी पूर्व–पैक्ड वस्तु, बाट या माप, जिसका उपयोग किसी भी संव्यहार या संरक्षण के लिए किया जा रहा है या किया जाना आशयित है या किए जाने की संभावना है, का निरीक्षण और परीक्षण करने के लिए, यथासंभव बार–बार, प्रत्येक परिसर का दौरा कर सकता है। विधिक माप विज्ञान अधिकारी, सत्यापन या निरीक्षण के प्रयोजन हेतु, परीक्षण बाट या माप, मानक बाट या माप, कार्यकारी मानक बाट या माप, या किसी अन्य ज्ञात बाट या माप का उपयोग कर सकता है।

(7) उपयोगकर्ता द्वारा किसी भी बाट या माप के सत्यापन से पहले केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी प्रतिरूप का अनुमोदन प्रमाणपत्र, सत्यापन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे बाट या माप का उपयोगकर्ता प्रतिरूप का अनुमोदन के ऐसे प्रमाणपत्र की एक प्रति अनुरक्षित रखेगा। सत्यापन प्राधिकारी प्रतिमान का अनुमोदन में ऐसे प्रमाणपत्र की संख्या को अनुसूची-XXII में यथा विहित सत्यापन प्रमाणपत्र में भी शामिल करेगा।

(8) सत्यापन के प्रमाणपत्र की वैधता और किसी भी बाट या माप के सत्यापन के लिए नियतकालिक अंतराल ऐसे होंगे, जो विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में विहित हैं।

बाट या माप का स्टाम्पन। धारा 24(1)

13. (1) सत्यापन प्राधिकारी, यदि सत्यापन के बाद, उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा बाट या माप अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप है, तो वह प्रत्येक बाट या माप पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, में समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी की गई समरूप डिजाइन की मोहर लगाई जाएगी, जो प्रशासनिक प्रयोजन हेतु, सत्यापन प्राधिकारी, जिसके द्वारा स्टाम्पित की गई है, द्वारा आबंटित संख्या को इंगित करेगी:

परन्तु यदि किसी बाट या माप के आकार या प्रकृति के कारण उस पर मोहर लगाना वांछनीय या व्यवहार्य नहीं है, तो सत्यापन प्राधिकारी ऐसी कार्यवाही करेगा, जो नियंत्रक द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लिखित में निर्देश दिए जाएं।

(2) सत्यापन प्राधिकारी, सिवाए उसके जब ऐसे बाट या माप के आकार या प्रकृति के कारण ऐसा करना अव्यवहार्य हो, प्रत्येक सत्यापित बाट या माप पर स्टाम्पन का वर्ष और उस की तिमाही चिह्नित करेगा।

व्याख्या: एक वर्ष चार तिमाहियों से मिलकर बनेगा, जिसकी प्रथम तिमाही जनवरी, फरवरी और मार्च के मास की होगी जिसे 'क' के रूप में चिह्नित किया जाएगा, द्वितीय तिमाही अप्रैल, मई और जून के मास की होगी जिसे 'ख' के रूप में चिह्नित किया जाएगा; तृतीय तिमाही जुलाई, अगस्त और सितंबर के मास की होगी, जिसे 'ग' के रूप में चिह्नित किया जाएगा और चतुर्थ तिमाही अक्टूबर, नवम्बर और दिसंबर के मास की होगी जिसे 'घ' के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

(3) सत्यापन और स्टाम्पन के पूरा होने पर, सत्यापन प्राधिकारी अनुसूची–XXII में निर्दिष्ट प्ररूप में सत्यापन का प्रमाणपत्र जारी करेगा:

परन्तु जहां सत्यापन सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र द्वारा किया गया है, वहां सत्यापन चिह्न तथा प्रमाणपत्र ऐसा होगा, जो विधिक माप विज्ञान (सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियम, 2013 और राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर इस सम्बन्ध में बनाए गए नियमों में यथा विहित होंगे।

(4) सत्यापन पर अस्वीकृत किए गए किसी भी बाट या माप को आवश्यक मरम्मत के लिए उपयोगकर्ता को वापस कर दिया जाएगा और मरम्मत के बाद ऐसे बाट या माप को सत्यापन फीस के भुगतान पर नए सिरे से सत्यापन के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

(5) जहां सत्यापन प्रमाणपत्र गुम हो जाता है या नष्ट हो जाता है या विकृत हो जाता है, तो ऐसे प्रमाणपत्र का धारक, सत्यापन प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि जारी करने के लिए सत्यापन प्राधिकारी, जिसने प्रमाणपत्र जारी किया था, को नियन्त्रक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रीति में, ऐसी फीस, जो पांच सौ रूपए अथवा सत्यापन फीस, जो सत्यापन के समय प्रभार्य सत्यापन फीस के दसवे हिस्से के बराबर होगी, जो भी अधिक हो, के साथ तुरन्त आवेदन करेगा।

(6) उप–नियम (5) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, सत्यापन प्राधिकारी आवेदक को डूप्लीकेट (प्रतिलिपि) सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(7) ऐसा व्यक्ति, जिस को सत्यापन का प्रमपाणपत्र जारी किया गया है, वह उस परिसर में किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रमाणपत्र प्रदर्शित करेगा, जिसमें बाट या माप का उपयोग किया जाता है:

परन्तु भ्रमणशील विक्रेता के मामले में, संबंधित विक्रेता प्रमाणपत्र अपने पास रखेगाः

परन्तु यह और कि वाहन टैंक और टैक्सीमीटर के मामले में, सत्यापन प्रमाणपत्र ऐसे वाहन के साथ रखा जाएगा।

सत्यापन और/या स्टाम्पन के लिए फीस।
धारा 24(1)

14. (1) विधिक माप विज्ञान अधिकारी के मामले में, किसी बाट या माप के सत्यापन और/या स्टाम्पन के लिए भुगतान योग्य फीस अनुसूची-XXIII में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार होगी और सरकारी अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के मामले में, किसी बाट या माप के सत्यापन और स्टाम्पन के लिए भुगतान योग्य फीस, विधिक माप विज्ञान (सरकारी अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) नियम, 2013 अथवा राज्य सरकार द्वारा, समय समय पर इस निमित्त यथा विहित नियमों के अनुसार होगी।

(2) उपनियम (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, यदि उपयोगकर्ता के अनुरोध पर, सत्यापन प्राधिकारी के कार्यालय से भिन्न किसी अन्य स्थान में बाट या माप का सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, तो विधिक माप विज्ञान अधिकारी के मामले में, उपयोगकर्ता द्वारा किसी बाट या माप के सत्यापन और/या स्टाम्पन के लिए अनुसूची-XXIII में यथा विनिर्दिष्ट फीस के डेढ गुणा फीस का भुगतान किया जाएगा और इसके साथ–साथ उपरोक्त सत्यापन और/या स्टाम्पन के लिए आवश्यक अन्य सुविधाए भी उपलब्ध करवाएगा। सरकारी अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के मामले में, उपयोगकर्ता द्वारा किसी बाट या माप के सत्यापन और/या स्टाम्पन के लिए फीस, विधिक माप विज्ञान (सरकारी अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) नियम, 2013 अथवा राज्य सरकार द्वारा, समय समय पर इस निमित्त यथा विहित नियमों में यथा विहित अनुसार होगीः

परन्तु यदि उपयोगकर्ता बाट या माप के सत्यापन और/या स्टाम्पन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाता है, तो सत्यापन प्राधिकारी उपरोक्त के सम्बन्ध में उपयोगकर्ता से अनुसूची–XXIV और विधिक माप विज्ञान (सरकारी अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) नियम, 2013 अथवा राज्य सरकार द्वारा, समय समय पर इस निमित्त बनाए गए नियमों में यथा विहित परिवहन और हैंडलिंग प्रभार प्रभारित करेगा।

परन्तु निम्नलिखित यथावत किसी भी बाट या माप के सत्यापन और/या स्टाम्पन के लिए कोई अतिरिक्त फीस प्रभारित नहीं की जाएगी, अर्थात:–

(i) पेट्रोलियम पदार्थों तथा अन्य द्रव्यों के लिए वाहन की टंकी, पानी से भिन्न अन्य द्रव्यों के लिए माप प्रणाली (ईन्धन वितरक, द्रवित पैट्रोलियम गैस, दूध वितरक), सम्पीडित प्राकृतिक गैस वितरक, गैर–स्वचालित तौल यंत्र जैसे धर्मकांटा, प्लेटफार्म मशीन, क्रेन स्केल, स्वचालित ग्रेविमेट्रिक (भारात्मक) फिलिंग यंत्र, स्वचलित रेल धर्मकांटा, स्वचालित असतत योगीकरण तौल यंत्र, और ऐसे अन्य बाट या माप, जिन्हें उनके स्थान से हटाया नहीं जा सकता और हटाया नहीं जाना चाहिए;

(ii) ऐसे बाट या माप के विनिर्माता या व्यवहारी के परिसर में बाट या माप।

(3) यदि सत्यापन और/अथवा स्टाम्पन के प्रमाणन की समाप्ति के बाद, सत्यापन प्राधिकारी को पुनः सत्यापन और/अथवा स्टाम्पन के लिए कोई बाट या माप प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे पुनः सत्यापन और/अथवा स्टाम्पन के लिए प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही, तृतीय तिमाही, चतुर्थ तिमाही या उसके भाग के लिए फीस, अनुसूची–XXIII में विनिर्दिष्ट फीस का क्रमशः डेढ गुणा, दो गुणा, अढाई गुणा और तीन गुणा होगी और आगे इसी प्रकार प्रभारित की जाएगी।

(4) यदि सत्यापन/निरीक्षण के समय पर कोई बाट या माप गलत पाया जाता है, तो बाट या माप में पाए गए दोषों के बारे में सम्बन्धित व्यक्ति को सूचित करते हुए उसे आठ दिन की अनधिक अवधि के भीतर दोषों को दूर करते हुए उपरोक्त बाट या माप को व्यवस्थित करने के लिए वापस कर दिया जाएगा। आवश्यक व्यवस्थीकरण किए जाने उपरान्त, सही पाए जाने पर ऐसे बाट या माप को अनुसूची-XXIII में विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान पर सत्यापित और/अथवा स्टाम्पित किया जाएगा।

फीस का संग्रहण और खजाने में जमा करवाना।
धारा 24(1)

15. (1) विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा सत्यापन और/अथवा स्टाम्पन के लिए किसी व्यक्ति से संगृहीत की गई फीस को समुचित लेखा–शीर्ष के अधीन सरकारी खजाना में जमा करवाया जाएगा और अनुसूची-XXV में निर्दिष्ट प्ररूप में सम्बन्धित व्यक्ति को रसीद जारी करेगा और ऐसी रसीद की प्रति, नियन्त्रक को अग्रेषित करेगाा और उसकी एक प्रति रिकार्ड में भी रखेगा।

(2) विधिक माप विज्ञान अधिकारी, अनुसूची-XXVI में फीस और प्रभारों के लिए रजिस्टर अनुरक्षित करेगा, जिसमें दिन–प्रतिदिन संगृहीत की गई फीस और प्रभारों के विवरण दर्ज किए जाएंगे।

विधिवत सत्यापित और/या स्टाम्पित बाट या माप की वैधता।

धारा 24(1)

16. (1) किसी बाट या माप, जिसे इन नियमों के अधीन विधिवत सत्यापित और/या स्टाम्पित किया गया है, को हरियाणा राज्य के भीतर प्रत्येक स्थान पर अधिनियम द्वारा या इसके अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप समझा जाएगा, जब तक कि निरीक्षण या जांच करने पर यह पाया जाता है कि ऐसा बाट या माप, अधिनियम द्वारा या इसके अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप नहीं रह गया है।

(2) किसी बाट या माप, जो अधिनियम के अधीन विधिवत सत्यापित और/या स्टाम्पित है, अथवा सत्यापित और/या स्टाम्पित किया गया समझा गया है, को केवल इस तथ्य कि उसका उपयोग उस स्थान, जिस पर इसे मूल रूप से सत्यापित और/या स्टाम्पित किया गया था, से भिन्न हरियाणा राज्य के भीतर किसी भी अन्य स्थान पर किया जा रहा है; के कारण पुनः सत्यापित और/या स्टाम्पित करवाने की आवश्यकता नहीं होगीः

परन्तु जहां एक स्थान पर स्थापित सत्यापित बाट या माप को विखंडित कर दिया जाता है और किसी अन्य स्थान पर पुनः स्थापित किया जाता है, तो ऐसे बाट या माप को तब तक उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक कि उसे पुनः विधिवत सत्यापित और/या स्टाम्पित नहीं किया गया हो अथवा सत्यापन और/या स्टाम्पन का प्रमाणपत्र जारी नहीं किया हो, जैसी भी स्थिति हो, इस बात के होते हुए भी कि ऐसे बाट या माप का नियतकालिक सत्यापन और/या स्टाम्पन अपेक्षित नहीं हुआ हैः

परन्तु यह और कि जहां उस स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान/अवस्थिति पर किसी बाट या माप की मरम्मत की गई है, जहां इसे उपयोग में लाया जाना है, मरम्मतकर्ता, ऐसे बाट या माप, जिसकी उसके द्वारा विधिवत मरम्मत की जाए, उपयोगकर्ता को सौंपने से पहले, उस विधिक माप विज्ञान अधिकारी के समक्ष सत्यापन और/या स्टाम्पन के लिए प्रस्तुत करेगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में इसे उपयोग में लाया जाना है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसे बाट या माप का नियतकालिक सत्यापन और/या स्टाम्पन अपेक्षित नहीं हुआ है।

कार्यकारी मानक, द्वितीयक मानक, उपकरण इत्यादि की आपूर्ति करना।

धारा 24(1)

17. (1) विधिक माप विज्ञान अधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कार्यकारी मानक बाट या माप/द्वितीयक मानक बाट या माप, परीक्षण बाट या माप, कार्यकारी मानक तुला, द्वितीयक मानक तुला और ऐसे अन्य बाट या माप उपकरणों सहित ऐसे अन्य उपकरण प्रदान किए जाएंगे, जो समय–समय पर नियंत्रक द्वारा अनुमोदित किए जाएं।

(2) प्रत्येक विधिक माप विज्ञान अधिकारी को ऐसी डाई, पंच, पेपर सील, स्टिकर और ऐसे अन्य उपकरण प्रदान किए जाएंगे, जो सत्यापन मोहर लगाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, जिनका डिजाइन और संख्या नियंत्रक द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(3) प्रत्येक विधिक माप विज्ञान अधिकारी को मोहरों को मिटाने के लिए अष्टकोण स्टार डाई के उपयुक्त आकार के पंच प्रदान किए जाएगे।

बाट या माप इत्यादि का उपयोग।

धारा 24(1)

18. (1) अपने परिसर में किसी भी संव्यवहार में डण्डी वाली तराजू का उपयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति तराजू को स्टैंड या हुक द्वारा एक जंजीर से लटकाएगाः

परन्तु उक्त उप–नियम भ्रमणशील विक्रेता पर लागू नहीं होगा।

(2) प्रत्येक बाट या माप का उपयोग साफ–सुथरी अवस्था में और उचित प्रकाश व्यवस्था में किया जाएगा।

(3) कोई भी बाट या माप, जिसे यथावत सत्यापित और/या स्टाम्पित किया गया है, को नियंत्रक या संबंधित विधिक माप विज्ञान अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना उसे उसके स्थान से विखण्डित या हटाया नहीं जाएगा।

(4) सभी घटकों, भागों, बाट या माप के बिंदु, जो धोखा–धड़ी वाली हेर–फेर की आशंका वाले हों, उन्हें सत्यापन के बाद सुरक्षित रूप से सील किया जाएगा, जहां कहीं लागू हो।

(5) तौल उपकरण की सटीकता की उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए, उपयोगकर्ता प्रत्येक माप उपकरण के स्थान पर, उपकरण की क्षमता के दसवें हिस्से या एक हजार किलोग्राम, जो भी कम हो, के बराबर विधिवत सत्यापित और/या स्टाम्पित बाट रखेगा। उपयोगकर्ता सही वजन सुनिश्चित करने के लिए हर दिन इन बाटों के साथ तौल उपकरण की जांच करेगा। अनुज्ञेय सीमा से अधिक किसी भी त्रुटि के मामले में, उपयोगकर्ता ऐसे तौल उपकरण का उपयोग करना बंद कर देगा और सम्बन्धित विधिक माप विज्ञान अधिकारी को इसे फिर से सत्यापित और/या स्टाम्पित करने के लिए सूचित करेगा। उपभोक्ता भी तौल उपकरण की सटीकता की जांच कर सकता हैः

परन्तु नियंत्रक उन व्यापार परिसरों, जहां तौल उपकरणों की संख्या एक से अधिक है, में अनुरक्षित किए जाने वाले सत्यापित और/या स्टाम्पित बाटों की कुल संख्या निर्दिष्ट कर सकता है।

(6) खुदरा व्यवहारी, पेट्रोल/डीजल इकाई से उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए अपने पंप परिसर में संबंधित विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा सत्यापित पांच लीटर क्षमता वाला माप रखेगा और प्रत्येक पेट्रोल/डीजल इकाई की नोजल से सही वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन नोजल से पेट्रोल/डीजल की निकासी की जांच करेगा। किसी पेट्रोल/डीजल इकाई की नोजल से पेट्रोल/डीजल के कम वितरण के मामले में, खुदरा व्यवहारी उपरोक्त नोजल से पेट्रोल/डीजल का वितरण करना तुरन्त बंद कर देगा और उस पेट्रोल/डीजल इकाई को फिर से सत्यापन करने के लिए सम्बन्धित विधिक माप विज्ञान अधिकारी को सूचित करेगा।

(7) उपयोगकर्ता प्रत्येक सीएनजी, एलएनजी, एलपीजी, हाईड्रोजन और अन्य गैसीय ईन्धन डिस्पैन्सरों के लिए परीक्षण सत्यापन यन्त्र का उपयोग करेगा और विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011, विधिक माप विज्ञान (सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियम 2013 और राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर इस सम्बन्ध में बनाए गए नियमों में अधिकथित प्रक्रिया की भी अनुपालना करेगा।

(8) नियंत्रक या संबंधित विधिक माप विज्ञान अधिकारी, बाट या माप या पहले से पैक्ड की गई वस्तु की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति से किसी भी बाट या माप या पहले से पैक्ड की गई वस्तु से सम्बन्धित किसी भी दस्तावेज या अन्य रिकॉर्ड या जानकारी के प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करेगा और उक्त व्यक्ति ऐसी मांग की अनुपालना करेगा।

(9) यदि उपयोगकर्ता अपने स्वामित्वाधीन और उस द्वारा प्रयुक्त किसी भी बाट या माप को बेचने का आशय रखता है, तो वह उपरोक्त बाट या माप को बेचने से पूर्व नियंत्रक या संबंधित विधिक माप विज्ञान अधिकारी की अनुमति प्राप्त करेगा।

(10) किसी भी संव्यवहार में किसी भी बाट या माप का उपयोग करने वाला प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक उपभोक्ता को बेचे गए या खरीदे गए माल की मात्रा और माल के लिए प्रभारित की गई राशि के विवरण दर्शाते हुए बिल या रसीद जारी करेगा।

अपराधों के प्रशमन हेतु प्रशमन धनराशि।
धारा 48(1) एवं धारा 53(2)(च)

19. अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किए गए अपराधों के प्रशमन के लिए प्रशमन धनराशि ऐसी होगी, जो अनुसूची-XXVIII के अनुसार है। प्रशमन धनराशि समुचित ''लेखा शीर्ष'' के अधीन सरकारी खजाने में जमा करवाई जाएगी:

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति, जो अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों, के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, को उपरोक्त उल्लंघन के संबंध में अनुसूची-XXVII के अनुसार सुधार नोटिस जारी किया जाएगा, जहां भी लागू हो।

अपील।
धारा 50

20. इस अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की गई किसी कार्रवाई या किए गए किसी आदेश के विरूद्ध अपील, अनुसूची-XXX के अनुसार फीस के साथ अनुसूची–XXIX में संबंधित अपील प्राधिकारी को की जाएगी।

शास्ति।
धारा 53(3)

21. जो कोई भी इन नियमों के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, जिसके उल्लंघन के संबंध में शास्ति बारे अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, तो वह ऐसी शास्ति, जो एक लाख रूपए तक की हो सकेगी, के लिए दायी होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पंजीकरण प्रमाण–पत्र या सत्यापन प्रमाण–पत्र, जैसी भी स्थिति हो, का निलंबन या प्रतिसंहरण भी किया जाएगा।

अनुसूची का संशोधन।

22. राज्य सरकार, आदेश द्वारा, इन नियमों से संलग्न अनुसूची को संशोधित कर सकती है।

निरसन और व्यावृत्ति।

23. हरियाणा विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैः

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

अनूसूची–I

[देखिए नियम 3]

क **भाग ख में विनिर्दिष्ट वस्तुओं से भिन्न (पैक्ड वस्तुओं से भिन्न) में बाट, माप और संख्या का प्रयोग**

(क) वजन, यदि वस्तु ठोस, अर्ध–ठोस, चिपचिपी या ठोस के मिश्रण तथा द्रव्य के रूप में बेची जाती है;

(ख) लम्बाई, यदि वस्तु रेखीय माप द्वारा बेची जाती है;

(ग) क्षेत्र, यदि वस्तु क्षेत्र माप द्वारा बेची जाती है;

(घ) मात्रा, यदि वस्तु द्रव्य के रूप में या क्युबिक माप द्वारा बेची जाती है; या

(ङ) संख्या, यदि वस्तु संख्या द्वारा बेची जाती है।

ख **निम्नलिखित वस्तुएं (पैक्ड वस्तुओं से भिन्न) वस्तु के विरूद्व दर्शाए गए अनुसार वजन, माप या संख्या द्वारा बेची जाएं:**

क्रम संख्या	वस्तु	यदि घोषणा वजन, माप या संख्या के रूप में या उनमें से दो या अधिक के रूप में अभिव्यक्त की जानी है।
1	एरोसोल उत्पाद	वजन
2	तरल रूप में एसिड	वजन या मात्रा
3	ऑटोगैस (ऑटोमोबाइल के लिए तरल पेट्रोलियम गैस)	आयतन
4	संपीडित या तरलीकृत गैस (किन्तु तरलीकृत पेट्रोलियम गैस नहीं)	वजन और बताए गए तापमान और दबाव पर वजन या समतुल्य मात्रा
5	संपीड़ित प्राकृतिक गैस	वजन
6	तरल नाइट्रोजन	वजन या मात्रा
7	तरलीकृत प्राकृतिक गैस	वजन
8	मक्खन (मूंगफली का मक्खन सहित), पनीर, दही, घी	वजन
9.	विद्युत केबल, बिजली के तार, बाड़ लगाने के तार	लम्बाई या वजन
10	फल और सब्जियां	संख्या या वजन
11	भट्टी का तेल	वजन या मात्रा
12	बालों का तेल (बिना सुगंधित)	वजन या मात्रा
13	भारी अवशिष्ट ईंधन तेल	वजन
14	शहद, माल्ट अर्क, गोल्डन सिरप ट्रेकल, गुड़	वजन
15	आइसक्रीम और इसी प्रकार अन्य जमे हुए उत्पाद	वजन
16	औद्योगिक डीजल ईंधन	आयतन
17	अलसी का तेल और अन्य वनस्पति तेल	वजन या मात्रा
18	तरल रसायन	वजन या मात्रा
19	तरल पेट्रोलियम गैस	वजन
20	किल, लकड़ी के पेंच	संख्या या वजन
21	पेंट (पेस्ट पेंट या ठोस पेंट के अलावा), तथा वार्निश और वार्निश स्टेयर, इनेमल	आयतन
22	"पापड़"	संख्या या वजन
23	"समोसा", "कचौरी", "गोलगप्पा", "टिक्की", "डोसा", "इडली", "लिट्टी"	संख्या
24	चाय, कॉफी, जूस, पेय (शीतल पेय सहित)	आयतन या संख्या (घोषित आयतन के साथ)

	25	सलाद, पकी हुई दाल/ सब्जी व्यंजन/ बिरयानी	वजन या संख्या (घोषित वजन के साथ)
	26	पेस्ट पेंट, ठोस पेंट	वजन
	27	प्लास्टिक या सिरेमिक या धातु के सामान	वजन या संख्या
	28	मिठाई	वजन या संख्या
	29	नमकीन (मसालेदार)	वजन
	30	पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न	वजन या संख्या (घोषित वजन के साथ)
	31	रेडीमेड वस्त्र	संख्या और आकार
	32	सॉस, सभी प्रकार	वजन
	33	स्टील और लोहा	वजन (आयामों के साथ)
	34	कपड़ा	वजन या लम्बाई
	35	टायर और ट्यूब	संख्या
	36	सूत	सूत का वजन या लम्बाई

UNCOMPLYCATED Simplifying Compliance

अनुसूची–II
[देखिए नियम 5(1)]

विनिर्माता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

.....

.....

क्रम संख्या	वस्तु का विवरण	आवेदक द्वारा भरा जाना है	विधिक माप विज्ञान अधिकारी की टिप्पणी
1	आवेदक की श्रेणी (व्यक्तिगत/एचयूएफ/फर्म/कंपनी/सोसाइटी/विभाग/न्यास/अन्य)		
2	आवेदक का नाम (एचयूएफ/ फर्म/ कंपनी/ सोसाइटी/ विभाग/ न्यास / अन्य के मामले में फर्म /कम्पनी आदि का नाम भरे)		
3	(क) प्रमाण सहित आवेदक का पता । (ख) विनिर्माण इकाई का पता (यदि पंजीकृत कार्यालय का पता अलग है) (ग) क्या परिसर स्वामित्व में है/किराए पर लिया गया है/पट्टे पर लिया गया है (दस्तावेज से विधिवत समर्थित)।		
4	स्थापना की तिथि (फर्म/ कंपनी/ सोसाइटी/ विभाग/ न्यास / अन्य के मामले में)		
5	व्यक्तिगत/मालिक/भागीदार/निदेशक/सदस्य(यों), जैसा लागू हो, का नाम, आधार संख्या और पता, प्रमाण के साथ		
6	(क) वैट/जीएसटी की पंजीकरण संख्या (ख) व्यावसायिक कर की पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो (ग) पैन/टैन का विवरण		
7	विनिर्माण इकाई में विनिर्माण या अन्य गतिविधियों की प्रकृति जिसके लिए पंजीकरण किया जाना है।		
8	निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित बाट या माप की श्रेणियां (प्रत्येक श्रेणी का विवरण दिया जाना है): (क) सभी प्रकार के बाट (ख) क्षमता माप, लम्बाई माप आदि। (ग) बीमतराजू, काउंटर स्केल आदि। (घ) गैर–स्वचालित तौल उपकरण (ङ) स्वचलित तौल उपकरण (च) आयतन मापने के उपकरण (छ) अन्य {इन नियमों की अनुसूची–X और विधिक मापन विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में सलंग्न अनुसूचियों के अनुसार}		
9	नियोजत किए गए/नियोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या। (i) कुशल (ii) कुशल से अन्यथा		

UNICOMPLYCATE Simplifying Compliance

10	(क) ऐसा मोनोग्राम या ट्रेडमार्क जिसे निर्मित किए जाने वाले बाट या माप पर अंकित किया जाना हो (ख) क्या ट्रेडमार्क पंजीकृत है या नहीं? यदि हां, तो विवरण दें।		
11	बाट या माप के निर्माण के लिए प्रयुक्त मशीनरी, उपकरण, सहायक उपकरण का विवरण।		
12	बिजली कनेक्शन की उपलब्धता। विवरण दें।		
13	क्या आपने पहले इस राज्य में या कहीं और विनिर्माता के अनुज्ञप्ति/पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है? यदि हां, तो विवरण दें।		
14	(क) निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित वस्तु(ओं) के लिए भारत सरकार से प्राप्त मॉडल अनुमोदन प्रमाणपत्रों का विवरण (ख) क्या विनिर्मित की जाने वाली प्रस्तावित वस्तुएं राज्य के भीतर या राज्य के बाहर या दोनों में बेची जाएंगी?		
15	जमा किए गए पंजीकरण शुल्क का विवरण (जैसा कि अनुसूची–X में विनिर्दिष्ट है): (क) राशि (₹) (ख) जीआरएन संख्या (ग) सीआईएन संख्या (घ) दिनांक		

आवेदक द्वारा घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 को केन्द्रीय अधिनियम 1) हरियाणा विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2026 और उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी अन्य नियमों को पढ़ लिया है। मैं/हम उक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए सभी नियमों के उपबंधों की पालना करने के लिए सहमत हूँ/हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त इस संबंध में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और नियंत्रक द्वारा, समय–समय पर, जारी किए गए सभी आदेशों और निर्देशों की भी पालना करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

ऊपर दी गई सभी जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि उपरोक्त तथ्य/जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य या गलत पाई जाती है, तो मैं/हम विधि के अनुसार किसी भी कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी हुंगा/होंगे।

स्थानः .....

दिनांकः .....

प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता का

हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

UNOFFICIAL COMPLYCATE Simplifying Compliance

अनूसूची–III

[देखिए नियम 5(1)]

मरम्मतकर्ता के पंजीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

.....

.....

क्रम संख्या	मद का विवरण	आवेदक द्वारा भरा जाना है	विधिक माप विज्ञान अधिकारी की टिप्पणी
1	आवेदक की श्रेणी (व्यक्तिगत/एचयूएफ/ फर्म/ कंपनी/ सोसाइटी/ विभाग/ न्यास/अन्य)		
2	आवेदक का नाम (एचयूएफ/ फर्म/ कंपनी/ सोसाइटी/ विभाग/ न्यास/ अन्य के मामले में फर्म /कम्पनी आदि का नाम भरे)		
3	(क) प्रमाण के साथ आवेदक का पता (ख) कार्यशाला/मरम्मत इकाई का पता (यदि पंजीकृत कार्यालय का पता भिन्न है) (ग) क्या परिसर स्वामित्व में है/किराए पर लिया गया है/पट्टे पर लिया गया है, (दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित)		
4	स्थापना की तिथि (फर्म/कंपनी/सोसाइटी/विभाग /न्यास/अन्य के मामले में)		
5	व्यक्तिगत/मालिक/भागीदारों/निदेशक(कों)/सदस्य(ओं), जैसा लागू हो, का नाम, आधार संख्या और पते के प्रमाण के साथ		
6	(क) वैट/जीएसटी की पंजीकरण संख्या (ख) व्यावसायिक कर की पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो (ग) पैन/टैन का विवरण		
7	मरम्मत के लिए प्रस्तावित वजन या माप की श्रेणियां (प्रत्येक श्रेणी का विवरण दिया जाना है): (क) सभी प्रकार के बाट (ख) क्षमता माप, लम्बाई माप आदि {नीचे क्रम संख्या (छ) और (ज) में वर्णित वस्तुओं से भिन्न} (ग) बीम तराजू, काउंटर स्केल इत्यादि। घ) गैर–स्वचालित तौल उपकरण श्रेणी–I और II {नीचे क्रम संख्या (झ) से भिन्न} (ङ) गैर–स्वचालित तौल उपकरण श्रेणी–III और IV {नीचे क्रम संख्या (झ) से भिन्न} (च) स्वचालित तौल उपकरण (छ) टैंक लोरी (ज) भंडारण टैंक (झ) धर्म कांटा (ञ) आयतन मापने के उपकरण (ट) अन्य {इन नियमों की अनुसूची–X और विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 से सलंग्न अनुसूचियों के अनुसार}		
8	नियोजित किए गए/नियोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या (i) कुशल (ii) कुशल से भिन्न		

9	संचालन का क्षेत्रः (क) केंद्र (विधिक माप विज्ञान अधिकारी का क्षेत्र जिसके अधिकार क्षेत्र में, मरम्मतकर्ता की कार्यशाला स्थित है) (ख) पूरा जिला (यदि वहां किसी जिले में एक से अधिक केंद्र हैं) (ग) पूरा राज्य		
10	नियंत्रक द्वारा जारी कौशल प्रमाणपत्र का विवरण		
11	बाट या माप की मरम्मत के लिए प्रयुक्त मशीनरी, उपकरण, सहायक उपकरण का विवरण		
12	बिजली कनेक्शन की उपलब्धता का विवरण		
13	क्या आपके पास सत्यापित परीक्षण बाट और माप इत्यादि का पर्याप्त स्टॉक है? विवरण दें।		
14	क्या आपने पहले इस राज्य में या कहीं और मरम्मतकर्ता की अनुज्ञप्ति/पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है? यदि हां, तो विवरण दें।		
15	कुशल कर्मकार का विवरण		

क्रम संख्या	कुशल कर्मकार का नाम और पिता का नाम	कौशल के क्षेत्र का नाम	कौशल प्रमाणपत्र की संख्या और तिथि

16	जमा की गई पंजीकरण फीस का विवरण (जैसा कि अनुसूची–X में निर्दिष्ट है): (क) राशि (₹) (ख) जीआरएन संख्या (ग) सीआईएन संख्या (घ) दिनांक		

आवेदक द्वारा घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 को केन्द्रीय अधिनियम 1) हरियाणा विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2026 और उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी अन्य नियमों को पढ़ लिया है। मैं/हम उक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए सभी नियमों के उपबंधों की पालना करने के लिए सहमत हूँ/हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त इस संबंध में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और नियंत्रक द्वारा, समय–समय पर, जारी किए गए सभी आदेशों और निर्देशों की भी पालना करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

ऊपर दी गई सभी जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि उपरोक्त तथ्य/जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य या गलत पाई जाती है, तो मैं/हम विधि के अनुसार किसी भी कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी हुंगा/होंगे।

स्थानः ..... प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता का

दिनांकः ..... हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

UNOMPLYCATE Simplifying Compliance

अनूसूची–IV

[देखिए नियम 5(1)]

व्यवहारी के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

.....

.....

क्रम संख्या	मद का विवरण	आवेदक द्वारा भरा जाना है	विधिक माप विज्ञान अधिकारी की टिप्पणी
1	आवेदक की श्रेणी (व्यक्तिगत / एचयूएफ / फर्म / कंपनी / सोसाइटी / विभाग / न्यास / अन्य)		
2	आवेदक का नाम (एचयूएफ / फर्म / कंपनी / सोसाइटी / विभाग / न्यास / अन्य के मामले में फर्म /कम्पनी आदि का नाम भरे)		
3	क) प्रमाण के साथ आवेदक का पता। ख) दुकान / स्थापना का पता (यदि पंजीकृत कार्यालय का पता भिन्न है) ग) क्या परिसर स्वामित्व में है / किराए पर लिया गया है / पट्टे पर लिया गया है, (दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित)।		
4	स्थापना की तिथि (फर्म / कंपनी / सोसाइटी / विभाग / न्यास / अन्य के मामले में)		
5	व्यक्तिगत / मालिक / भागीदारों / निदेशक(कों) / सदस्य, जैसा लागू हो, का नाम, आधार संख्या और पते के प्रमाण के साथ		
6	(क) वैट / जीएसटी की पंजीकरण संख्या (ख) व्यावसायिक कर की पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो (ग) पैन / टैन का विवरण		
7	बेचे जाने के लिए प्रस्तावित बाट या माप की श्रेणियां (प्रत्येक श्रेणी का विवरण दिया जाना है): (क) बाट (ख) क्षमता माप, लम्बाई माप आदि। (ग) बीमतराजू, काउंटर स्केल आदि। (घ) गैर–स्वचालित तौल उपकरण (ङ) स्वचालित तौल उपकरण (च) आयतन मापने के उपकरण (छ) अन्य {इन नियमों की अनुसूची–X और विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 से सलंग्न अनुसूचियों के अनुसार}		
8	क्या आप राज्य / देश के बाहर के स्थानों से लाए / आयात किए गए बाट या माप आदि को बेचना चाहते हैं? यदि हां, तो आपूर्ति के स्रोत को इंगित करें और प्रदान करें: (क) विनिर्माता के ट्रेडमार्क / मोनोग्राम का विवरण और पंजीकरण प्रमाणपत्र विवरण। (ख) बाट या माप के आयातक की पंजीकरण संख्या, यदि कोई हो। (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा मॉडल के अनुमोदन का विवरण ।		
9	क्या आपने पहले इस राज्य में या कहीं और व्यवहारी की अनुज्ञप्ति / पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है, ? यदि हां, तो विवरण दें।		

10	जमा की गई पंजीकरण फीस का विवरण (जैसा कि अनुसूची–X में विनिर्दिष्ट हैं): (क) राशि (₹) (ख) जीआरएन संख्या (ग) सीआईएन संख्या (घ) दिनांक		

आवेदक द्वारा घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 को केन्द्रीय अधिनियम 1) हरियाणा विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2026 और उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी अन्य नियमों को पढ़ लिया है। मैं/हम उक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए सभी नियमों के उपबंधों की पालना करने के लिए सहमत हूँ/हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त इस संबंध में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और नियंत्रक द्वारा, समय–समय पर, जारी किए गए सभी आदेशों और निर्देशों की भी पालना करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

ऊपर दी गई सभी जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि उपरोक्त तथ्य/जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य या गलत पाई जाती है, तो मैं/हम विधि के अनुसार किसी भी कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी हुंगा/होंगे।

स्थान: ..... प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता का

दिनांक: ..... हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

अनुसूची–V

[देखिए नियम 5(1) तथा 5(3)]

बाट तथा माप–तोल के विनिर्माता, मरम्मतकर्ता व व्यवहारी के लिए पंजीकरण फीस

क्रम संख्या	पंजीकरण शुल्क	राशि (₹)
1	विनिर्माता के लिए	50000/– बाट या माप की प्रत्येक श्रेणी/मॉडल के लिए
2	मरम्मतकर्ता के लिए	(i) 20000/– बाट या माप की प्रत्येक श्रेणी/सटीकता वर्ग के लिए, एक केंद्र के लिए (ii) 50000/– बाट या माप की प्रत्येक श्रेणी/सटीकता वर्ग के लिए, जिले के लिए, जहां एक से अधिक केंद्र हैं। (iii) 150000/– बाट या माप की प्रत्येक श्रेणी/सटीकता वर्ग के लिए, राज्य के लिए
3	व्यवहारी के लिए	20000/– बाट या माप की सभी श्रेणियों के लिए

UNCOMPLYCATED Simplifying Compliance

अनूसूची–VI

[देखिए नियम 5(2)]

बाट या माप के निर्माण के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र

संख्या...../वर्षः.....

1. इसके द्वारा..... {पंजीकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम और पता} को बाट या माप की निम्नलिखित श्रेणियों का निर्माण करने के लिए पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता हैः

क्रम संख्या	बाट या माप का विवरण

2. यह पंजीकरण प्रमाण पत्र केवल ऊपर निर्दिष्ट आवेदक की..... पर स्थित उनकी विनिर्माण इकाई के लिए मान्य है

3. विनिर्माता नीचे दिए गए निबन्धों और शर्तों का पालन करेगा उसके द्वारा ऐसा करने में विफलता की दशा में यह पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के लिए दायी है।

4. विनिर्माता द्वारा उपयोग किया जा रहा ट्रेडमार्क/मोनोग्राम निम्नानुसार है .....

पंजीकरण के निबन्ध एवं शर्तें:

अ. पंजीकृत व्यक्ति(यों), जिसके पक्ष में यह पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया हैः–

(क) अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी सम्बन्धित उपबन्धों का समय–समय पर यथा संशोधित का अनुपालन करेगा;

(ख) अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए समय–समय पर यथा संशोधित नियमों के उपबन्धों का कोई उल्लंघन करने को प्रोत्साहित या समर्थन नहीं करेगा;

(ग) इस पंजीकरण प्रमाणपत्र को इससे सम्बन्धित परिसर के किसी सहजदृश्य हिस्से में प्रदर्शित करेगा;

(घ) नियंत्रक द्वारा दिए गए किसी भी सामान्य या विशेष निर्देशों का पालन करेगा;

(ड़) इस पंजीकरण के निलम्बन, यदि कोई हो, को अभिशून्य करने तक विनिर्माता के रूप में कार्य करना बंद कर देगा तथा इस प्रकार व्यवसाय पुनः शुरू नहीं करेगा;

(च) व्यवसाय के बंद होने तथा/अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र के प्रतिसंहरण की दशा में, पंजीकरण प्रमाणपत्र का समर्पण करेगा;

(छ) राज्य के भीतर या बाहर उपयोग के लिए, जैसी भी स्थिति हो, निर्मित बाट या माप को बिक्री से पहले सत्यापन तथा मोहर लगाने के लिए सत्यापन प्राधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र में उसको उपयोग में लाया जाना है, को प्रस्तुत करेगा अथवा जो नियंत्रक द्वारा निर्देशित किया जाए।

आ. व्यक्तिगत से भिन्न पंजीकृत व्यक्ति (व्यक्तियों), के संघटन में किसी भी परिवर्तन की रिपोर्ट पंजीकरण प्राधिकारी को तुरंत, किन्तु तीस दिन के अपश्चात की जाएगी।

इ. इन नियमों की कोई भी बात पंजीकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) को कोई भी निर्धार्य अथवा हस्तांतरणीय अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

ई. इस पंजीकरण प्रमाणपत्र के जारी होने के बाद विहित प्रत्येक शर्त उस व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए बाध्यकारी होगी, जिन्हें यह पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

टिप्पण: किसी व्यक्ति से भिन्न पंजीकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में, ऐसे पंजीकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के व्यवसाय में कोई भी हित रखने वाले सभी व्यक्तियों पर ऊपर वर्णित निबन्धन तथा शर्तें बाध्यकारी होंगी।

स्थान: .....

दिनांक: .....

(हस्ताक्षर)

पंजीकरण प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम

(मोहर के साथ)

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

अनूसूची–VII

[देखिए नियम 5(2)]

बाट या माप की मरम्मत के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र

संख्या..... / वर्ष:.....

1. इसके द्वारा..... {पंजीकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम और पता} को बाट या माप की निम्नलिखित श्रेणियों की मरम्मत करने के लिए पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है:

क्रम संख्या	बाट या माप का वर्णन

2. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र केवल ऊपर उल्लिखित आवेदक के लिए .....(पर) स्थित उनकी कार्यशाला / मरम्मत करने के सम्बन्ध में वैध है।

3. मरम्मतकर्ता नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों का पालन करेगा। उसके द्वारा ऐसा करने में विफलता की दशा में यह पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के लिए दायी है।

4. पंजीकृत व्यक्ति को उपरोक्त क्रम संख्या 1 में वर्णित वर्णन के बाट या माप की निम्न वर्णित क्षेत्र (क्षेत्रों) में मरम्मत करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है .....

5. कुशल कर्मकारों और कौशल प्रमाणपत्र का विवरण:–

क्रम संख्या	कुशल कर्मकारों का नाम और पिता का नाम	कौशल के क्षेत्र का नाम	कौशल प्रमाणपत्र की संख्या और तिथि

पंजीकरण के निबन्ध तथा शर्तें:

अ. पंजीकृत व्यक्ति (यों), जिसके पक्ष में यह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है:–

(क) अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए समय–समय पर यथा संशोधित नियमों के सम्बन्धित सभी उपबन्धों का अनुपालन करेगा;

(ख) अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए समय–समय पर यथा संशोधित नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करने को प्रोत्साहित नहीं करेगा या समर्थन नहीं करेगा;

(ग) इस पंजीकरण प्रमाणपत्र को इससे सम्बन्धित परिसर के किसी सहजदृश्य हिस्से में प्रदर्शित करेगा;

(घ) नियंत्रक द्वारा दिए गए किसी भी सामान्य या विशेष निर्देशों का पालन करेगा;

(ड़) इस पंजीकरण के निलम्बन, यदि कोई हो, को अभिशून्य करने तक मरम्मतकर्ता के रूप में कार्य करना बंद कर देगा तथा इस प्रकार व्यवसाय पुन: शुरू नहीं करेगा;

(च) व्यवसाय के बंद होने तथा / अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र के प्रतिसंहरण की दशा में, पंजीकरण प्रमाणपत्र का समर्पण करेगा;

(छ) विधिवत् सर्विस / मरम्मत किए गए बाट या माप, जैसी भी स्थिति हो, को उपभोक्ता को सुपुर्दगी से पहले सत्यापन एवं मोहर लगाने के लिए सत्यापन प्राधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र में उसको उपयोग में लाया जाना है, अथवा जैसा नियंत्रक द्वारा निर्देशित किया जाए, को प्रस्तुत करेगा ।

आ. मरम्मत का कार्य नियमों द्वारा यथा निर्धारित कुशल कर्मकारों द्वारा किया जाएगा।

इ. कुशल कर्मकारों में किसी भी परिवर्तन की रिपोर्ट पंजीकरण प्राधिकारी को तुरंत, किन्तु तीस दिन के अपश्चात अवश्य की जाएगी।

ई. व्यक्तिगत से भिन्न पंजीकृत व्यक्ति (व्यक्तियों), के संघटन में किसी भी परिवर्तन की रिपोर्ट पंजीकरण प्राधिकारी को तुरंत, किन्तु तीस दिन के अपश्चात अवश्य की जाएगी।

उ. इन नियमों की कोई भी बात पंजीकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) को कोई भी निर्धार्य अथवा हस्तांतरणीय अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

ऊ. इस पंजीकरण प्रमाणपत्र के जारी होने के बाद विहित प्रत्येक शर्त उस व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए बाध्यकारी होगी, जिन्हें यह पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

ऋ. बाट या माप के लिए अधिकतम मरम्मत प्रभारों की स्थापना के लिए नियंत्रक समन्वित कार्यक्रम को ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति में कर सकता है, जैसा वह उचित समझे। मरम्मतकर्ता अधिकतम मरम्मत प्रभारों की ऐसी सीमा का पालन करेगा।

टिप्पणः किसी व्यक्तिगत से भिन्न पंजीकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में, ऐसे पंजीकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के व्यवसाय में कोई भी हित रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए भी ऊपर उल्लिखित निबन्धन एवं शर्तें बाध्यकारी होंगी।

स्थानः .....

दिनांकः .....

(हस्ताक्षर)

पंजीकरण प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम

(मोहर के साथ)

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

अनूसूची–VIII

[देखिए नियम 5(2)]

बाट या माप के व्यवहारी के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र

संख्या..... / वर्ष:.....

1. इसके द्वारा, ... {पंजीकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम और पता} को बाट या माप की निम्नलिखित श्रेणियों का लेन देन करने के लिए पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है:

क्रम संख्या	बाट या माप का वर्णन

2. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र केवल ऊपर उल्लिखित आवेदक के लिए.....पर स्थित उनके कारबार परिसरों के सम्बन्ध में मान्य है।

3. व्यवहारी नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों का पालन करेगा। उसके द्वारा ऐसा करने में विफलता की दशा में यह पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द किए जाने के लिए दायी है।

पंजीकरण के निबन्धन तथा शर्तें:

अ. पंजीकृत व्यक्ति (व्यक्तियों), जिसके पक्ष में यह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है:–

(क) अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए समय–समय पर यथा संशोधित नियमों से सम्बन्धित सभी उपबन्धों का अनुपालन करेगा;

(ख) अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए समय–समय पर यथा संशोधित नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करने को प्रोत्साहित नहीं करेगा या समर्थन नहीं करेगा;

(ग) इस पंजीकरण प्रमाणपत्र को इससे सम्बन्धित परिसर के किसी सहजदृश्य हिस्से में प्रदर्शित करेगा;

(घ) नियंत्रक द्वारा दिए जाने वाले किसी भी सामान्य या विशेष निर्देशों का पालन करेगा;

(ड़) इस पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलम्बन, यदि कोई हो, को अभिशून्य करने तक व्यवहारी के रूप में कार्य करना बंद कर देगा तथा इस प्रकार व्यवसाय पुनः शुरू नहीं करेगा;

(च) व्यवसाय के बंद होने की दशा में तथा/अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र के प्रतिसंहरण करने की दशा में, पंजीकरण प्रमाण पत्र का समर्पण करेगा;

(छ) बाट या माप को बेचने से पहले सत्यापन प्राधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र में उसको उपयोग में लाया जाना है, अथवा जैसे नियंत्रक द्वारा निर्देशित किया जाए, को प्रस्तुत करेगा।

(ज) किसी भी गैर–मानक बाट या माप की बिक्री, प्रस्तावित, अनावृत्त नहीं करेगा या अपने कब्जे में नहीं रखेगा।

आ. व्यक्तिगत से भिन्न पंजीकृत व्यक्ति (व्यक्तियों), के संघटन में किसी भी परिवर्तन की रिपोर्ट पंजीकरण प्राधिकारी को तुरंत, किन्तु तीस दिन के अपश्चात की जाएगी।

इ. इन नियमों की कोई भी बात पंजीकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) को कोई भी निर्धार्य अथवा हस्तांतरणीय अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

ई. इस पंजीकरण प्रमाणपत्र के जारी होने के बाद विहित प्रत्येक शर्त उस व्यक्ति (व्यक्तियों) पर बाध्यकारी होगी, जिन्हें यह पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

टिप्पण: किसी व्यक्तिगत से भिन्न पंजीकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में, ऊपर वर्णित निबन्धन तथा शर्तें ऐसे पंजीकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के व्यवसाय में कोई भी हित रखने वाले सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगी।

स्थान: .....

दिनांक: .....

(हस्ताक्षर)

पंजीकरण प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम

(मोहर के साथ)

अनुसूची–IX

[देखिए नियम 5(4)]

पंजीकृत मरम्मतकर्ता द्वारा जमा करवाई जाने वाली प्रतिभूति

वर्णन	राशि (₹)
मरम्मतकर्ता के लिए जमा प्रतिभूति	100000/– बाट या माप की प्रत्येक श्रेणी/सटीकता वर्ग के लिए, एक केंद्र के लिए

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

अनुसूची–X

[देखिए नियम 5(5)]

बाट या माप के पंजीकृत विनिर्माताओं, मरम्मतकर्ताओं और व्यवहारियों का रजिस्टर

पंजीकरण प्रमाण पत्र की संख्या और तिथि	विनिर्माता/ मरम्मतकर्ता/ व्यवहारी का नाम और पता	विनिर्माता के कारखाने /विनिर्माण ईकाई का स्थान	मरम्मतकर्ता की कार्यशाला /मरम्मत ईकाई का स्थान	विनिर्मित/ मरम्मत की गई/बेची जाने वाली वस्तुएं	उपयोग किए जाने वाले ट्रेडमार्क/ मोनोग्राम	पंजीकरण प्रमाण पत्र के निलंबन/ प्रतिसंहरण करने के संबंध में आदेशों की संख्या और तिथि	(i) अपील दायर करने की तिथि, यदि कोई हो। (ii) अपील में निर्णय की तिथि (iii) अपील स्वीकृत या अस्वीकृत।	पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

टिप्पण: खाना संख्या 3 और 4 व्यवहारियों से सम्बन्धित नहीं हैं, खाना संख्या 6 मरम्मतकर्ताओं और व्यवहारियों से सम्बन्धित नहीं हैं।

UNCOMPLYCAT Simplifying Compliances

अनुसूची–XI

[देखिए नियम 5(9)]

उत्तराधिकार/हस्तांतरण पर पंजीकरण प्रमाणपत्र देने से इनकार करने की सूचना

क्रमांक/आर.ए. (विधिक माप)..... दिनांक.....

सेवा में,

आवेदक का नाम .....

पता .....

विषयः **पंजीकरण प्रमाणपत्र के हस्तांतरण के लिए अनुरोध।**

संदर्भः ..... के पक्ष में जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक.....के हस्तांतरण के लिए आपका आवेदन।

आपको, इसके द्वारा, सूचित किया जाता है कि पंजीकरण को आपके नाम पर या उस व्यक्ति, जिसके पक्ष में पूर्वोक्त अनुरोध किया गया है, के नाम पर हस्तांतरण के लिए उपरोक्त वर्णित अनुरोध के लिए आपके आवेदन को अधिनियम/नियमों की लागू धाराओं/नियमों को ध्यान में रखते हुए जांचा गया है और इसे निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकृत कर दिया गया हैः

क्रम संख्या (1)	**अनुरोध को इनकार/ अस्वीकृत करने के कारण** (2)	**अधिनियम/नियमों की सम्बन्धित धारा (धाराएं)/ नियम (नियमों)/पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तें** (3)

इसलिए, आपको उपर्युक्त पंजीकरण प्रमाणपत्र के अधीन अनुज्ञेय व्यवसाय को तुरंत रोकने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर आपके विरूद्ध विधि के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।

पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर,

नाम तथा पदनाम मोहर के साथ

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

अनुसूची–XII

[देखिए नियम 6(1)]

कौशल प्रमाणपत्र के लिए आवेदन फीस

विवरण	राशि (₹)
कौशल प्रमाणपत्र के लिए आवेदन फीस	प्रत्येक आवेदन के लिए 1000/-

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

अनूसूची–XIII

[देखिए नियम 6(1)]

कौशल प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन

सेवा में,

नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, हरियाणा

क्रम संख्या	वस्तु का विवरण	आवेदक द्वारा भरा जाना है	विधिक माप विज्ञान अधिकारी की टिप्पणी
1	आवेदक का नाम और पता		
2	(क) आधार संख्या (ख) पैन		
3	शैक्षणिक योग्यता		
4	तकनीकी योग्यता, यदि कोई हो		
5	उस क्षेत्र में अनुभव जिसके लिए कौशल प्रमाण पत्र का आवेदन किया गया है (प्रमाण सलंग्न किया जाना है)।		
6	बाट या माप की श्रेणियां, जिनके लिए कौशल प्रमाणपत्र का आवेदन किया गया है। (प्रत्येक श्रेणी का विवरण दिया जाना है): (क) सभी प्रकार के बाट (ख) क्षमता माप, लम्बाई माप इत्यादि {नीचे क्रम संख्या (छ) और (ज) में वर्णित वस्तुओं से भिन्न} (ग) बीम तराजू, काउंटर स्केल इत्यादि। (घ) गैर–स्वचालित तौल उपकरण श्रेणी–I और II {नीचे क्रम संख्या (झ) में वर्णित वस्तुएं से भिन्न} (ङ) गैर–स्वचालित तौल उपकरण श्रेणी–III और IV {नीचे क्रम संख्या (झ) में वर्णित वस्तुओं से भिन्न} (च) स्वचालित तौल उपकरण (छ) टैंक लारी (ज) भंडारण टैंक (झ) धर्म कांटा (ञ) आयतन मापने के उपकरण (ट) अन्य {इन नियमों की अनुसूची–X और विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 से सलंग्न अनुसूचियों के अनुसार}		
7	क्या आपने पहले इस राज्य में कहीं और कौशल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है/प्रदान किया गया है? यदि हां, तो विवरण दें।		
8	जमा की गई पंजीकरण फीस का विवरण (जैसा अनुसूची–X में विनिर्दिष्ट है): (क) राशि (₹) (ख) जीआरएन संख्या (ग) सीआईएन संख्या (घ) दिनांक		

घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 को केन्द्रीय अधिनियम 1) हरियाणा विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2026 और उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी अन्य नियमों को पढ़ लिया है। मैं/हम उक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए सभी नियमों के उपबंधों की पालना करने के लिए सहमत हूँ/हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त इस संबंध में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और नियंत्रक द्वारा, समय–समय पर, जारी किए गए सभी आदेशों और निर्देशों की भी पालना करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

ऊपर दी गई सभी जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि उपरोक्त तथ्य/जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य या गलत पाई जाती है, तो मैं/हम विधि के अनुसार किसी भी कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी हुंगा/होंगे।

स्थानः .....

दिनांकः ..... हस्ताक्षर और नाम

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

अनूसूची–XIV

[देखिएनियम 6(2)]

कौशल प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र संख्या.....

जारी करने की तिथि...../...../.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी..... निवासी.....विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन बाट या माप की मरम्मत करने में तकनीकी रूप से सक्षम और अपेक्षित कौशल रखने वाला पाया गया है।

इस प्रमाणपत्र के धारक को निम्नलिखित बाट या माप की किस्म/श्रेणियों की मरम्मत के उद्देश्य से, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों और समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों, जैसी भी स्थिति हो, के उपबन्धों के अनुपालन के अध्यधीन कुशल कर्मकार के रूप में मान्यता दी जाती है।

योग्यता का विवरण :

ब्योरे	नीचे
ऐसी किस्म/श्रेणियां जिनके लिए प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।	नीचे वर्णित सम्बन्धित श्रेणियों का चयन करें: (क) सभी प्रकार के बाट (ख) क्षमता माप, लम्बाई माप आदि {नीचे क्रम संख्या (छ) और (ज) में वर्णित वस्तुओं से भिन्न} (ग) बीम तराजू, काउंटर स्केल आदि। (घ) गैर–स्वचालित तौल उपकरण श्रेणी–I और II {नीचे क्रम संख्या (झ) वर्णित वस्तु से भिन्न} (ङ) गैर–स्वचालित तौल उपकरण श्रेणी–III और IIII {नीचे क्रम संख्या (झ) वर्णित वस्तु से भिन्न} (च) स्वचालित तौल उपकरण (छ) टैंक लोरी ज) भंडारण टैंक (झ) धर्म कांटा (ञ) आयतन मापने के उपकरण (ट) अन्य {इन नियमों की अनुसूची–X और विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 से सलंग्न अनुसूचियों के अनुसार}
प्रमाणपत्र की वैधता	

टिप्पण: यह प्रमाण पत्र केवल विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मरम्मत कर्ता के रूप में व्यवसाय करने के उद्देश्य से मान्य होगा।

यह प्रमाणपत्र अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध, समय–समय पर यथा संशोधित या नियंत्रक द्वारा किसी सामान्य या विशेष निर्देश जारी किए जाएं।

स्थान: ..... नियंत्रक के हस्ताक्षर और मोहर

दिनांक: .....

UNCOMPLICATE Simplifying Compliance

अनुसूची–XV

[देखिए नियम 7]

बाट या माप के विनिर्माताओं द्वारा बनाए रखे जाने वाला रजिस्टर

1. विनिर्माता का नाम और पता .....

2. संपर्क संख्या और ईमेल आईडी .....

3. (i) पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या .....

   (ii) पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने की तिथि .....

   (iii) निर्मित किए जा रहे बाट या माप का विवरणः .....

क्रम संख्या	बाट या माप का विवरण

4. बाट या माप के विनिर्माण और संव्यवहार का (मास–वार) एवं (श्रेणी–वार) विवरणः–

क्रम संख्या	मास और वर्ष का नाम	बाट या माप का वर्णन	पिछले मास के खाना संख्या 13 से लाई गई बिना बिक्री वस्तुओं की मात्रा (संख्या में)	मास के दौरान विनिर्मित वस्तुओं की मात्रा (संख्या में)	कुल स्टॉक (4+5)	राज्य के भीतर बेची गई वस्तुओं की मात्रा (संख्या में)	
						बेची गई वस्तुओं की संख्या	चालान सं. और दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8

राज्य/देश के बाहर बेची गई वस्तुओं की मात्रा (संख्या में)			बेची गई कुल वस्तुएं (7+10)	बकाया स्टॉक (6–12)	टिप्पणी, यदि कोई हो
राज्य/देश का नाम	बेची गई वस्तुओं की संख्या	चालान सं. और दिनांक			
9	10	11	12	13	14

*टिप्पणः विनिर्माता को बाट या माप की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग से उपरोक्त प्रारूप में विवरण बनाए रखना है।

5. पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन/प्रतिसंहरण करने के आदेशों, यदि कोई हो, का विवरण .....

6. पंजीकरण प्रमाणपत्र के प्रतिसंहरण आदेशों, यदि कोई हो, का विवरण .....

विनिर्माता के हस्ताक्षर और मोहर

अनुसूची–XVI

[देखिए नियम 7]

बाट या माप के मरम्मतकर्ताओं द्वारा बनाए रखे जाने वाला रजिस्टर

1. मरम्मतकर्ता का नाम और पता .....

2. संपर्क संख्या और ईमेल आईडी .....

3. (i) पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या .....

(ii) पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने की तिथि .....

(iii) मरम्मत के लिए प्राधिकृत बाट या माप की श्रेणियां: .....

क्रम संख्या	बाट या माप का वर्णन

4. कुशल कर्मकार का विवरण:

क्रम संख्या	कुशल कर्मकार का नाम और पिता का नाम	कौशल के क्षेत्र का नाम	कौशल प्रमाण पत्र की संख्या और तिथि

5. मरम्मत किए गए बाट या माप का विवरण:

क्रम संख्या	तिथि	उपयोगकर्ता का नाम जिससे मरम्मत के लिए बाट या माप प्राप्त हुआ	मरम्मत के लिए प्राप्त बाट या माप का वर्णन	प्राप्त मात्रा (संख्या में)	उपयोगकर्ता को जारी की गई रसीद की संख्या तथा तिथि
1	2	3	4	5	6

मरम्मत प्रभार की राशि (₹)	सत्यापन शुल्क की राशि (₹)	सरकार के पास जमा कराई राशि (₹)	उपयोगकर्ता को लौटाई गई मात्रा (संख्या में)	लौटाने के लिए लंबित मात्रा (संख्या में)	टिप्पणी, यदि कोई हो
7	8	9	10	11	12

6. पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन/प्रतिसंहरण करने के आदेशों, यदि कोई हो, का विवरण .....

7. पंजीकरण प्रमाणपत्र के प्रतिसंहरण आदेशों, यदि कोई हो, का विवरण .....

मरम्मतकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

अनुसूची–XVII

[देखिए नियम 7]

बाट या माप के व्यवहारियों द्वारा बनाए रखे जाने वाला रजिस्टर

1. व्यवहारी का नाम और पता .....

2. संपर्क संख्या और ईमेल आईडी .....

3. (i) पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या .....

(ii) पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने की तिथि: .....

(iii) बेचे जा रहे बाट या माप की विवरण:

क्रम संख्या	बाट या माप का वर्णन

4. बाट या माप के बिक्री और संव्यवहार का (मास–वार) एवं (श्रेणी–वार) विवरण:

क्रम संख्या	मास और वर्ष का नाम	बाट या माप का वर्णन	पिछले मास के खाना संख्या 14 से लाया गया अनमोल्ड स्टॉक	मास के दौरान राज्य के भीतर खरीदी गई वस्तुओं की मात्रा (संख्या में) के साथ–साथ आपूर्तिकर्ताओं का विवरण	मास के दौरान राज्य के बाहर से खरीदी गई वस्तुओं की मात्रा (संख्या में) के साथ–साथ आपूर्तिकताओं का विवरण	कुल स्टॉक (4+5+6)	राज्य के भीतर बेची गई मात्रा	
							बेची गई वस्तुओं की संख्या	बीजक संख्या और दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9

राज्य/देश के बाहर बेची गई वस्तुओं की मात्रा			बेची गई कुल वस्तुएं (8+11)	बकाया स्टॉक (7–13)	टिप्पणी, यदि कोई हो
राज्य/देश का नाम	बेची गई वस्तुओं की संख्या	चालान सं. और दिनांक			
10	11	12	13	14	15

*टिप्पण: व्यवहारी को बाट या माप की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग से उपरोक्त प्ररूप में विवरण बनाए रखना है।

5. पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन/प्रतिसंहरण करने के आदेशों, यदि कोई हो, का विवरण .....

6. पंजीकरण प्रमाणपत्र के प्रतिसंहरण आदेशों, यदि कोई हो, का विवरण .....

विक्रेता के हस्ताक्षर और मोहर

UNCOMPLICATE Simplifying Compliance

अनुसूची–XVIII

[देखिए नियम 7]

विनिर्माता द्वारा ऐसी तिमाही के तृतीय मास की अंतिम तिथि से दस दिन के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए प्रस्तुत की जाने वाली नियतकालिक विवरणी

1. विनिर्माता का नामः .....

2. विनिर्माता का पताः .....

3. संपर्क फोन संख्या और ईमेल आईडीः .....

4. ट्रेडमार्क/मोनोग्रामः .....

5. पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्याः .....

6. रिपोर्ट का मासः अप्रैल (तिमाही–ए के लिए)/जुलाई (तिमाही–बी के लिए)/ अक्टूबर(तिमाही–सी के लिए)/जनवरी (तिमाही–डी के लिए)

7. बाट या माप के निर्माण और संव्यवहार का विवरण (कृपया निम्नलिखित तालिका में संबंधित श्रेणियों के लिए अलग से वस्तुवार विवरण दें):

क्रम संख्या	तिमाही (ए/बी/सी/डी) और वर्ष	बाट या माप का वर्णन	पिछली तिमाही के खाना संख्या 13 से लाई गई बिना बिकी वस्तुओं की मात्रा (संख्या में)	तिमाही के दौरान विनिर्मित वस्तुओं की मात्रा (संख्या में)	कुल स्टॉक (4+5)	तिमाही के दौरान राज्य के भीतर बेची गई वस्तुओं की मात्रा (संख्या में)	
						बेची गई वस्तुओं की संख्या	बीजक संख्या और दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8

तिमाही के दौरान राज्य/देश के बाहर बेची गई वस्तुओं की मात्रा (संख्या में)			तिमाही के दौरान बेची गई कुल वस्तुएं (7+10)	बकाया स्टॉक (6–12)	टिप्पणी, यदि कोई हो
राज्य/देश का नाम	बेची गई वस्तुओं की संख्या	चालान सं. और दिनांक			
9	10	11	12	13	14

***टिप्पण** :विनिर्माता को बाट या माप की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग से उपरोक्त प्रारूप में विवरण बनाए रखना है।

स्थानः .....

दिनांकः .....

विनिर्माता के हस्ताक्षर एवं मोहर

अनुसूची–XIX

[देखिए नियम 7]

मरम्मतकर्ता द्वारा ऐसी तिमाही के तृतीय महीने की अंतिम तिथि से दस दिन के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए प्रस्तुत की जाने वाली **नियतकालिक विवरणी**

1. मरम्मतकर्ता का नामः .....

2. मरम्मतकर्ता का पताः .....

3. संपर्क फोन संख्या और ईमेल आईडीः .....

4. पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्याः .....

5. रिपोर्ट का मासः अप्रैल (तिमाही–ए के लिए)/जुलाई (तिमाही–बी के लिए)/अक्टूबर(तिमाही–सी के लिए)/जनवरी (तिमाही–डी के लिए)

6. कुशल कर्मकारों का विवरण

क्रम संख्या	कुशल कर्मकारों का नाम और पिता का नाम	कौशल के क्षेत्र का नाम	कौशल प्रमाणपत्र की संख्या और तिथि

7. मरम्मत किए गए बाट या माप का विवरण (श्रेणी–वार):

क्रम संख्या	तिमाही (ए/बी/सी/डी) और वर्ष	बाट या माप का विवरण	पिछली तिमाही तक विवरणी के लिए लम्बित मात्रा (संख्या में)	तिमाही के दौरान मरम्मत के लिए प्राप्त मात्रा (संख्या में)	तिमाही के दौरान एकत्रित मरम्मत शुल्क की राशि (₹) में)
1	2	3	4	5	6

सत्यापन शुल्क की राशि (₹)		तिमाही के दौरान मरम्मत के बाद लौटाई गई मात्रा (संख्या में)	तिमाही के अंत में विवरणी के लिए लंबित मात्रा (संख्या में)	टिप्पणी, यदि कोई हो
तिमाही के दौरान एकत्रित शुल्क	तिमाही के दौरान सरकार के पास जमा किया गया			
7	8	9	10 (4+5–9)	11

***टिप्पणः मरम्मतकर्ता को बाट या माप की प्रत्येक श्रेणी के लिए उपरोक्त प्रारूप में विवरण अलग से बनाए रखना है।**

स्थानः .....

दिनांकः .....

मरम्मतकर्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर

अनुसूची–XX

[देखिए नियम 7]

व्यवहारी द्वारा ऐसी तिमाही के तृतीय महीने की अंतिम तिथि से दस दिन के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए प्रस्तुत की जाने वाली नियतकालिक विवरणी

1. व्यवहारी का नामः .....

2. व्यवहारी का पताः .....

3. संपर्क फोन संख्या और ईमेल आईडीः .....

4. पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्याः .....

5. रिपोर्ट का मासः अप्रैल (तिमाही–ए के लिए)/जुलाई (तिमाही–बी के लिए)/अक्टूबर(तिमाही–सी के लिए)/जनवरी (तिमाही–डी के लिए)

6. बाट या माप की श्रेणी (कृपया निम्नलिखित तालिका में संबंधित श्रेणियों के लिए अलग से वस्तुवार विवरण दें):

क्रम संख्या	तिमाही (ए/बी/सी/डी) और वर्ष	पिछली तिमाही के खाना संख्या 13 से बिना बिकी वस्तुओं का वर्णन और मात्रा (संख्या में)	आपूर्तिकर्ताओं के विवरण सहित तिमाही के दौरान राज्य के अन्दर खरीदी गई वस्तुओं का वर्णन और मात्रा (संख्या में)	आपूर्तिकताओं के विवरण सहित तिमाही के दौरान राज्य के बाहर खरीदी गई वस्तुओं का वर्णन और मात्रा (संख्या में)	कुल स्टॉक (3+4+5)	राज्य के भीतर बेची गई मात्रा	
						बेची गई वस्तुओं की संख्या	बीजक संख्या और दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8

राज्य/देश के बाहर बेची गई मात्रा			बेची गई कुल वस्तुएं (7+10)	बकाया स्टॉक (6–12)	टिप्पणी, यदि कोई हो
राज्य/देश का नाम	बेची गई वस्तुओं की संख्या	चालान सं. और दिनांक			
9	10	11	12	13	14

***टिप्पणः व्यवहारी को बाट या माप की प्रत्येक श्रेणी के लिए उपरोक्त प्रारूप में विवरण बनाए रखना है।**

स्थानः .....

दिनांकः .....

व्यवहारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

UNOFFICIAL Simplifying Compliance

अनुसूची–XXI

[देखिए नियम 8(1) और 8(2)]

पंजीकरण के निलंबन/प्रतिसंहरण करने के लिए कारण बताओ नोटिस

क्रमांक/आर.ए. (विधिक माप)..... दिनांक.....

सेवा में,

पंजीकृत व्यक्ति का नाम .....

पता .....

पंजीकरण संख्या .....

विषयः **पंजीकरण प्रमाण पत्र के निलंबन/प्रतिसंहरण करने के लिए कारण बताओ नोटिस।**

संदर्भ आपका विनिर्माता/मरम्मतकर्ता/ व्यवहारी पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या..... दिनांक..... विनिर्माता/मरम्मतकर्ता/व्यवहारी के रूप में आपके.....(स्थान) पर किए जा रहे व्यवसाय के संबंध में..... निरीक्षण/औचकनिरीक्षण/शिकायत की तारीख..... के परिणामस्वरूप, पंजीकरण के अधिनियम/नियमों/शर्तों की कथित अनियमितता/खण्डन/उल्लंधन के बारे में मेरे पास यह विश्वास करने के प्रथम दृष्टया कारण हैं कि आपने निम्नलिखित धाराओं/नियमों/शर्तों का उल्लंघन किया है:–

क्रम संख्या (1)	अनियमितताओं/खण्डन/उल्लंघनों की प्रकृति (2)	पंजीकरण प्रमाण पत्र के अधिनियम/नियम/शर्तों की धारा(ओं)/नियम(ओं) (3)

तथापि, इस मामले में आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको अधिनियम/नियमों की धारा/नियम के अनुसार आपके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए के बारे, कारण बताने का अवसर प्रदान करना उचित समझाता हूँ। इस नोटिस पर आपका लिखित उत्तर, इस नोटिस की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरी को पहुंच जाना चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि यदि आपका उत्तर अनुबद्ध अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि आप आपके द्वारा किए गए अधिनियम/नियमों/पंजीकरण की शर्तों के उपरोक्त वर्णित खण्डन/उल्लंघनों/अनियमितताओं से सहमत हैं, और आपके पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन/प्रतिसंहरण करने के लिए एक एकपक्षीय कार्रवाई अधिनियम/नियमों के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी।

पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर,

नाम एवं पदनाम मोहर के साथ

अनुसूची–XXII

[देखिए नियम 12(7) और 13(3)]

सत्यापन प्रमाणपत्र

सत्यापन प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांकः .....

उपयोगकर्ता / विनिर्माता / मरम्मतकर्ता / व्यवहारी का नाम और पता.....

सत्यापन प्राधिकारी का नाम, पदनाम तथा केंद्र का नामः.....

सत्यापन प्राधिकारी की पहचान संख्या .....

मैं इसके द्वारा, प्रमाणित करता / करती हूँ कि मैंने उपरोक्त वर्णित उपयोगकर्ता / विनिर्माता / मरम्मतकर्ता / व्यवहारी से संबंधित निम्नलिखित बाट या माप को सत्यापित किया है एवं मोहर लगाई है अथवा अस्वीकार कर दिया हैः

क्रम संख्या	बाट या माप का स्थान	बाट या माप का विवरण (क्षमता / मूल्यवर्ग / श्रेणी / निर्माण / उपकरण संख्या / मॉडल अनुमोदन संख्या / केफैक्टर आदि)		सत्यापन शुल्क (₹)	परिवहन और / या हैंडलिंग शुल्क आदि (₹), यदि कोई हो	कुल (₹) (5+6)
1	2	3 (सत्यापित और स्टांम्पित)	4 (अस्वीकृत)	5	6	7
कुल (अंकों में)						
कुल योग (खाना 7) (शब्दों में)						

जमा राशि की कोषागार रसीद / नकद रसीद संख्या..... तिथि.....

कोषागार का नाम.....

अगले सत्यापन की तिथि.....

सत्यापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर
मोहर के साथ

टिप्पणः– 1. यह प्रमाणपत्र व्यावसाय परिसर के सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

2. यदि सत्यापन की आगामी तिथि से पहले किसी भी बाट या माप की मरम्मत की जाती है, तो उपयोगकर्ता इसे उपयोग में लाने से पहले विहित फीस के भुगतान पर मरम्मत तथा स्टाम्पन के बाद सत्यापित करवाएगा।

UNCOMPLY CITE Simplifying Compliance

अनुसूची–XXIII

[देखिए नियम 14(1), 14(2), 14(3) तथा 14(4)]

बाट एवं माप के सत्यापन और मोहर लगाने के लिए भुगतान योग्य फीस

क्रम संख्या	सत्यापन और मोहर लगाने के लिए फीस		
1	बाट		
	(क) बुलियन बाट	मूल्य वर्ग	(₹) प्रति भाग
		1 एमजी से 1 किलोग्राम	50
		1 किलोग्राम से ऊपर 10 किलोग्राम तक	100
	(ख) कैरेट बाट	1एमजी (0.005 सी) से 400एमजी (2 सी)	50
		400एमजी (2 सी) से ऊपर 100ग्राम (500 सी) तक	100
	(ग) बेलनाकार दस्ता किस्म बाट	1 ग्राम से 500 ग्राम	20
		1 किलो से 2 किलोग्राम	30
		5 किग्रा से 10 किलोग्राम	50
	(घ) चादरी धातु बाट (बुलियन से भिन्न)	1 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम	20
	(ड) लोहा षट्कोणीय दस्ता किस्म बाट तथा समानान्तर षट्फलक बाटः	1 ग्राम से 500 ग्राम	20
		1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम	30
		5 किलोग्राम से 10 किलोग्राम	50
		20 किलोग्राम से 50 किलोग्राम	100
	(च) उच्च क्षमता तोल मशीन के परीक्षण के लिए मानक बाट	100 किलोग्राम	200
		200 किलोग्राम से 500 किलोग्राम	500
		1000 किलोग्राम	1500
		2000 किलोग्राम से 5000 किलोग्राम	3000
2	माप		
	(क) क्षमता माप	20 लीटर तक	50
		50 लीटर	100
		100 लीटर और उससे अधिक	पहले 100 लीटर के लिए 200 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त 100 लीटर या उसके भाग के लिए 20 रुपए की दर से अधिकतम 10,000/– रुपए के अध्यधीन

UNCOMPLY GATE Simplifying Compliance

	(ख) लम्बाई माप		
	(i) अनम्य	0.5 मीटर से 1 मीटर (अशांकित प्रत्येक सेमी पर)	50
		0.5 मीटर से 2 मीटर (अनाशांकित)	50
	(ii) कपड़ा/प्लास्टिक/बुना हुआ/स्टील टेप	सटीकता वर्ग. I, II, III	5 प्रति मीटर
	(iii) फोल्डिंग स्केल	0.5 मीटर से 1 मीटर	50
	(iv) सर्वेक्षण जंजीर	कोई भी लम्बाई	500
3	डंडी वाली तराजू		
	(क) श्रेणी क और ख	5 किलोग्राम तक	200
		5 किलोग्राम से ऊपर	400
	(ख) श्रेणी ग और घ	50 किलोग्राम तक	100
		50 किलोग्राम से ऊपर	300
4	अस्वचालित तोल उपकरण		
	(क) मैकेनिकल (एनालॉग) और इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी III और IIII	200 किलोग्राम तक	300
		200 किलोग्राम से ऊपर 1 टन तक	500
		1 टन से ऊपर 20 टन तक	2000
		20 टन से ऊपर 100 टन तक	4000
		100 टन से ऊपर	5000
	(ख) मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ग I और II	50 किलोग्राम तक	400
		50 किलोग्राम से ऊपर 200 किलोग्राम तक	600
		200 किलोग्राम से ऊपर 1 टन तक	1000
		1 टन से ऊपर 10 टन तक	3000
		10 टन से ऊपर	6000
5	स्वचालित तोल उपकरण	50 किलोग्राम तक	400
		50 किलोग्राम से ऊपर 200 किलोग्राम तक	600
		200 किलोग्राम से ऊपर 1 टन तक	1000
		1 टन से ऊपर 10 टन तक	3000
		10 टन से ऊपर	6000
6	आयतन मापक उपकरण		
	(क) योगकरण के साथ डिस्पैन्सिग पंप	प्रत्येक नोजल	4000
	(ख) प्रमाणीकरण माप व अन्य उपकरण	50 लीटर तक	500
		50 लीटर से ऊपर 100 लीटर तक	1000
		100 लीटर से अधिक	पहले 100 लीटर के लिए 1000 और प्रत्येक अतिरिक्त 100 लीटर या उसके भाग के लिए 500 अधिकतम 10,000/– रुपये के अध्यधीन

UNCOMPLICATE Simplifying Compliance

7	फ्लो मीटर	100 लीटर/मिनट की प्रवाह दर तक	3000 प्रति ईकाई
		100 लीटर से ऊपर 500 लीटर/मिनट तक	5000 प्रति ईकाई
		500 लीटर/मिनट से अधिक तक	10000 प्रति ईकाई
8	रेखीय मापक उपकरण	ऑटो रिक्शा मीटर	200 प्रति ईकाई
		टैक्सी मीटर	500 प्रति ईकाई
		अन्य मीटर	पहले 1000 मीटर या उसके भाग के लिए 100 और प्रत्येक अतिरिक्त 100 मीटर या भाग के लिए 10 अधिकतम 5000/– रुपये के अध्यधीन
9	चिकित्सा थर्मामीटर	प्रत्येक ईकाई	10
10	पानी का मीटर	प्रत्येक ईकाई	100
11	पैग मापक	प्रत्येक ईकाई	100
12	सीएनजी डिस्पेंसर	प्रत्येक नोजल	4000
13	एलपीजी डिस्पेंसर	प्रत्येक नोजल	4000
14	काउंटर मशीन/काउंटर स्केल	प्रत्येक ईकाई	100
15	योगकरण काउंटर	प्रत्येक ईकाई	1000
16	स्प्रिंग/सारणीबद्ध तुला	10 किलोग्राम तक	50
		10 किलोग्राम से ऊपर	200
17	किचन स्केल	प्रत्येक ईकाई	100
18	व्यक्ति भार मापक मशीन और बाथरूम स्केल	प्रत्येक ईकाई	200
19	बच्चे या शिशु का भार मापक मशीन (स्केल)	प्रत्येक ईकाई	100
20	स्वचालित गतिमान रेल/रोड तोलसेतु (वेब्रिज)	प्रत्येक लोड रिसेप्टर के लिए	5000
		प्रत्येक योगकरण उपकरण के लिए	5000
21	स्वचालित ग्रेविमैट्रिक भारात्मक भराव उपकरण	10 किलोग्राम तक के प्रत्येक लोड रिसेप्टर के लिए	1000
		10 किलोग्राम से ऊपर के प्रत्येक लोड रिसेप्टर के लिए	2000
22	असंतत योगकरण स्वचालित भार मापक उपकरण (योगकरण हॉपर मापक)	प्रत्येक लोड रिसेप्टर के लिए	3000
23	संतत योगकरण भार मापक उपकरण (बेल्ट मापक)	प्रत्येक लोड रिसेप्टर के लिए	3000
24	निरीक्षण भार मापक व भार वर्गीकरण मशीन	प्रत्येक ईकाई	3000
25	स्फिग्मोमैनोमीटर (रक्तचाप मापने की प्रणाली)	प्रत्येक ईकाई	100
26	लोड सैल	5 के एनतक	2000
		5 के एनसे ऊपर	5000
27	गैस मीटर	घरेलू	500
		वाणिज्यिक	2000

		औद्योगिक	2000
28	ऊर्जा मीटर	घरेलू	1000
		वाणिज्यिक	3000
		औद्योगिक	5000
29	आर्द्रता मीटर (डिजिटल)	प्रत्येक ईकाई	1000
	आर्द्रता मीटर (मैनुअल)	प्रत्येक ईकाई	1000
30	वाहनों के लिए गति मीटर	प्रत्येक ईकाई	10000
31	श्वास विश्लेषक	प्रत्येक ईकाई	2500
32	बहु–आयामी (विमितीय) मापक उपकरण	प्रत्येक ईकाई	3000

टिप्पण :– यह सूची केवल निर्देशात्मक है और पूरी नहीं है। राज्य सरकार समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी नए बाट या माप को इसमें शामिल कर सकती है। इसी तरह, सत्यापन फीस भी राज्य सरकार निर्धारित करेगी। अगर कोई ऐसा बाट या माप, जो इस अनुसूची का हिस्सा नहीं है और जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा कोई फीस निर्धारित नहीं किया गया है, तो उस समय तक केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित फीस ही लागू होगी।

UNCOMPLYGATE Simplifying Compliance

अनुसूची–XXIV

[देखिए नियम 14(2)]

बाट एवं माप के सत्यापन तथा स्टाम्पन के लिए देय परिवहन और संचालन प्रभार

क्र0 संख्या	नियम 13(2) के अधीन परिवहन और संचालन प्रभार		
	वर्णन	**ईकाई**	**राशि (₹) में**
1	तोलसेतु	प्रत्येक ईकाई	5000 रुपये और वास्तविक आधार पर ईंधन प्रति निरीक्षण (विजिट)
2	पेट्रोल/डीजल/सीएनजी/एलपीजी/अन्य फिलिंग स्टेशन	प्रत्येक प्रतिष्ठान	2500 रुपये और वास्तविक आधार पर ईंधन प्रति निरीक्षण (विजिट)
3	बाट या माप के विनिर्माता	प्रत्येक प्रतिष्ठान	2500 रुपये और वास्तविक आधार पर ईंधन प्रति निरीक्षण (विजिट)
4	गैर–स्वचालित तौल उपकरण (तोलसेतु से भिन्न)	प्रत्येक प्रतिष्ठान	1000 रुपये और वास्तविक आधार पर ईंधन प्रति निरीक्षण (विजिट)
5	स्वचालित वजन उपकरण/स्वचालित ग्रेविमेट्रिक भराव उपकरण आदि।	प्रत्येक प्रतिष्ठान	2500 रुपये और वास्तविक आधार पर ईंधन प्रति निरीक्षण (विजिट)
6	प्रवाह/बल्क मीटर और भंडारण टैंक आदि।	प्रत्येक प्रतिष्ठान	5000 रुपये और वास्तविक आधार पर ईंधन प्रति निरीक्षण (विजिट)
7	स्वचालित रेल/सड़क तोलसेतु	प्रत्येक ईकाई	5000 रुपये और वास्तविक आधार पर ईंधन प्रति निरीक्षण (विजिट)
8	आयतन मापक उपकरण	प्रत्येक प्रतिष्ठान	5000 रुपये और वास्तविक आधार पर ईंधन प्रति निरीक्षण (विजिट)
9	अन्य	प्रत्येक प्रतिष्ठान	1000 पये और वास्तविक आधार पर ईंधन प्रति निरीक्षण (विजिट)

UNCOMPLYCAT Simplifying compliance

अनुसूची–XXV

[देखिए नियम 15(1)]

फीस रसीद

पुस्तक संख्या..... क्रम संख्या:.....

श्री / श्रीमती / सुश्री / मैसर्ज.....(नाम एवं पता) से (₹) .....की राशि (शब्दों में. .....) सत्यापन फीस / पंजीकरण फीस / प्रशमन फीस / अन्य फीस या प्रभार के रूप में प्राप्त की।

दिनांक:.....

विधिक माप विज्ञान अधिकारी के हस्ताक्षर
मोहर के साथ

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

अनुसूची–XXVI

[देखिए नियम 15(2)]

शुल्क या प्रभार के संग्रहण का रजिस्टर

पुस्तक संख्या..... पृष्ठ क्रम संख्या:.....

विधिक माप विज्ञान अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पहचान संख्याः .....

केंद्र तथा जिला का नाम .....

तिथि	उपयोगकर्ता / विनिर्माता / मरम्मतकर्ता / व्यवहारी / अन्य का नाम एवं पता	सत्यापन प्रमाणपत्र संख्या (जहां भी लागू हो)	बाट या माप का विवरण	एकत्रित शुल्क / प्रभार की किस्म (सत्यापन शुल्क / पंजीकरण शुल्क / अपील के लिए शुल्क / प्रशासन शुल्क / प्रतिभूति जमा / परिवहन शुल्क / हैण्डलिंग शुल्क / अन्य	एकत्रित राशि (₹) में	रसीद संख्या / पुस्तक सं.

कुल एकत्रित राशि (रु.) .....

सरकारी ख़जाने में राशि जमा कराने की रसीद / जीआरएन संख्या (एं).....तिथि.....

इस प्ररूप के पृष्ठ की दूसरी ओर विधिवत् चिपकाई गई कोषागार रसीद की मूल प्रति की सत्यापित प्रति साप्ताहिक आधार पर सहायक नियंत्रक / उप नियंत्रक / नियंत्रक को भेजी जाएगी।

दिनांकः .....

विधिक माप विज्ञान अधिकारी के हस्ताक्षर

मोहर के साथ

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

अनुसूची–XXVII

[देखिए नियम 19]

सुधार नोटिस

नोटिस संख्या..... दिनांक:.....

सेवा में,

.....

.....

विषयः सुधार नोटिस ।

आपके..... (स्थान) पर किए जा रहे व्यवसाय के संबंध में.....निरीक्षण/औचक निरीक्षण/शिकायत तारीख..... के परिणामस्वरूप, मेरे पास यह विश्वास करने के प्रथम दृष्टया कारण है कि आपने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 1) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के संबंध में कथित अनियमितताएं/खण्डन/उल्लंघन करते हुए निम्नलिखित धाराओं/नियमों का उल्लंघन किया है–

क्रम संख्या (1)	अनियमितताओं/खण्डन/उल्लंघनों की प्रकृति (2)	अधिनियम/नियमों की सम्बन्धित धाराएं (3)

2. इसलिए, आपको इसके द्वारा उपरोक्त वर्णित अनियमितताओं/खण्डन/उल्लंघनों को सुधारने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए निर्देशित किया जाता है ताकि इन्हें इस नोटिस के जारी होने की तारीख से सात (7) दिवस के अन्दर विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 1) और इसके अधीन बनाए गए सुसंगत नियमों के उपबन्धों के अनुसार उसे पूरा किया जा सके।

3. आपको उपरोक्त तालिका के खाना संख्या 2 में उल्लिखित अनियमितताओं/खण्डन/उल्लंघनों से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों को तुरंत बंद करने हेतु निर्देशित भी किया जाता है और ऊपरवर्णित पैरा संख्या 2 में उल्लिखित सुधार की अवधि के अन्दर इसे सुधारें।

4. उपरोक्त वर्णित अनुबंध अवधि के अन्दर अनुपालना ना किये जाने की दशा में इसे दूसरा अपराध माना जाएगा और ऐसी घटना में, आप एवं सभी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, उपरोक्त व्यवसाय प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में व्यवसाय संचालित किये जाने के लिए जिम्मेदार होंगे, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 1) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अंतर्गत कार्रवाई के लिए बिना किसी और सूचना के अभियोजन और/या अपराधों के प्रशमन सहित शास्ति आदि, जैसी भी स्थिति हो, के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा, पंजीकरण प्रमाण पत्र और/या सत्यापन प्रमाण पत्र के निलंबन/प्रतिसंहरण करने की कार्रवाई, जो लागू हो, प्रारम्भ भी की जा सकती है।

5. यह नोटिस अनुपालन के उद्देश्य से आपको और उपरोक्त व्यवसाय प्रतिष्ठान से संबंधित सभी व्यक्तियों को यथा विधिवत तामील किया गया समझा जाएगा।

विधिक माप विज्ञान अधिकारी के हस्ताक्षर
मोहर के साथ

अनुसूची–XXVIII

[देखिए नियम 19]

विभिन्न अपराधों के लिए प्रशमन धनराशि

क्रम संख्या	अपराध की स्वरूप एवं धारा	अधिनियम की धारा के अनुरूप शास्ति	प्रशमन फीस (₹) में			
			श्रेणी	प्रथम अपराध	द्वितीय अपराध	तृतीय अथवा पश्चातवर्ती अपराध
1	मानक बाट, माप या संख्यान से भिन्न बाट, माप या संख्या का प्रयोग करना तथा रखना [धारा 8(3)]	25	फेरी वाले	सुधार नोटिस	2500/–	200000/–
			व्यक्तिगत/हिंदू संयुक्त परिवार	सुधार नोटिस	5000/–	200000/–
			स्वामी/ स्वामित्व फर्म/सहभागी/ भागीदारी फर्म	सुधार नोटिस	10000/–	200000/–
			सदस्य समिति/न्यासी/न्यास	सुधार नोटिस	25000/–	200000/–
			निदेशक /कम्पनी सरकारी विभाग/ स्थानीय प्राधिकरण	सुधार नोटिस	100000/–	300000/–
2	बाट या माप में परिवर्तन [धारा 26]	26	फेरी वाले	5000/–	10000/–	अदालत में भरा जाना है
			व्यक्तिगत /हिन्दू संयुक्त परिवार	10000/–	50000/–	अदालत में भरा जाना है
			स्वामी/ स्वामित्व फर्म/सहभागी/ भागीदारी फर्म	25000/–	100000/–	अदालत में भरा जाना है
			सदस्य समिति/न्यासी/न्यास	25000/–	100000/–	अदालत में भरा जाना है
			निर्देशक/ कम्पनी सरकारी विभाग/ स्थानीय प्राधिकरण	50000/–	100000/–	अदालत में भरा जाना है
3	मानकों के अनुरूप नहीं होने वाले बाट या माप का निर्माण या बिक्री [धारा 8(4)]	27	व्यक्तिगत/ हिन्दू संयुक्त परिवार/स्वामी/ स्वामित्व फर्म/सहभागी/ भागीदारी फर्म/ सदस्य /समिति/न्यासी/ न्यास,	सुधार नोटिस	50000/–	300000/–
			निदेशक/ कम्पनी/ सरकारी विभाग/ स्थानीय प्राधिकरण	सुधार नोटिस	100000/–	400000/–
4	विहित से भिन्न बाट माप या संख्या से	28	फेरी वाले	सुधार नोटिस	2500/–	100000/–

UNCOMPLY Simplifying compliance

	वस्तुओं, की श्रेणी,या वचन के संव्यवहार या व्यवहार या अनुबंध [धारा 10]		व्यक्तिगत / हिन्दू संयुक्त परिवार	सुधार नोटिस	10000 / –	100000 / –
			स्वामी / स्वामित्व फर्म / सहभागी / भागीदारी फर्म	सुधार नोटिस	25000 / –	100000 / –
			सदस्य / समिति / न्यासी / न्यास	सुधार नोटिस	30000 / –	150000 / –
			निर्देशक / कम्पनी सरकारी विभाग / स्थानीय प्राधिकरण	सुधार नोटिस	50000 / –	200000 / –
5	बाट, माप या संख्यान के मानक इकाई के रूप से भिन्न उद्गृण या उद्घघोषणा करने या निर्गत करना या मूल्य सूची का प्रदर्शन या मूल्य सूची में परिवर्तन करना [धारा 11]	29	फेरी वाले	सुधार नोटिस	2500 / –	100000 / –
			व्यक्तिगत / हिन्दू संयुक्त परिवार	सुधार नोटिस	10000 / –	100000 / –
			स्वामी / स्वामित्व फर्म / सहभागी / भागीदारी फर्म	सुधार नोटिस	25000 / –	100000 / –
			सदस्य / समिति / न्यासी / न्यास	सुधार नोटिस	30000 / –	150000 / –
			निदेशक / कम्पनी / सरकारी विभाग / स्थानीय प्राधिकरण	सुधार नोटिस	50000 / –	200000 / –
6	कथित वस्तु, चीज या सेवा के सम्बन्ध में संविदा या अन्य करार में बाट, माप या संख्या द्वारा विनिर्दिष्ट मात्रा की अधिकता या से कम किसी भी किस्म की वस्तु, चीज या सेवा की मांग, प्राप्त करने की या मांग यम प्राप्त करवाने की प्रथा, रिवाज, दस्तूर या ढंग [धारा 12]	30	फेरी वाले	1000 / –	5000 / –	अदालत में भरा जाना है
			व्यक्तिगत / हिन्दू संयुक्त परिवार	5000 / –	10000 / –	अदालत में भरा जाना है
			स्वामी / स्वामित्व फर्म / सहभागी / भागीदारी फर्म	10000 / –	20000 / –	अदालत में भरा जाना है
			सदस्य / समिति / न्यासी / न्यास	10000 / –	20000 / –	अदालत में भरा जाना है
			निदेशक / कम्पनी / सरकारी विभाग / स्थानीय प्राधिकरण	10000 / –	20000 / –	अदालत में भरा जाना है
7	विनिर्माता, व्यवहारी व मरम्मकर्ता द्वारा दस्तावेजो को प्रस्तुत न करना तथा अभिलेख, रजिस्टर का अनुरक्षण न करना और मांगे जाने पर बाट, माप दस्तावेज या विहित	31	फेरीवाले	सुधार नोटिस	5000 / –	50000 / –
			व्यक्तिगत / हिन्दू संयुक्त परिवार	सुधार नोटिस	10000 / –	50000 / –
			स्वामी / स्वामित्व फर्म / सहभागी / भागीदारी फर्म	सुधार नोटिस	10000 / –	50000 / –
			सदस्य / समिति / न्यासी / न्यास	सुधार नोटिस	15000 / –	100000 / –

UNCOMPLY CAT Simplifying Compliance

	रजिस्टर का प्रस्तुत न किया जाना [धारा 15(1), 15(2) और 17]		निदेशक / कम्पनी / सरकारी विभाग / स्थानीय प्राधिकरण	सुधार नोटिस	25000 / –	100000 / –
8	असत्यापित बाट या माप के प्रयोग के लिए शास्ति [धारा 24 (1) और 33]	33	फेरीवाले	2000 / –	अदालत में भरा जाना है	
			व्यक्तिगत / हिन्दू संयुक्त परिवार	5000 / –	अदालत में भरा जाना है	
			स्वामी / स्वामित्व फर्म / सहभागी / भागीदारी फर्म	10000 / –	अदालत में भरा जाना है	
			सदस्य / समिति / न्यासी / न्यास	10000 / –	अदालत में भरा जाना है	
			निदेशक / कम्पनी / सरकारी विभाग / स्थानीय प्राधिकरण	10000 / –	अदालत में भरा जाना है	
9	अमानक बाट या माप के द्वारा वस्तुओं का विक्रय या वितरण के लिए शास्ति [धारा 34]	34	फेरीवाले	सुधार नोटिस	1500 / –	50000 / –
			व्यक्तिगत / हिन्दू संयुक्त परिवार	सुधार नोटिस	2500 / –	50000 / –
			स्वामी / स्वामित्व फर्म / सहभागी / भागीदारी फर्म	सुधार नोटिस	10000 / –	50000 / –
			सदस्य / समिति / न्यासी / न्यास	सुधार नोटिस	10000 / –	75000 / –
			निदेशक / कम्पनी / सरकारी विभाग / स्थानीय प्राधिकरण	सुधार हेतू नोटिस	25000 / –	100000 / –
10	अमानक बाट, माप या संख्या द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए शास्ति [धारा 35]	35	फेरीवाले	सुधार नोटिस	1500 / –	50000 / –
			व्यक्तिगत / हिन्दू संयुक्त परिवार	सुधार नोटिस	2500 / –	50000 / –
			स्वामी / स्वामित्व फर्म / सहभागी / भागीदारी फर्म	सुधार नोटिस	10000 / –	50000 / –
			सदस्य / समिति / न्यासी / न्यास	सुधार नोटिस	10000 / –	75000 / –
			निदेशक / कम्पनी / सरकारी विभाग / स्थानीय प्राधिकरण	सुधार नोटिस	25000 / –	100000 / –
11	विनिर्माता / व्यवहारी / खुदरा व्यापारी द्वारा डिब्बा बंद वस्तु के संबंध में	36(1)	फेरीवाले	सुधार नोटिस	5000 / –	2500000 / –
			व्यक्तिगत / हिन्दू संयुक्त परिवार	सुधार नोटिस	20000 / –	2500000 / –

UNCOMPLY CATE Simplifying compliance

	घोषणा का अनुपालन करना [धारा 18(1)]		स्वामी / स्वामित्व फर्म / सहभागी / भागीदारी फर्म	सुधार नोटिस	50000 / –	2500000 / –
			सदस्य समिति / न्यासी / न्यास	सुधार नोटिस	50000 / –	2500000 / –
			निर्देशक कम्पनी सरकारी विभाग स्थानीय प्राधिकरण	सुधार नोटिस	50000 / –	5000000 / –
12	विनिर्माता द्वारा डिब्बा बंद वस्तु में शुद्ध मात्रा मांग का अनुपालन करना [धारा 18(1)]	36(2)	फेरीवाले	10000 / –	25000 / –	50000 / –
			व्यक्तिगत / हिन्दू संयुक्त परिवार	10000 / –	50000 / –	200000 / –
			स्वामी / स्वामित्व फर्म / सहभागी / भागीदारी फर्म	25000 / –	100000 / –	500000 / –
			सदस्य / समिति / न्यासी / न्यास	50000 / –	200000 / –	1000000 / –
			निदेशक / कम्पनी / सरकारी विभाग / स्थानीय प्राधिकरण	100000 / –	500000 / –	5000000 / –
13	मिथ्या सूचना या मिथ्या विवरणियाँ देने के लिए शास्ति [धारा 41]	41(1) और (2)	व्यक्तिगत / हिन्दू संयुक्त परिवार	सुधार नोटिस	1000 / –	200000 / –
			स्वामी / स्वामित्व फर्म / सहभागी / भागीदारी फर्म	सुधार नोटिस	2000 / –	200000 / –
			सदस्य / समिति / न्यासी / न्यास	सुधार नोटिस	3000 / –	300000 / –
			निदेशक / कम्पनी / सरकारी विभाग / स्थानीय प्राधिकरण	सुधार नोटिस	5000 / –	500000 / –
14	पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना बाट या माप के निर्माण के लिए शास्ति [धारा 23 और 45]	45	व्यक्तिगत / हिन्दू संयुक्त परिवार / स्वामी / स्वामित्व फर्म / सहभागी / भागीदारी फर्म / सदस्य / समिति / न्यासी / न्यास	सुधार नोटिस	10000 / –	200000 / –
			निदेशक / कम्पनी / सरकारी विभाग / स्थानीय प्राधिकरण	सुधार नोटिस	20000 / –	500000 / –
15	पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना बाट या माप की मरम्मत या विक्रय करने के लिए शास्ति [धारा 23 और 46]	46	व्यक्तिगत / हिन्दू संयुक्त परिवार / स्वामी / स्वामित्व फर्म / सहभागी / भागीदारी फर्म / सदस्य / समिति / न्यासी / न्यास	सुधार नोटिस	5000 / –	200000 / –
			निदेशक / कम्पनी / सरकारी विभाग / स्थानीय प्राधिकरण	सुधार नोटिस	5000 / –	500000 / –
16	पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ छेड़छाड़	47	व्यक्तिगत / हिन्दू संयुक्त परिवार / स्वामी / स्वामित्व	सुधार नोटिस	10000 / –	200000 / –

UNCOMPLY CATE Simplifying Compliance

	करने के लिए शास्ति [धारा 47]		फर्म / सहभागी / भागीदारी फर्म / सदस्य / समिति / न्यासी / न्यास			
			निदेशक / कम्पनी / सरकारी विभाग / स्थानीय प्राधिकरण	सुधार नोटिस	20000 / –	500000 / –
17	अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन [धारा 52(3) और 53(3)]	52(3), 53(3)	फेरीवाले	2000 / – रुपए, निलंबन या प्रतिसंहरण के कारण।		
			व्यक्तिगत / हिन्दू संयुक्त परिवार	5000 / –रुपए, निलंबन या प्रतिसंहरण के कारण।		
			स्वामी / स्वामित्व फर्म / सहभागी / भागीदारी फर्म	10000 / –रुपए, निलंबन या प्रतिसंहरण के कारण।		
			सदस्य / समिति / न्यासी / न्यास	50000 / –रुपए, निलंबन या प्रतिसंहरण के कारण।		
			निदेशक / कम्पनी / सरकारी विभाग / स्थानीय प्राधिकरण	100000 / –रुपए, निलंबन या प्रतिसंहरण के कारण।		

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

अनुसूची–XXIX

[देखिए नियम 20]

अपील

विधिक माप विज्ञान अधिकारी/नियंत्रक के आदेश के विरूद्ध अपीलः

1. अपीलकर्ता का नाम और पता.....

2. विधिक माप विज्ञान अधिकारी/नियंत्रक के आदेश की संख्या एवं तिथि जिसके विरूद्ध अपील की गई है (आदेश की प्रति संलग्न करें).....

3. क्या अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई चाहता है

.....

4. अपील के आधार (सहायक दस्तावेज संलग्न करें) .....

.....

.....

.....

.....

5. अपील के लिए फीस का विवरण (रसीद/चालान संख्या एवं तिथि).....

तिथि .....

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

अनुसूची–XXX

[देखिए नियम 20]

अपील के लिए फीस

क्रम संख्या	वर्णन	राशि (₹)में
1	नियंत्रक को अपील	2000/- प्रति अपील
2	राज्य सरकार को अपील	5000/- प्रति अपील

.....

अमनीत पी0 कुमार,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग।

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

HARYANA GOVERNMENT

FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

Notification

The 8th October, 2026

No. LM-2026/Enforcement/19662.— The following draft of the rules which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by section 53 of the Legal Metrology Act, 2009 (Central Act 1 of 2010) after consultation with the Central Government is hereby published as required under sub-section (4) of section 53 for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of the rules shall be taken into consideration by the State Government on or after the expiry of a period of one week from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received in writing by the Administrative Secretary to Government, Haryana, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, from any person with respect of the draft of the rules, before the expiry of the period so specified.

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Legal Metrology Act, 2009 (Central Act 1 of 2010);

(b) "Administrative Secretary" means the Administrative Secretary to Government, Haryana, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department;

(c) "appellate authority" means-

(i) the Controller- if the appeal is filed against the orders passed by the concerned Legal Metrology Officer;

(ii) the Administrative Secretary-if the appeal is filed against an order passed by the Controller;

(d) "calibration" means all the operations which are necessary for the purpose of determining the values of the errors of weight or measure and, if necessary, to determine the other metrological properties of such weight or measure and includes the actual fixating of the positions of the gauge marks or scale-marks of a weight or measure, or in some cases, of certain principal marks only, in relations to the corresponding values of the quantity to be measured;

(e) "reference standards laboratory" means a laboratory established by the Central Government, where reference standards, secondary standards and working standards are maintained;

(f) "registered person" means a manufacturer, repairer or dealer registered under rule 5;

(g) "registering authority" means the Controller, Legal Metrology, Haryana or any officer appointed by the State Government not below the rank of Deputy Controller, Legal Metrology;

(h) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;

(i) "self-verification of weight or measure" means the verification of the weight or measure by manufacturer, who is approved as Government Approved Test Centre (GATC) by the Central Government or by the State Government in relation to such weight or measure manufactured by him, in such a manner prescribed by the Act and the rules made thereunder;

(j) "skilled worker" means a person to whom a skill certificate has been issued by the Controller for the repair of weights or measures;

(k) "State Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;

(l) "test weight or measure" means a weight or measure which is a replica of a working sstandard weight or measure in respect of accuracy only

(m) "verifying authority" means the Controller, Legal Metrology Officer or the government approved test centre notified by the Central Government or State Government under the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Use of weight, measure or number in certain cases.

section 10.

3. Any transaction, dealing or contract in respect of any goods, class of goods or undertaking, other than pre-packaged commodities shall be made by weight, measure or number as specified as per Schedule-I.

Disposal of seized weight or measure etc.

section 16 (1).

4. (1) Any unverified weight or measure shall be returned to the person from whom such weight or measure was seized, if that person gets the offence compounded by the Legal Metrology Officer and the same weight or measure is verified and stamped within fifteen days of such return, on payment of such fee as specified in sub-rule (3) of rule 14.

(2) Any weight or measure or article or goods (perishable/speedy natural decay or otherwise) or related documents seized under section 15 of the Act, which are subject to the proceedings in a court and produced by the Legal Metrology Officer before the court, shall be taken possession of by the Legal Metrology Officer after conclusion of the proceedings in the court and dealt with in accordance with the orders of the court:

Provided that in the absence of any orders of the court, the weight or measure or article or goods (perishable/ speedy natural decay or otherwise) or related documents shall be dealt with as the Controller may by a special order direct and the material thereof shall be sold and the proceeds credited to the State Government:

Provided further that if the person, who has committed the offence, refuses to sign the seizure details, the Legal Metrology Officer shall obtain the signatures of at least two persons present at the time of such refusal by the offender. In the case of goods returned to the offender, he shall give an undertaking that he shall not sell the defective goods without rectifying their defects thereon:

Provided further that the Controller or any officer authorized by him in this behalf shall be the final authority to decide whether the goods seized are subject to speedy or natural decay.

(3) Where the goods seized under sub-section (1) of section 15 of the Act are not subject to speedy or natural decay, the Legal Metrology Officer may retain the package for the purpose of prosecution under the Act after serving notice of seizure to the offender or his agent or any other person who has committed the offence.

(4) The goods referred to in sub-rule (2) and (3), which are not subject to proceedings in any court, shall be disposed of after the expiry of ninety days from the date of such seizure, as the Controller may direct by a general or special order.

Registration of manufacturers, repairers and dealers.

section 23 (2).

5. (1) Every manufacturer, repairer or dealer shall submit an application as per Schedule-II, III or IV respectively along with the registration fee as per Schedule-V to the registering authority for grant of registration certificate along with self-declaration:

Provided that in case the applicant for registration as repairer is other than an individual, the copy of certificate of skill as per Schedule-XIV issued by the Controller in respect of either the proprietor, partner, director, member, employee, as the case may be, shall be attached at the time of making the application for registration:

Provided further that in case of change, if any, in the details of the Certificate of Skill so mentioned at the time of registration of the applicant, the same shall be informed to the registering authority failing which the registration shall be deemed to be revoked:

Provided further that repair of any weight or measure manufactured by the manufacturer in a State other than in the State of Haryana, the manufacturer may not need to register it, but the manufacturer shall have to inform the concerned Legal Metrology Officer in advance about carrying out the repairs:

Provided further that such manufacturer, repairer or dealer, who are holder of licences under the Haryana Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011, shall have to apply to the registering authority for grant of registration certificate as per Schedule-II, III or IV, as the case may be, alongwith registration fee as per Schedule-V within six months of the publication of these rules in the Official Gazette:

Provided further that the licence fee previously deposited shall be adjusted to the extent of the remaining period of the licence.

(2) The registering authority, on receipt of an application under sub-rule (1), shall issue a registration certificate to the manufacturer, repairer, or dealer, as the case may be, in Schedule-VI, VII or VIII respectively, as the case may be.

(3) The fee for alteration in the registration certificate or for issuing a duplicate registration certificate shall be half of the registration fee as per Schedule-V.

(4) Every repairer registered under these rules shall deposit the amount as per Schedule-IX as a security deposit with the State Government for each registration certificate.

(5) The registering authority shall maintain a register of manufacturers, repairers, and dealers registered under these rules as per Schedule-X.

(6) Every manufacturer, repairer or dealer registered under these rules shall maintain such workshop/equipment/ tools/register, etc., in accordance with the terms and conditions of the registration certificate or any general or special directions and conditions issued by the Controller.

(7) Every registration certificate issued under these rules shall be displayed by the registered person at a conspicuous place in the premises where the registered person conducts business.

(8) A registration certificate issued under these rules shall neither be saleable nor transferable.

(9) Where the business of any registered person under these rules is transferred by succession, intestate or testamentary, the successor or legal heir of such person, as the case may be, shall not carry on the business either in his name or in any other name unless, before the expiry of a period of sixty days from the date of such transfer, the successor or legal heir applies to the Controller for the issuance of a registration certificate in accordance with these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall be deemed to prohibit the successor or legal heir from carrying on the business as a registered person for the said period of sixty days, and if they apply for such registration, until the registration certificate is granted by the Controller or has been issued notice of refusal as per Schedule-XI:

Provided further that where the business of any registered person under these rules is transferred by sale, gift, lease or otherwise, the transferee or lessee, as the case may be, shall not carry on such business either in his name or in the name of any other person until they have obtained a registration certificate for carrying on such business.

6. (1) A person other than a manufacturer who only repairs weights or measures manufactured by them, shall apply to the Controller for the issuance of a skill certificate as per Schedule-XIII along with the fee as per Schedule-XII:

Skill certificate.

[section 23 (2)]

Provided that a person shall not be eligible to obtain a skill certificate for repairing weights or measures unless he possesses the educational qualifications and technical competence as specified by the Controller by issuing general or special order in this behalf.

(2) The Controller, after receiving the application under sub-rule (1), shall issue a skill certificate to the repairer as per Schedule-XIV.

7. Every manufacturer, repairer or dealer registered under these rules shall maintain records and registers in Schedule-XV, XVI or XVII as the case may be, and shall submit a quarterly periodic report/return to the Controller in Schedule-XVIII, XIX or XX, as the case may be, by the tenth day of the month succeeding each quarter.

Maintenance of records and registers.

section 17

UNOFFICIAL COMPILATION Simplifying Compliance

Suspension and revocation of registration.

section 23 (2)

8. (1) The Controller or such other officer authorized by him on his behalf may, if he has any reasonable cause to believe that the holder of any registration certificate issued under these rules has made any statement in, or in relation to, any application for the issue of such registration certificate, which is incorrect or false in any material particular or has contravened any provisions of law or any provisions of the Act, rules or orders made thereunder, suspend such registration till the completion of an enquiry against the holder of such registration certificate:

Provided that no such registration certificate shall be suspended unless the holder thereof has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action, as per Schedule-XXI:

Provided further that where the enquiry referred to in this sub-rule is not completed within a period of three months from the date of suspension of a registration certificate, such suspension shall, on the expiry of the period aforesaid, stand revoked.

(2) The Controller or such other officer authorized by him on his behalf may, if he is satisfied, after making such enquiry, as he may think fit, that the holder of a registration certificate has made a false or incorrect statement, of the nature referred to in sub-rule (1), or has contravened provisions of law as referred to in that sub-rule, revoke such registration:

Provided that no such registration shall be revoked unless the holder thereof has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action, as per Schedule-XXI.

(3) Every person whose registration has been suspended shall immediately after such suspension, stop functioning as registered person and shall not resume business as such until the order of such suspension has been revoked or stands vacated, as the case may be.

(4) Every registered person whose registration has been revoked shall, within a period of sixty days from the date of such revocation or within such further period not exceeding three months from such date, as the Controller or any other officer authorized by him in this behalf may, on sufficient cause being shown, allow, dispose of the weight or measure which were in his possession, custody or control on the date of such revocation and in the event of his failure to do so, the Controller or any other officer authorized by him, in writing, in this behalf, may seize and dispose of the weight or measure and distribute the proceeds thereof in such manner, as may be specified by the Controller:

Provided that the registered person whose registration has been revoked, has preferred an appeal to the Controller or to the State Government, as the case may be, within sixty days from the date of such revocation and in case any relief has been granted in the appeal so preferred, no action shall be taken as per sub-rule (4).

Maintenance of reference, secondary and working standards/standard balances.

section 24(1).

9. (1) **Reference Standard**- Reference standards shall be kept at such place, in such manner and under such custody as prescribed under the Legal Metrology (National Standards) Rules, 2011.

(2) **Secondary Standard**-

(a) secondary standards shall be kept at such place, in such manner and under such custody as may be specified by the Controller;

(b) number, type and specifications of secondary standards shall be such as prescribed in the Legal Metrology (General) Rules, 2011;

(c) verification of every secondary standard shall be got done in a reference standard laboratory in the manner and at such periodic intervals as prescribed under the Legal Metrology (National Standards) Rules, 2011, and if upon such verification they are found to conform to the standards established by or under the Act, they may be stamped or a verification certificate may be issued, as the case may be.

(3) **Working Standard**-

(a) working standards shall be kept under the custody of the Legal Metrology Officer;

UNCONTROLLED Simplifying Compliance

(b) number, type and specifications of working standards shall be such as prescribed in the Legal Metrology (General) Rules, 2011;

(c) verification of every working standard shall be got done in a reference standard laboratory or secondary standard laboratory in the manner and at such periodic intervals as prescribed under the Legal Metrology (National Standards) Rules, 2011, and if upon such verification they are found to conform to the standards established by or under the Act, they may be stamped or a verification certificate may be issued, as the case may be.

(4) **Secondary Standard Balance**-

(a) set of secondary standard balances shall be maintained at every such place where secondary standard weights are kept;

(b) number, type and specifications of secondary standard balances shall be such as prescribed in the Legal Metrology (General) Rules, 2011;

(c) verification of every secondary standard balance shall be done at least once in a period of twelve months, and if necessary, it shall be adjusted within the limits of sensitivity and other metrological properties prescribed in the Act by a reference standard laboratory or the Controller or any other officer authorized by him in this behalf.

(5) **Working Standard Balance**-

(a) set of working standard balances shall be maintained at every such place where working standard weights are kept;

(b) number, type and specifications of working standard balances shall be such as prescribed in the Legal Metrology (General) Rules, 2011;

(c) verification of every working standard balance shall be done at least once in a period of twelve months, and if necessary, it shall be adjusted within the limits of sensitivity and other metrological properties prescribed in the Legal Metrology (General) Rules, 2011 by a reference standard laboratory or at any such place where secondary standards are maintained.

Physical characteristics, shape and structural details of weight or measure. section 24(1).

10. Every such weight or measure which is used or intended to be used in any transaction or for protection, its physical characteristics, shape, structural details, material, workmanship, tolerance limits and such other details shall conform to the specifications prescribed under the Act or the Legal Metrology (General) Rules, 2011.

Use of bullion weights, carat weights etc. section 24(1).

11. (1) No weight other than bullion weights as specified in the Legal Metrology (General) Rules, 2011, shall be used in any transaction in bullion including ornaments made of gold, silver, platinum and palladium etc.

(2) No weight other than carat weights as specified in the Legal Metrology (General) Rules, 2011, shall be used in any transaction of precious stones.

(3) In every cash memo, invoice, bill or estimate slip, both carat weight units and units specified by the International System of Units, i.e., kilogram, gram or milligram, as the case may be, shall be mentioned for quantity in respect of any transaction of precious stones.

(4) In the cash memo, invoice, bill or estimate slip, in respect of every transaction in bullion, the user of weighing instruments shall mention the net bullion weight and the purity of precious metals like gold, silver, platinum, palladium etc. according to "carat" or "parts per thousand", as the case may be, along with separate amounts for precious metal and precious stones:

Provided that in every transaction relating to the purchase of old precious metals like gold, silver, platinum, palladium etc. or ornaments of such old precious metals by the user of weighing instruments from consumers, such user shall mention the purity of such old precious metals or ornaments of old precious metals, as the case may be, according to "carat" or "parts per thousand" in the cash memo, invoice, bill or estimate slip before and after the completion of the transaction, along with net bullion weight and amount separately for precious metal and precious stones.

(5) Only non-automatic weighing instruments of Class A or Class B beam scale or High Accuracy Class (Class-II) or Special Accuracy Class (Class-A) specified in the Legal Metrology (General) Rules, 2011, which have a verification scale interval of one milligram or less, shall be used in any transaction specified in sub-rules (1) and (2).

(6) The Legal Metrology Officer may inspect and test the purity of any precious metal sold in any transaction in bullion according to "carat" or "parts per thousand", as the case may be, using such method as specified by the Controller. For the purpose of inspection and testing, the Legal Metrology Officer may be supplied with such instruments by the Controller as may be necessary.

Verification and inspection of weight or measure. section 24(1).

12. (1) Every person using any weight or measure in any transaction or for protection shall present such weight or measure for verification on or before the date on which verification is required, at the office of the verifying authority in whose jurisdiction it is used, or at such other place as the verifying authority may specify in this behalf:

Provided that such manufacturer who has been approved as a Government Approved Test Centre by the Central Government or State Government shall be eligible for self-verification of weights or measures manufactured by him:

Provided further that where any weight or measure is of such nature that it cannot be moved or should not be moved from its place, the person using such weight or measure shall report to the verifying authority at least thirty days before the date on which verification is required.

(2) Where any weight or measure is of such nature that it cannot be moved or should not be moved from its place, the verifying authority shall take necessary steps to verify such weight or measure at the place of its location.

(3) For the verification of weights or measures specified in sub-rule (2), the user shall provide such facilities as may be specified by the Controller.

(4) Every weight or measure presented for verification shall be complete in itself, which also includes the seal.

(5) Every weight or measure shall be verified in a clean condition, and if necessary, the verifying authority shall require the owner or user to make necessary arrangements for this purpose.

(6) Any Legal Metrology Officer may, as often as possible, visit any premises within his jurisdiction to inspect and test any pre-packed commodity, weight or measure which is being used, intended to be used, or likely to be used in any transaction or for protection. The Legal Metrology Officer may use test weights or measures, standard weights or measures, working the purpose of verification or inspection.

(7) Before the verification of any weight or measure, the user shall present the model approval certificate issued by the Central Government to the Verifying Authority. The user of such weight or measure shall maintain a copy of such model approval certificate. The Verifying Authority shall also include the number of such model approval certificate in the verification certificate as prescribed as per Schedule-XXII.

(8) The validity of the certificate of verification and the periodic intervals for verification of any weight or measure shall be such as prescribed in the Legal Metrology (General) Rules, 2011.

Stamping of weight or measure. section 24(1).

13. (1) The verifying authority, if satisfied after verification that such weight or measure conforms to the standards established by or under the Act, shall affix a stamp of uniform design issued by the competent authority of the Central Government or the State Government, as the case may be, on every weight or measure. For administrative purposes, this stamp shall indicate the number allotted to the verifying authority by whom it is stamped:

Provided that if due to the size or nature of any weight or measure it is not desirable or practicable to affix a stamp on it, the verifying authority shall take such action as directed in writing by the Controller by general or special order.

LEGALCAT UNOFFICIAL Simplifying compliance

(2) The verifying authority shall mark the year of stamping and its quarter on every verified weight or measure, except when it is impracticable to do so due to the size or nature of such weight or measure.

Explanation: A year shall consist of four quarters, where the first quarter shall be of the months of January, February, and March which shall be marked as 'A' , the second quarter shall be of the months of April, May, and June which shall be marked as 'B' , the third quarter shall be of the months of July, August, and September which shall be marked as 'C', and the fourth quarter shall be of the months of October, November, and December which shall be marked as 'D'.

(3) On completion of verification and stamping, the verifying authority shall issue a certificate of verification in the format specified as per Schedule-XXII:

Provided that where verification has been done by a Government Approved Test Centre, the verification mark and certificate shall be such as prescribed in the Legal Metrology (Government Approved Test Centres) Rules, 2013 and the rules made by the State Government in this behalf from time to time.

(4) Any weight or measure rejected upon verification shall be returned to the user for necessary repairs, and after repair, such weight or measure may be accepted afresh for verification upon payment of the verification fee.

(5) Where a certificate of verification is lost, destroyed, or defaced, the holder of such certificate shall immediately apply to the verifying authority who issued the certificate for the issuance of a duplicate certificate of verification, in the manner specified by the Controller, along with a fee which shall be five hundred rupees or equivalent to one-tenth of the verification fee chargeable at the time of verification, whichever is higher.

(6) Upon receipt of an application under sub-rule (5), the verifying authority shall issue a duplicate (copy) certificate of verification to the applicant.

Fees for verification and/or stamping section 24 (1).

14. (1) In the case of a Legal Metrology Officer, the fee payable for the verification and/or stamping of any weight or measure shall be as per Schedule-XXIII. In the case of a Government Approved Test Centre (GATC), the fee payable for the verification and/or stamping of any weight or measure shall be in accordance with the Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013, or as per the rules prescribed by the State Government from time to time in this regard.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if at the request of the user, the verification of a weight or measure is required to be carried out at a location other than the office of the verifying authority, then:

In the case of a Legal Metrology Officer, the user shall pay one and a half times (1.5x) the fee as per Schedule-XXIII for the verification and/or stamping of such weight or measure, and shall also provide all other necessary facilities required for the said verification and stamping.

In the case of a Government Approved Test Centre, the fee payable by the user for the verification and/or stamping of any weight or measure shall be as prescribed under the Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013, or the rules prescribed by the State Government from time to time in this regard:

Provided that if the user fails to provide the necessary facilities required for the verification and/or stamping of the weight or measure, the verifying authority shall charge the user transportation and handling charges as per Schedule-XXIV, the Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013, or the rules framed by the State Government from time to time in this regard:

Provided further that no additional fee shall be charged for the verification and/or stamping of the following weights or measures in situ (on-site), namely:-

(i) vehicle tanks for petroleum products and other liquids; measuring systems for liquids other than water (such as fuel dispensers, liquefied petroleum gas (LPG) dispensers, milk dispensers); compressed natural gas (CNG) dispensers; non-automatic weighing instruments such as weighbridges (Dharamkanta), platform machines, crane scales; automatic gravimetric filling instruments; automatic rail-weighbridges; automatic discontinuous totalizing weighing instruments; and such other weights or measures which cannot or should not be moved from their location.

(ii) weights or measures located within the premises of a manufacturer or dealer of such weights or measures.

(3) If, after the expiry of the validity of the verification and/or stamping certificate, a weight or measure is presented to the verifying authority for re-verification and/or re-stamping, the fee charged for such re-verification and/or re-stamping for the first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter, or any part thereof, shall be one and a half times (1.5x), two times (2x), two and a half times (2.5x), and three times (3x) the fee as per Schedule-XXIII respectively, and shall continue to be charged progressively in the same manner.

(4) If any weight or measure is found to be incorrect/defective at the time of verification or inspection, the concerned person shall be informed of the defects found in the weight or measure. The weight or measure shall be returned to them to rectify the defects and adjust it within a period not exceeding eight (8) days. After the necessary adjustments are made, and upon being found correct, such weight or measure shall be verified and/or stamped upon payment of the standard fee as per Schedule-XXIII.

Collection of fees and deposition into the treasury.

section 24(1).

15. (1) The fee collected from any person by the Legal Metrology Officer for verification and/or stamping shall be deposited into the Government Treasury under the appropriate accounting head. The officer shall issue a receipt to the concerned person in the format as per Schedule-XXV, forward a copy of such receipt to the Controller, and retain one copy in the official records.

(2) The Legal Metrology Officer shall maintain a register for fees and charges in the format as per Schedule-XXVI, in which the details of the fees and charges collected day-to-day shall be entered.

Validity of duly verified and/or stamped weight or measures.

section 24(1)

16. (1) Any weight or measure, which has been duly verified and/or stamped under these rules, shall be deemed to conform to the standards established by or under the Act at every place within the State of Haryana, unless it is found upon inspection or testing that such weight or measure no longer conforms to the standards established by or under the Act.

(2) A weight or measure, which is duly verified and/or stamped under the Act, or is deemed to have been verified and/or stamped, shall not require re-verification and/or re-stamping merely by reason of the fact that it is being used at any other place within the State of Haryana different from the place where it was originally verified and stamped:

Provided that where a verified weight or measure installed at one location is dismantled and re-installed at another location, such weight or measure shall not be brought into use until it has been duly re-verified and/or re-stamped, or a certificate of verification and/or stamping has been issued, as the case may be, notwithstanding that the periodic verification and/or stamping of such weight or measure has not become due:

Provided further that where a weight or measure has been repaired at a place/location other than the place where it is to be used, the repairer, before delivering such weight or measure duly repaired by him to the user, shall produce it for verification and/or stamping before the Legal Metrology Officer under whose jurisdiction it is to be brought into use, notwithstanding that the periodic verification and/or stamping of such weight or measure has not become due.

Supply of working standards, secondary standards, equipment, etc.

section 24(1)

17. (1) The Legal Metrology Officer shall be provided with working standard weights or measures/secondary standard weights or measures, test weights or measures, working standard balances, secondary standard balances, and such other equipment, including other weight or measure instruments, as may be approved by the Controller, from time to time.

(2) Each Legal Metrology Officer shall be provided with such dies, punches, paper seals, stickers, and other equipment as may be necessary for affixing verification stamps, the design and quantity of which shall be approved by the Controller.

(3) Each Legal Metrology Officer shall be provided with punches of an appropriate size of an octagon star die for obliterating stamps.

Use of weights, measures, etc. section 24(1)

18. (1) Every person using a beam scale (hanging scale) in any transaction within his premises shall suspend the scale from a stand or hook by a chain:

Provided that the said sub-rule shall not apply to an itinerant vendor (mobile vendor).

(2) Every weight or measure shall be used in a clean condition and under proper lighting arrangements.

(3) No weight or measure, which has been duly verified and/or stamped, shall be dismantled or removed from its place without the written permission of the Controller or the concerned Legal Metrology Officer.

(4) All components, parts, or points of a weight or measure, which are susceptible to fraudulent manipulation or tampering, shall be securely sealed after verification, wherever applicable.

(5) To ensure proper testing of the accuracy of a weighing instrument, the user shall maintain, at the location of each measuring instrument, duly verified and/or stamped weights equal to one-tenth of the capacity of the instrument or one thousand kilograms, whichever is less. The user shall test the weighing instrument with these weights every day to ensure correct weight. In the case of any error exceeding the permissible limits, the user shall stop using such weighing instrument and inform the concerned Legal Metrology Officer for its re-verification and/or re-stamping. A consumer may also check the accuracy of the weighing instrument:

Provided that the Controller may specify the total number of verified and/or stamped weights to be maintained in business premises where the number of weighing instruments is more than one.

(6) To ensure proper delivery from a retail petrol/diesel unit, the retail dealer shall keep a five litres capacity measure verified by the concerned Legal Metrology Officer in their pump premises and shall daily check the discharge of petrol/diesel from each nozzle to ensure correct delivery. In the case of short delivery of petrol/diesel from the nozzle of any petrol/diesel unit, the retail dealer shall immediately stop delivery of petrol/diesel from the said nozzle and inform the concerned Legal Metrology Officer for re-verification of that petrol/diesel unit.

(7) The user shall utilize a test verification apparatus for all CNG, LNG, LPG, Hydrogen, and other gaseous fuel dispensers and shall also comply with the procedure laid down in the Legal Metrology (General) Rules, 2011, the Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013, and the rules to be framed by the State Government in this regard.

(8) The Controller or the concerned Legal Metrology Officer may require the production of any document, other record, or information relating to any weight or measure or pre-packaged commodity from the person having custody of such weight or measure or pre-packaged commodity and the said person shall comply with such demand.

(9) If the user intends to sell any weight or measure owned and used by him, he shall obtain the permission of the Controller or the concerned Legal Metrology Officer prior to selling the said weight or measure.

(10) Every trader using any weight or measure in any transaction shall issue a bill or receipt to every consumer, showing the details of the quantity of goods sold or purchased and the amount charged for the goods.

Compounding amount for compounding of offences. section 48(1) and section 53(2)(f)

19. The compounding amount for the compounding of offences committed under the Act or the rules made thereunder shall be as per Schedule-XXVIII. The compounding amount shall be deposited into the government treasury under the appropriate "Head of Account":

Provided that any person who violates the provisions of the Act or the rules made thereunder shall be issued an improvement notice as per Schedule-XXVII in respect of the said violation, wherever applicable.

Appeal. section 50

20. An appeal against any action taken or any order passed under the provisions of this Act or these rules shall be made to the concerned appellate authority in Schedule-XXIX, along with the fee as per Schedule-XXX.

Penalty. section 53(3)

21. Whoever violates any provision of these rules, for the violation of which no penalty has been provided in the Act, shall be liable to such penalty which may extend to one lakh rupees. In addition to the above, suspension or revocation of the registration certificate or verification certificate, as the case may be, shall also be carried out.

Amendment of Schedules.

22. The State Government may, by order, amend the Schedules appended to these rules.

Repeal and savings.

23. The Haryana Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 are hereby repealed:

Provided that anything done or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SCHEDULE-I

[see rule 3]

A	**Use of weight, measure or number in commodities except specified in part B (other than packaged commodities)** (a) weight, if the commodity is sold as solid, semi-solid, viscous or a mixture of solid and liquid; (b) length, if the commodity is sold by linear measure; (c) area, if the commodity is sold by area measure; (d) volume, if the commodity is sold as liquid or sold by cubic measure; or (e) number, if the commodity is sold by number.		
B	**The following commodities (other than packaged commodities) may be sold by weight, measure or number as shown against the commodity:**		
	Sr. No.	**Commodity**	**Whether declaration to be expressed in terms of weight, measure or number or two or more of them.**
	1	Aerosol products	Weight
	2	Acids in liquid form	Weight or volume
	3	Autogas (Liquid Petroleum Gas for automobiles)	Volume
	4	Compressed or liquefied gas (but not liquefied petroleum gas)	Weight and equivalent volume at stated temperature and pressure.
	5	Compressed Natural Gas	Weight
	6	Liquid Nitrogen	Weight or Volume
	7	Liquefied Natural Gas	Weight
	8	Butter (including peanut butter), Cheese, curd, ghee	Weight
	9	Electric cables, Electric wire, Fencing wire	Length or Weight
	10	Fruits and vegetables	Number or Weight
	11	Furnace oil	Weight or Volume
	12	Hair oil (un-perfumed)	Weight or Volume
	13	Heavy residual fuel oil	Weight
	14	Honey, malt extract, golden syrup treacle, molasses	Weight
	15	Ice cream and other similar frozen products	Weight
	16	Industrial diesel fuel	Volume
	17	Linseed oil and other vegetable oils	Weight or Volume
	18	Liquid chemicals	Weight or Volume
	19	Liquid petroleum gas	Weight
	20	Nails, wood screws	Number or Weight
	21	Paint (other than paste paints or solid paint), varnish and varnish stairs, enamels	Volume
	22	"Papad"	Number and Weight
	23	"Samosa", "Kachori", "Golgappa", "Tikki", "Dosa", "Idli", "Litti"	Number
	24	Tea, Coffee, Juice, Drinks (including soft drinks)	Volume or Number (With declared volume)
	25	Salad, Cooked Daal/Vegetable Dishes/Biryani	Weight or Number (With declared weight)
	26	Paste paint, solid paint	Weight
	27	Plastic or ceramic or metal goods	Weight or Number
	28	Sweets	Weight or Number
	29	Savouries,	Weight
	30	Popcorn, Sweet Corn	Weight or Number (With declared weight)
	31	Readymade garments	Number and size
	32	Sauces, all kinds	Weight
	33	Steel and Iron	Weight (With dimensions)
	34	Textiles	Weight or Length
	35	Tyres and tubes	Number
	36	Yarn	Weight or Length of Yarn

SCHEDULE-II

[see rule 5 (1)]

APPLICATION FOR REGISTRATION AS MANUFACTURER

To

Sr. No.	Particulars of the item	To be filled by the Applicant	Comments of the Legal Metrology Officer
1	Category of the Applicant (Individual/ HUF/ Firm/ Company/ Society/ Dept./ Trust/ Others)		
2	Name of the Applicant (fill name of Firm/ Company etc. in case of HUF/ Firm/ Company/ Society/ Dept./ Trust/ Others)		
3	a) Address of the Applicant with proof. b) Address of the Manufacturing unit (if the address of the registered office is different) c) Whether premises are owned/ rented/ taken on lease (duly supported by documents).		
4	Date of Establishment (in case of Firm/ Company/ Society/ Dept./ Trust/Others)		
5	Name(s), Aadhar Number and address(es) with proof, of Individual/ Proprietor/ Partners/ Director(s)/ Member(s), as applicable		
6	a) Registration Number of VAT/GST b) Registration Number of Professional Tax, if applicable c) PAN/TAN details		
7	Nature of manufacturing or other activities at the manufacturing unit for which registration is applied.		
8	Categories of weight or measure proposed to be manufactured (details of each Category to be given): (a) Weights of all types (b) Capacity Measures, Length Measures etc. (c) Beam Scales, Counter Scale etc. (d) Non-Automatic Weighing Instruments (e) Automatic Weighing Instruments (f) Volumetric Measuring Instruments (g) Others {As per Schedule-X of these Rules and the Schedules appended to the Legal Metrology (General) Rules, 2011}		
9	The number of persons employed/ proposed to be employed. (i) Skilled (ii) Other than Skilled		

HR COMPLYCATE Simplifying Compliance

10	a) The monogram or trademark intended to be imprinted on weight or measure to be manufactured. b) Whether the trademark is registered or not? If yes, give details.		
11	Details of machinery, tools, accessories used for manufacturing of Weight or Measure.		
12	Availability of electricity connection. Give details.		
13	Have you previously applied for a Manufacturer's License/ Registration Certificate, either in this State or elsewhere? If yes, give details.		
14	(a) Details of Model Approval Certificates obtained from Government of India for the item(s) proposed to be manufactured, (b) Whether the item(s) proposed to be manufactured will be sold within the State or out of the State or both.		
15	Details of registration fee deposited (as specified in the Schedule-X): (a) Amount (₹) (b) GRN No. (c) CIN No. (d) Date		

Declaration by the applicant

It is hereby declared that I/ We have read the Legal Metrology Act, 2009, the Haryana Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2026, and any other Rules made under the Act. I/We agree to abide by all the provisions of the Act and the Rules aforementioned, and also the administrative orders and instructions issued or to be issued thereunder.

All the information furnished above is true and correct to the best of my/our knowledge and nothing herein has been concealed. In case the above facts/information are found to be false or incorrect at any stage, I/we will be liable to face any action as per law.

Place: .....
Date: .....

Signature, Name and Designation
of the Authorized Signatory

UNCOMPLYCAT Simplifying Compliance

SCHEDULE-III

[see rule 5 (1)]

APPLICATION FOR REGISTRATION AS REPAIRER

To

Sr. No.	Particulars of the item	To be filled by the Applicant	Comments of the Legal Metrology Officer
1	Category of the Applicant (Individual/ HUF/ Firm/ Company/ Society/ Dept./ Trust/ Others)		
2	Name of the Applicant (fill name of Firm/ Company etc. in case of HUF/ Firm/ Company/ Society/ Dept./ Trust/ Others)		
3	a) Address of the Applicant with proof. b) Address of the Workshop/Repairing unit (if the address of the registered office is different) c) Whether premises are owned/ rented/ taken on lease, (duly supported by documents).		
4	Date of Establishment (in case of Firm/ Company/ Society/ Dept./ Trust/ Others)		
5	Name(s), Aadhar Number and address(es) with proof, of Individual/ Proprietor/ Partners/ Director(s)/Member(s), as applicable		
6	a) Registration Number of VAT/GST b) Registration Number of Professional Tax, if applicable c) PAN/TAN details		
7	Categories of weight or measure proposed to be repaired (details of each Category to be given): (a) Weights of all types (b) Capacity Measures, Length Measures etc. {other than items mentioned at Sr. No.(g) & (h) below} (c) Beam Scales, Counter Scale etc. (d) Non-Automatic Weighing Instruments Class-I & II {other than items mentioned at Sr. No.(i) below} (e) Non-Automatic Weighing Instruments Class-III & IIII {other than items mentioned at Sr. No.(i) below} (f) Automatic Weighing Instruments (g) Tank Lorry (h) Storage Tanks (i) Weigh Bridge (j) Volumetric Measuring Instruments (k) Others {As per Schedule-X of these Rules and the Schedules appended to the Legal Metrology (General) Rules, 2011}		
8	The number of persons employed/ proposed to be employed. (i) Skilled		

UNOFFICIAL COPY Simplifying compliance

	(ii) Other than Skilled					
9	Area of operation: a) Centre (Area of the Legal Metrology Officer in whose jurisdiction, the workshop of the Repairer is situated) b) Whole District (if there are more than one Centres in a District) c) Whole State					
10	Details of Certificate of Skill issued by the Controller					
11	Details of machinery, tools, accessories used for repairing of Weight or Measure.					
12	Availability of electricity connection. Give details.					
13	Have you sufficient stock of verified Test Weights and Measures etc.? Give details.					
14	Have you previously applied for Repairer's License/ Registration Certificate, either in this State or elsewhere? If yes, give details.					
15	Details of Skilled Workers					
	Sr. No.	Name & Father's name of the Skilled Worker	Name of the field of skill	Number & Date of Certificate of Skill		
16	Details of registration fee deposited (as specified in the Schedule-X): (a) Amount(₹) (b) GRN No. (c) CIN No. (d) Date					

Declaration by the applicant

It is hereby declared that I/ We have read the Legal Metrology Act, 2009, the Haryana Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2026, and any other Rules made under the Act. I/We agree to abide by all the provisions of the Act and the Rules aforementioned, and also the administrative orders and instructions issued or to be issued thereunder.

All the information furnished above is true and correct to the best of my/our knowledge and nothing herein has been concealed. In case the above facts/information are found to be false or incorrect at any stage, I/we will be liable to face any action as per law.

Place: ……
Date: ……

Signature, Name and Designation
of the Authorized Signatory

UNOFFICIAL COMPLIANCE Simplifying Compliance

SCHEDULE-IV

[see rule 5 (1)]

APPLICATION FOR REGISTRATION AS DEALER

To

Sr. No.	Particulars of the item	To be filled by the Applicant	Comments of the Legal Metrology Officer
1	Category of the Applicant (Individual/ HUF/ Firm/ Company/ Society/ Dept./ Trust/ Others)		
2	Name of the Applicant (fill name of Firm/ Company etc. in case of HUF/ Firm/ Company/ Society/ Dept./ Trust/ Others)		
3	a) Address of the Applicant with proof. b) Address of the Shop/Establishment (if the address of the registered office is different) c) Whether premises are owned/ rented/ taken on lease (duly supported by documents).		
4	Date of Establishment (in case of Firm/ Company/ Society/ Dept./ Trust/Others)		
5	Name(s), Aadhar Number and address(es) with proof, of Individual/ Proprietor/ Partners/ Director(s)/Member(s) as applicable		
6	Registration Number of VAT/GST Registration Number of Professional Tax, if applicable PAN/TAN details		
7	Categories of weight or measure proposed to be sold (details of each Category to be given): (a) Weights (b) Capacity Measures, Length Measures etc. (c) Beam Scales, Counter Scale etc. (d) Non-Automatic Weighing Instruments (e) Automatic Weighing Instruments (f) Volumetric Measuring Instruments (g) Others {As per Schedule-X of these Rules and the Schedules appended to the Legal Metrology (General) Rules, 2011}		
8	Do you intend to sale Weight or Measure etc., brought/imported from places outside the State/Country? If so, indicate source of supply and provide: (a) Details of Manufacturer's Trademark/ Monogram and Registration Certificate Details. (b) Registration Number of Importer of Weight or Measure, if any. (c) Details of Approval of Model by Central Government.		
9	Have you previously applied for a Dealer's License/Registration Certificate, either in this State or elsewhere? If yes, give details.		

UNCOMPLYCATE simplifying compliance

10	Details of registration fee deposited (as specified in the Schedule-X): (a) Amount(₹) (b) GRN No. (c) CIN No. (d) Date		

Declaration by the applicant

It is hereby declared that I/ We have read the Legal Metrology Act, 2009, the Haryana Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2026, and any other Rules made under the Act. I/We agree to abide by all the provisions of the Act and the Rules aforementioned, and also the administrative orders and instructions issued or to be issued thereunder.

All the information furnished above is true and correct to the best of my/our knowledge and nothing herein has been concealed. In case the above facts/information are found to be false or incorrect at any stage, I/we will be liable to face any action as per law.

Place: ……
Date: ……

Signature, Name and Designation
of the Authorized Signatory

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SCHEDULE-V

[see rule 5(1) and 5(3)]

Registration Fees for Manufacturers, Repairers & Dealers of Weights & Measures.

Sr. No.	Registration Fee	Amount in (₹)
1.	For Manufacturer	50000/- for each category/Model of Weight or Measure
2.	For Repairer	i) 20000/- for each category/ accuracy class of Weight or Measure for a Centre ii) 50000/- for each category/ accuracy class of Weight or Measure for a District where there are more than one centres iii) 150000/- for each category/ accuracy class of Weight or Measure for the State
3.	For Dealer	20000/- for all categories of Weight or Measure

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SCHEDULE-VI

[see rule 5 (2)]

REGISTRATION CERTIFICATE TO MANUFACTURE WEIGHT OR MEASURE

No……../ Year :……..

1. The Certificate of Registration is hereby granted to…… {(name and address of the registered person(s)} to Manufacture the following categories of Weight or Measure:-

Sr. No.	Description of Weight or Measure

2. The Registration Certificate is valid only for the applicant referred above in respect of their manufacturing unit located at ……..….

3. The Manufacturer shall comply with the terms and conditions noted below. In case of failure to do so, this Registration Certificate is liable to be revoked.

4. The trademark/monogram being used by the Manufacturer is as under……

TERMS AND CONDITIONS OF REGISTRATION:

A. The registered person(s), in whose favour this Registration Certificate is issued, shall. -

(a) comply with all the relevant provisions of the Act and Rules made thereunder as amended from time to time;

(b) not encourage or countenance any infringement of the provisions of the Act or the Rules made thereunder as amended from time to time;

(c) exhibit this Registration Certificate in some conspicuous part of the premises to which it relates;

(d) comply with any general or special directions that may be given by the Controller;

(e) stop functioning as Manufacturer and shall not resume business as such until the suspension, if any, of this registration stands vacated;

(f) surrender the Registration Certificate in the event of closure of business and/ or revocation of Registration Certificate;

(g) present the weight or measure, as the case may be, manufactured and meant for use within the State or outside the State, to the Verifying Authority in whose jurisdiction it is to be put into use or as may be directed by the Controller, for verification and stamping before sale.

B. Any change in the constitution of the Registered Person(s) other than the individual shall be reported to the Registering Authority immediately but not later than 30 days.

C. Nothing in this Rule shall confer on the Registered Person(s) any assignable or transmissible right.

D. Every condition prescribed after the issue of this Registration Certificate shall be binding on the person(s) to whom the Registration Certificate has been granted.

Note: In case of the registered person(s) other than an individual, the terms and conditions mentioned above shall also be binding on all persons having any interest in the business of such registered person(s).

Place ……..
Date ……..

(Signature)
Name & Designation of the Registering Authority
(With Seal)

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SCHEDULE-VII

[see rule 5 (2)]

REGISTRATION CERTIFICATE TO REPAIR WEIGHT OR MEASURE

No……../ Year :……..

1. The Certificate of Registration is hereby granted to…… {(name and address of the registered person(s)} to Repair the following categories of weight or measure:-

Sr. No.	Description of Weight or Measure

2. The Registration Certificate is valid only for the applicant referred above in respect of their Workshop/ Repairing unit located at …….
3. The Repairer shall comply with the terms and conditions noted below. In case of failure to do so, this Registration Certificate is liable to revoked.
4. The Registered Person is authorized to repair weight or measure of the description mentioned at Sr. No. 1 above in the area(s) mentioned below: …….
5. Details of Skilled Worker(s) and Certificate of Skill:-

Sr. No.	Name & Father's name of the Skilled Worker	Name of the field of skill	Number & Date of Certificate of Skill

TERMS AND CONDITIONS OF REGISTRATION:

A. The registered person(s), in whose favour this Registration Certificate is issued, shall. -

(a) comply with all the relevant provisions of the Act and Rules made thereunder as amended from time to time;

(b) not encourage or countenance any infringement of the provisions of the Act or the Rules made thereunder as amended from time to time;

(c) exhibit this Registration Certificate in some conspicuous part of the premises to which it relates;

(d) comply with any general or special directions that may be given by the Controller;

(e) stop functioning as Repairer and shall not resume business as such until the suspension, if any, of this registration stands vacated;

(f) surrender the Registration Certificate in the event of closure of business and/ or revocation of Registration Certificate;

(g) present the weight or measure, as the case may be, duly serviced/repaired to the Verifying Authority in whose jurisdiction it is to be put into use or as may be directed by the Controller, for verification and stamping before delivery to the user, even before the due date of next verification.

B. The repairing work shall be done by the Skilled Worker(s) as prescribed by the Rules.

C. Any change in Skilled Worker(s) shall be reported to the Registering Authority immediately but not later than 30 days.

D. Any change in the constitution of the Registered Person(s) other than the individual shall be reported to the Registering Authority immediately but not later than 30 days.

E. Nothing in this Rule shall confer on the Registered Person(s) any assignable or transmissible right.

F. Every condition prescribed after the issue of this Registration Certificate shall be binding on the person(s) to whom the Registration Certificate has been granted.

G. The Controller may cause a coordinated programme to be undertaken, at such place and in such manner, as he may think fit, for the establishment of maximum repairing charges for a weight or measure. The repairer shall abide by such ceiling of maximum repairing charges.

Note: In case of the registered person(s) other than an individual, the terms and conditions mentioned above shall also be binding on all persons having any interest in the business of such registered person(s).

Place ……..
Date ……..

(Signature)
Name & Designation of the Registering Authority
(With Seal)

UNOFFICIAL COPY Simplifying Compliance

SCHEDULE-VIII

[see rule 5 (2)]

REGISTRATION CERTIFICATE FOR DEALER OF WEIGHT OR MEASURE

No……../ Year :……..

1. The Certificate of Registration is hereby granted to…… {(name and address of the registered person(s)} to deal in the following categories of weight or measure:-

Sr. No.	Description of Weight or Measure

2. The Registration Certificate is valid only for the applicant referred above in respect of their business premises located at …….

3. The dealer shall comply with the terms and conditions noted below. In case of failure to do so, this Registration Certificate is liable to be revoked.

TERMS AND CONDITIONS OF REGISTRATION:

A. The registered person(s), in whose favour this Registration Certificate is issued, shall, -

a) comply with all the relevant provisions of the Act and Rules made thereunder as amended from time to time;

b) not encourage or countenance any infringement of the provisions of the Act or the Rules made thereunder as amended from time to time;

c) exhibit this Registration Certificate in some conspicuous part of the premises to which it relates;

d) comply with any general or special directions that may be given by the Controller;

e) stop functioning as dealer and shall not resume business as such until the suspension, if any, of this registration stands vacated;

f) surrender the Registration Certificate in the event of closure of business and/ or revocation of Registration Certificate;

g) present the weight or measure, as the case may be, to the Verifying Authority in whose jurisdiction it is to be put into use or as may be directed by the Controller, before sale;

h) not sell or offer, expose or possess for sale any non-standard weight or measure.

B. Any change in the constitution of the Registered Person(s) other than the individual shall be reported to the Registering Authority immediately but not later than 30 days.

C. Nothing in this Rule shall confer on the Registered Person(s) any assignable or transmissible right.

D. Every condition prescribed after the issue of this Registration Certificate shall be binding on the person(s) to whom the Registration Certificate has been granted.

Note: In case of the registered person(s) other than an individual, the terms and conditions mentioned above shall also be binding on all persons having any interest in the business of such registered person(s).

(Signature)

Place ……..

Name & Designation of the Registering

Date ……..

Authority

(With Seal)

UNCOMPLICATE simplifying Compliance

SCHEDULE-IX

[see rule 5(4)]

Security to be deposited by the registered Repairer.

Description	Amount in (₹)
Security Deposit for Repairer	100000/- for each category/ accuracy class of Weight or Measure for a Centre

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SCHEDULE-X

[see rule 5(5)]

Register of Registered Manufacturers, Repairers and Dealers of Weight or Measure

Number and Date of Registration Certificate	Name & address of the Manufacturer/ Repairer/ Dealer	Location of factory/ manufacturing unit of the Manufacturer	Location of workshop/ repairing unit of the Repairer	Articles to be manufactured/ repaired/ sold	Trademark/ monogram to be used	Number and Date of orders regarding suspension/ revocation of Registration Certificate	i) Date of filing of appeal, if any. ii) Date of decision in appeal iii) Appeal accepted or rejected.	Signature of the Registering Authority	Remarks, if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Note: Column no. 3 & 4 do not pertain to Dealers, column no. 6 does not pertain to Repairers and Dealers.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SCHEDULE-XI

[see rule 5(9)]

NOTICE OF REFUSAL TO GRANT REGISTRATION CERTIFICATE ON SUCCESSION/TRANSFER

No. /RA(LM)…….

Date…….

To

Name of the applicant .....

Address.....

Subject: **Request for transfer of the Registration Certificate.**

Reference- Your application for transfer of Registration Certificate No……Dated……. issued in favour of……

You are hereby informed that your application for the aforementioned request for transfer of the registration in your name or in the name of the person in whose favour the aforesaid request has been made, has been examined in the light of the applicable sections/rules of the Act/Rules, and the same has been declined on the following grounds:

Sr. No. (1)	Ground(s) for refusal/ rejection of the request (2)	Relevant Section(s)/ Rule(s) of the Act/ Rules/ Condition(s) of Registration Certificate (3)

You are therefore, directed to stop the business permissible under the abovementioned Registration Certificate immediately, failing which appropriate action as per law shall be initiated against you.

Signature, Name & Designation
of Registering Authority, with stamp.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SCHEDULE-XII

[see rule 6(1)]

Application Fee for Certificate of Skill

Description	Amount in (₹)
Application Fee for Certificate of Skill	1000/- for each application

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SCHEDULE-XIII

[see rule 6(1)]

APPLICATION FOR ISSUE OF CERTIFICATE OF SKILL

To

The Controller Legal Metrology, Haryana.

Sr. No.	**Particulars of the item**	To be filled by the Applicant	Comments of the Legal Metrology Officer
1	Name and address of the Applicant		
2	a) Aadhar Number b) PAN		
3	Educational Qualification		
4	Technical Qualification, if any.		
5	Experience in the field for which the Certificate of Skill is applied (Proof to be attached).		
6	Categories of weight or measure for which Certificate of Skill is applied. (details of each Category to be given): (a) Weights of all types (b) Capacity Measures, Length Measures etc. {other than items mentioned at Sr. No.(g) & (h) below} (c) Beam Scales, Counter Scale etc. (d) Non-Automatic Weighing Instruments Class-I & II {other than items mentioned at Sr. No.(i) below} (e) Non-Automatic Weighing Instruments Class-III & IIII {other than items mentioned at Sr. No.(i) below} (f) Automatic Weighing Instruments (g) Tank Lorry (h) Storage Tanks (i) Weigh Bridge (j) Volumetric Measuring Instruments Others {As per Schedule-X of these Rules and the Schedules appended to the Legal Metrology (General) Rules, 2011}		
7	Have you previously applied for/ been granted the Certificate of Skill, either in this State or elsewhere? If yes, give details.		

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

8	Details of registration fee deposited (as specified in the Schedule-X): (a) Amount(₹) (b) GRN No. (c) CIN No. (d) Date		

To be certified by the Applicant

Certified that I/ We have read the Legal Metrology Act, 2009, the Haryana Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2026, and any other Rules made under the Act. I/We agree to abide by all the provisions of the Act and the Rules aforementioned, and also the administrative orders and instructions issued or to be issued thereunder.

All the information furnished above is true and correct to the best of my/our knowledge and nothing herein has been concealed. In case the above facts/information is found to be false or incorrect at any stage, I/we will be liable to face any action as per law.

Place: ……
Date: ……

Signature & Name

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SCHEDULE-XIV

[see rule 6(2)]

CERTIFICATE OF SKILL

Certificate No……...
Date of Issue……/……/……

This is to certify that Shri/ Smt./ Ms. ……..Son/Daughter/Spouse of…….. Resident of……..has been found to be technically competent and possessing the requisite skill in repairing of weight or measure under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 and the rules made thereunder.

The holder of this certificate is recognized as a Skilled Worker for the purpose of repairing of the types/ categories of weight or measure subject to compliance with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009, the Rules made thereunder and directions issued from time to time, as the case may be.

Detail of Competency:

Particular	Details
Types/ categories for which certificate is being issued.	Select the relevant categories mentioned below: (a) Weights of all types (b) Capacity Measures, Length Measures etc. {other than items mentioned at Sr. No.(g) & (h) below} (c) Beam Scales, Counter Scale etc. (d) Non-Automatic Weighing Instruments Class-I & II {other than items mentioned at Sr. No.(i) below} (e) Non-Automatic Weighing Instruments Class-III & IIII {other than items mentioned at Sr. No.(i) below} (f) Automatic Weighing Instruments (g) Tank Lorry (h) Storage Tanks (i) Weigh Bridge (j) Volumetric Measuring Instruments (k) Others {As per Schedule -X of these Rules and the Schedules appended to the Legal Metrology (General) Rules, 2011}
Validity of Certificate	

Note: *This certificate shall be valid only for the purpose of carrying out the business as Repairer under the Legal Metrology Act, 2009 and Rules made thereunder.*

This certificate is liable to suspension or revocation in case of violation of any provision of Act and Rules made thereunder, as amended from time to time or any general or special directions that may be issued by the Controller.

Place: ……..
Date: ……..

Signature & Stamp of the Controller

UNICOMPLY GATE Simplifying Compliance

SCHEDULE-XV

[see rule 7]

REGISTER TO BE MAINTAINED BY THE MANUFACTURERS OF WEIGHT OR MEASURE

1. Name and address of the Manufacturer .....
2. Contact number(s) and email ID(s)
3. (i) Registration Certificate Number .....
   (ii) Date of issue of Registration Certificate .....
   (iii) Details of the Weight or Measure being manufactured:

Sr. No.	Description of Weight or Measure

4. Details of manufacturing and transactions (month-wise) of weight or measure (category-wise):

Sr. No.	Name of the Month & Year	Description of weight or measure	Quantity (in Nos.) of the unsold items brought from column no. 13 of previous month	Quantity (in Nos.) of the items manufactured during the month	Total Stock (4+5)	Quantity (in Nos.) of the items sold within the State	
						No. of items sold	Invoice No. and Date
1	2	3	4	5	6	7	8

Quantity (in Nos.) of the items sold outside the State/Country			Total Items sold (7+10)	Balance Stock (6-12)	Remarks, if any
Name of the State/Country	No. of items sold	Invoice No. and Date			
9	10	11	12	13	14

* **Note:** Manufacturer has to maintain the details in the above format for every category of weight or measure separately.

5. Details of orders, if any, of suspension/revocation of the Registration Certificate. .....
6. Details of revocation orders, if any, of the Registration Certificate .....

Signature and Stamp of the Manufacturer

UNOFFICIAL COPY Simplifying Compliance

SCHEDULE-XVI

[see rule 7]

REGISTER TO BE MAINTAINED BY THE REPAIRER OF WEIGHT OR MEASURE

1. Name and address of the Repairer .....
2. Contact number(s) and email IDs: .....
3. (i) Registration Certificate Number .....
   (ii) Date of issue of Registration Certificate .....
   (iii) Categories of Weight or Measure authorized to be repaired:

Sr. No.	Description of Weight or Measure

4. Details of skilled worker(s):

Sr. No.	Name & Father's name of the Skilled Worker	Name of the field of skill	Number & Date of Certificate of Skill

5. Details of Weight or Measure repaired:

Sr. No.	Date	Name of the user from whom weight or measure is received for repair	Description of weight or measure received for repair	Quantities (in Nos.) received	No. and Date of Receipt issued to the user
1	2	3	4	5	6

Amount of repairing charges (₹)	Amount of verification fee (₹)	Amount deposited with Government (₹)	Quantities (in Nos.) returned to the user	Quantities (in Nos.) pending for return	Remarks, if any
7	8	9	10	11	12

6. Details of orders, if any, of suspension/revocation of the Registration Certificate .....
7. Details of revocation orders, if any, of the Registration Certificate .....

Signature and Stamp of the Repairer

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SCHEDULE-XVII

[see rule 7]

REGISTER TO BE MAINTAINED BY THE DEALERS OF WEIGHT OR MEASURE

1. Name and address of the Dealer .....
2. Contact number(s) and email ID(s) .....
3. (i) Registration Certificate Number .....
   (ii) Date of issue of Registration Certificate .....
   (iii) Details of the Weight or Measure being sold:

Sr. No.	Description of Weight or Measure

4. Details of the sale and transactions(month-wise) of weight or measure (category-wise):

Sr. No.	Name of the Month & Year	Description of weight or measure	Unsold stock brought from column no. 14 of previous month	Quantity (in Nos.) of items purchased within the State during the Month, along with the details of the suppliers	Quantity (in Nos.) of items purchased from outside the State during the Month, along with the details of the suppliers	Total Stock (4+5+6)	Quantities Sold within the State	
							No. of items sold	Invoice No. and Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Quantities Sold outside the State/Country			Total Items sold (8+11)	Balance Stock (7-13)	Remarks, if any
Name of the State/ Country	No. of items sold	Invoice No. and Date			
10	11	12	13	14	15

* Note: Dealer has to maintain the details in the above format for every category of weight or measure separately.

5. Details of orders, if any, of suspension/revocation of the Registration Certificate. .....
6. Details of revocation orders, if any, of the Registration Certificate .....

Signature and Stamp of the Dealer

UNCOMPLIGATE Simplifying Compliance

SCHEDULE-XVIII

[see rule 7]

Periodical Return to be submitted by the Manufacturer for every Quarter within 10 days from the last date of 3rd Month of such Quarter.

1. Name of the Manufacturer:
2. Address of the Manufacturer:
3. Contact phone number(s) and email ID(s):
4. Trademark/Monogram:
5. Registration Certificate No.:
6. Month of report: April (for quarter-A)/July (for quarter-B)/October (for quarter-C)/January (for quarter-D)
7. Details of manufacturing and transactions of Weight or Measure (Please give item-wise details for respective categories separately in the following table):

Sr. No.	Quarter (A/B/C/D) & Year	Description of weight or measure	Quantity (in Nos.) of the unsold items brought from column no. 13 of previous quarter	Quantity (in Nos.) of the items manufactured during the quarter	Total Stock (4+5)	Quantity (in Nos.) of the items sold within the State during the quarter	
						No. of items sold	Invoice No. and Date
1	2	3	4	5	6	7	8

Quantity (in Nos.) of the items sold outside the State/ Country during the quarter			Total Items sold during the quarter (7+10)	Balance Stock (6-12)	Remarks, if any
Name of the State/ Country	No. of items sold	Invoice No. and Date			
9	10	11	12	13	14

* Note: Manufacturer has to maintain the details in the above format for every category of weight or measure separately.

Place:……..

Date:……..

Signature and Stamp of the Manufacturer

UNCOMPLYGATE Simplifying Compliance

SCHEDULE-XIX

[see rule 7]

Periodical Return to be submitted by the Repairer for every Quarter within 10 days from the last date of 3rd Month of such Quarter.

1. Name of the Repairer:
2. Address of the Repairer:
3. Contact phone number(s) and email ID(s):
4. Registration Certificate No.:
5. Month of report: April (for quarter-A)/July (for quarter-B)/October (for quarter-C)/January (for quarter-D)
6. Details of Skilled Worker(s)

Sr. No.	Name & Father's name of the Skilled Worker	Name of the field of skill	Number & Date of Certificate of Skill

7. Details of Weight or Measure repaired (category-wise):

Sr. No.	Quarter (A/B/C/D)	Description of Weight or Measure	Quantities (in Nos.) of the last quarter pending for return	Quantities (in Nos.) received for repair during the quarter	Amount of repairing charges (in ₹) collected during the quarter
1	2	3	4	5	6

Amount of verification fee (₹)		Quantities (in Nos.) returned after repair during the quarter	Quantities (in Nos.) pending for return at the end of the Quarter	Remarks, if any
Collected during the quarter	Deposited with the Government during the quarter			
7	8	9	**10 (4+5-9)**	11

*** Note:** Repairer has to maintain the details in the above format for every category of weight or measure separately.

Place:……..
Date:……

Signature and Stamp of the Repairer

UIC COMPLICATE Simplifying Compliance

SCHEDULE-XX

[see rule 7]

Periodical Return to be submitted by the Dealer for every Quarter within 10 days from the last date of 3rd Month of such Quarter.

1. Name of the Dealer:
2. Address of the Dealer:
3. Contact phone number(s) and email ID(s):
4. Registration Certificate No.:
5. Month of report: April (for quarter-A)/July (for quarter-B)/October (for quarter-C)/ January (for quarter-D)
6. Category of Weight or Measure (Please give item-wise details for respective categories separately in the following table):

Sr. No.	Quarter (A/B/C/D) and year	Description and quantity (in Nos.) of unsold items from column no. 13 of previous quarter	Description and quantity (in Nos.) of items purchased during the quarter within the State, along with the details of the suppliers	Description and quantity (in Nos.) of items purchased during the quarter outside the State, along with the details of the suppliers	Total Stock (3+4+5)	Quantities Sold within the State	
						No. of items sold	Invoice No. and Date
1	2	3	4	5	6	7	8

Quantities Sold outside the State/ Country			Total Items sold (7+10)	Balance Stock (6-12)	Remarks, if any
Name of the State/ Country	No. of items sold	Invoice No. and Date			
9	10	11	12	13	14

* **Note:** Dealer has to maintain the details in the above format for every category of weight or measure separately.

Place:……..
Date:……

Signature and Stamp of the Dealer

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SCHEDULE-XXI

[see rule 8(1) and 8(2)]

SHOW CAUSE NOTICE FOR SUSPENSION/REVOCATION OF REGISTRATION

No. /RA(LM)…….

Date……..

To

Name of the Registered Person.....

Address .....

Registration No. .....

Subject: Show cause notice for suspension/ revocation of the Registration Certificate.

Reference- Your Manufacturer/ Repairer/ Dealer Registration Certificate No……. Dated……..…….

As a result of Inspection/ Surprise Visit/ Complaint dated……in respect of your business as Manufacturer/ Repairer/ Dealer being carried on at ……(location), regarding the alleged irregularities/ contraventions/ violations of the Act/Rules/Conditions of Registration, I have reasons to believe that you have prima-facie committed the violations of following Sections/ Rules/ Conditions, as under:-

Sr. No.	Nature of irregularities/violations/ contraventions	Relevant Section(s)/ Rule(s) of the Act/ Rules/Condition(s) of Registration Certificate
(1)	(2)	(3)

However, before proceeding further in the matter, I deem it appropriate to grant you an opportunity of showing cause as to why action as per section/rule……. of the Act/Rules should not be initiated against you. Your reply, in writing, to this notice should reach the undersigned within 15 days from the date of this notice.

Please note that if your reply is not received within the stipulated period, it will be presumed that you agree to the aforementioned contraventions/ violations/ irregularities of the Act/ Rules/ Conditions of Registration committed by you, and ex-parte action for Suspension/ Revocation of your Registration Certificate shall be initiated as per the provisions of the Act/Rules.

Signature, Name & Designation
of Registering Authority, with stamp.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SCHEDULE-XXII

[see rule 12(7) and 13(3)]

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Verification Certificate No……..…

Date:……..

Name and address of the User/Manufacturer/ Repairer/Dealer…….

Name, Designation & Centre of Verifying Authority:

Identification number of Verifying Authority …….

I hereby certify that I have verified and stamped or rejected the under mentioned weight or measure belonging to the abovementioned User/Manufacturer/ Repairer/Dealer:

Sr. No.	Location of the weight or measure	Details of Weight or Measure (Capacity/ Denomination/ Class/ make/ instrument no./ model approval no./ K factor etc.)		Verification Fee (₹)	Transportation and/ or Handling Charges etc. (₹), if any	Total (₹) (5+6)
1	2	3 (Verified and stamped)	4 (Rejected)	5	6	7
Total (In figures)						
Grand Total (column 7) (In words)						

Deposited vide Treasury Receipt/ Cash Receipt No…… Date……..……

Name of Treasury……

Date of next verification…..…….

Signature of
Verifying Authority with stamp

Note:- *1. This Certificate must be displayed in conspicuous place of the business premises.*

2. If any weight or measure is repaired before the next date of verification, the user shall get it verified after repairing and stamped on payment of the prescribed fee, before putting it in to use.

UNCOMPLY CAT Simplifying Compliance

SCHEDULE-XXIII

[see rule 14(1), 14(2) , 14(3) and 14(4)]

Fee payable for Verification & Stamping of Weights or Measures.

Sr. No.	Verification and Stamping Fees		
1	WEIGHTS		
	(a) Bullion Weights	Denomination	(₹) per piece
		1 mg to 1 kg	50
		Above 1 kg to 10 kg	100
	(b) Carat Weights	1mg (0.005c) to 400mg (2c)	50
		Above 400mg (2c) to 100g (500c)	100
	(c) Cylindrical knob type weights	1g to 500 g	20
		1 kg to 2 kg	30
		5kg to10 kg	50
	(d) Sheet metal Weight (other than Bullion)	1 mg to 500 mg	20
	(e) Iron hexagonal, knob type weights and parallelepiped weights:	1 gm to 500 gm	20
		1 kg to 2 kg,	30
		5kg to 10 kg	50
		20 kg to 50 kg	100
	(f) Standard weights for testing of high capacity weighing machines	100kg	200
		200 kg to 500 kg	500
		1000 kg	1500
		2000 kg to 5000 kg	3000
2	MEASURES		
	a) Capacity Measures	Up to 20 litre	50
		50 litre	100
		100 litre and above	200 for the Ist 100 litre and 20 for every additional 100 litre or part thereof subject to maximum of 10,000/-
	(b) Length Measures		
	i) Non Flexible	0.5 m to 1 m (graduated at every cm)	50
		0.5 m to 2 m (Non-graduated)	50
	ii) Fabric/Plastic/Woven/Steel Tapes	Accuracy Class-I,II,III	5 per meter
	iii) Folding Scale	0.5 m to 1m	50
	iv) Surveying Chain	Any length	500

UNCOMPLYATE Simplifying Compliance

3	BEAM SCALE		
	(a) Class A & B	Up to 5 kg	200
		Above 5 kg	400
	(b) Class C & D	Up to 50 kg	100
		Above 50 kg	300
4	NON-AUTOMATIC WEIGHING INSTRUMENTS		
	(a) Mechanical (Analogue) & Electronic Class III & IIII	Up to 200 kg	300
		Above 200 kg to 1 tonne	500
		Above 1 tonne to 20 tonnes	2000
		Above 20 tonnes to 100 tonnes	4000
		Above 100 tonnes	5000
	(b) Mechanical and Electronics Class I & II	Upto 50 kg	400
		Above 50 kg to 200 kg	600
		Above 200 kg to 1 tonne	1000
		Above 1 tonne to 10 tonnes	3000
		Above 10 tonnes	6000
5	AUTOMATIC WEIGHING INSTRUMENT	Up to 50 kg	400
		Above 50 kg to 200 kg	600
		Above 200 kg to 1 tonne	1000
		Above 1 tonne to 10 tonnes	3000
		Above 10 tonnes	6000
6	VOLUMETRIC MEASURING INSTRUMENTS		
	(a) Dispensing Pump with Totalizer	Each Nozzle	4000
	(b) Proving Measure and Other Instruments	Up to 50 litres	500
		Above 50 litres to 100 litres	1000
		Exceeding 100 litres	1000 for the Ist 100 litres and 500 for every additional 100 litres or part thereof subject to a maximum of 10000
7	FLOW METER	Flow rate up to 100 litre/ min.	3000 per unit
		Above 100 litre/ min upto 500 litre /min.	5000 per unit
		Above 500 litre /min.	10000 per unit

UNCOMPLY SAFE Simplifying Compliance

8	LINEAR MEASURING INSTRUMENTS	Auto Rikshaw meters	200 per unit
		Taxi meters	500 per unit
		Other meters	100 for the 1st 1000 meter or part thereof and 10 for every additional 100 m or part thereof subject to a maximum of 5000
9	CLINICAL THERMOMETER	Each Unit	10
10	WATER METER	Each Unit	100
11	PEG MEASURE	Each Unit	100
12	CNG DISPENSER	Each Nozzle	4000
13	LPG DISPENSER	Each Nozzle	4000
14	COUNTER MACHINE/COUNTER SCALE	Each Unit	100
15	TOTALIZING COUNTER	Each Unit	1000
16	SPRING/TABULAR BALANCE	Up to 10 kg	50
		Above 10 kg	200
17	KITCHEN SCALE	Each Unit	100
18	PERSON WEIGHING MACHINE AND BATHROOM SCALE	Each Unit	200
19	BABY OR CHILD WEIGHING SCALE	Each Unit	100
20	AUTOMATIC IN-MOTION RAIL/ROAD WEIGHBRIDGE	For Each Load Receptor	5000
		For Each Totalizing Device	5000
21	AUTOMATIC GRAVIMETRIC FILLING INSTRUMENT	For Each Load Receptor Up to 10 kg	1000
		For each Load Receptor Above 10 kg	2000
22	DISCONTINUOUS TOTALIZING AUTOMATIC WEIGHING INSTRUMENT (TOTALIZING HOPPER WEIGHER)	For Each Load Receptor	3000
23	CONTINUOUS TOTALIZING WEIGHING INSTRUMENTS (BELT WEIGHER)	For Each Load Receptor	3000
24	CHECK WEIGHING AND WEIGHT GRADING MACHINE	Each Unit	3000
25	SPHYGMOMANOMETER (BLOOD PRESSURE MEASURING SYSTEM)	Each Unit	100
26	LOAD CELL	Up to 5kN	2000
		Above 5kN	5000
27	GAS METER	Domestic	500
		Commercial	2000
		Industrial	2000

UNCOMPLY ATE Simplifying Compliance

28	ENERGY METER	Domestic	1000
		Commercial	3000
		Industrial	5000
29	MOISTURE METER(Digital)	Each Unit	1000
	MOISTURE METER(Manual)	Each Unit	1000
30	SPEED METER FOR VEHICLES	Each Unit	10000
31	BREATH ANALYZER	Each Unit	2500
32	MULTI-DIMENSIONAL MEASURING INSTRUMENTS	Each Unit	3000

Note:- This list is only indicative and not exhaustive. The State Government may add any new weight or measure notified by Central Government from time to time. Similarly, the Verification Fee shall be decided by the State Government In case, if any weight or measure which is not part of this Schedule and not decided by the State Government, till that time the fee prescribed by the Central Government will be applicable.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SCHEDULE-XXIV

[see rule 14(2)]

Transportation & Handling Charges payable for Verification & Stamping of Weights or Measures.

Sr. No.	TRANSPORTATION AND HANDLING CHARGES UNDER RULE 13(2)		
	Description	Unit	Amount in (₹)
1	Weigh Bridges	Each Unit	5000 and Fuel on actual basis per visit
2	Petrol/Diesel/CNG/LPG/Other Filling Stations	Each Establishment	2500 and Fuel on actual basis per visit
3	Manufacturer of Weight or Measure	Each Establishment	2500 and Fuel on actual basis per visit
4	Non-Automatic weighing Instruments (Other than Weigh Bridge)	Each Establishment	1000 and Fuel on actual basis per visit
5	Automatic weighing Instruments/ Automatic Gravimetric filling Instruments etc.	Each Establishment	2500 and Fuel on actual basis per visit
6	Flow/Bulk Meter and Storage Tank etc.	Each Establishment	5000 and Fuel on actual basis per visit
7	Automatic Rail/ Road Weigh Bridge	Each Unit	5000 and Fuel on actual basis per visit
8	Volumetric Measuring Instruments	Each Establishment	5000 and Fuel on actual basis per visit
9	Others	Each Establishment	1000 and Fuel on actual basis per visit

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SCHEDULE-XXV

[see rule 15(1)]

FEE RECEIPT

Book No..... Serial No.....

Amount of (₹) ..... (In Words……..)

received from.....,

as Verification Fee/Registration Fee/Compounding Fee/ Other Fee or Charges.

Signature of

Dated..... Legal Metrology Officer with stamp

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

SCHEDULE-XXVI

[see rule 15(2)]

REGISTER OF COLLECTION OF FEE OR CHARGES

Book No. ..... Sr. No. of the page …….....

Name, Designation & Identification number of Legal Metrology Officer:……...

Name of the Centre & District ……..……

Date	Name and address of the User/ Manufacturer/ Repairer/Dealer/ Others	Verification Certificate No. wherever applicable	Details of weight or measure	Type of Fee/Charges collected (Verification fee/ Registration Fee/ Fee for Appeal/ Compounding Fee Security deposit / Transportation charges/ Handling Charges/ Others)	Amount Collected (₹)	Receipt No./ Book No.

Total amount collected (₹).....

Deposited into Treasury with Receipt/ GRN No.(s)..... Date.....…….

A copy of this form along with attested copy of the original Treasury Receipt duly pasted overleaf to be sent to Assistant Controller/ Dy. Controller/ Controller on weekly basis.

Signature of

Dated..... Legal Metrology Officer with stamp

UNOFFICIAL COMPLIANCE Simplifying Compliance

SCHEDULE-XXVII

[see rule 19]

IMPROVEMENT NOTICE

Notice No…….

Date:……...

To

…….

…….

…….

Subject: **Improvement Notice.**

As a result of Inspection/ Surprise Visit/ Complaint dated……in respect of your business activities being carried on at ……(location), regarding the alleged irregularities/ contraventions/ violations of the Legal Metrology Act, 2009 & the Rules made thereunder, I have reasons to believe that you have prima-facie committed the violations of following Sections/ Rules, as under:-

Sr. No. (1)	Nature of irregularities/violations/ contraventions (2)	Relevant Section(s)/ Rule(s) of the Act/ Rules (3)

2. Therefore, you are hereby directed to take necessary corrective measures to rectify the above-mentioned irregularities/violations/ contraventions so as to bring the same strictly in accordance with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 and the relevant Rules made thereunder within seven (7) days from the date of issuance of this notice.

3. You are also directed to stop the business activities related to the irregularities/violations/ contraventions mentioned in column no. 2 of the above table immediately and rectify the same within the period of rectification as mentioned in paragraph no.2 above.

4. In case of non-compliance within the aforementioned stipulated period, the same shall be treated as a second offence and in such an event, you and all the persons, as the case may be, responsible for the conduct of the business, in respect of the above said business establishment, shall be liable for action under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 and the Rules made thereunder, which may include prosecution and/or compounding of offences, penalty etc., as the case may be, without any further notice. Further, action for suspension/revocation of the Registration Certificate and/or verification certificate, as applicable, may also be initiated.

5. This notice shall be treated as duly served upon you and all persons concerned with the above said business establishment for the purpose of compliance.

Signature of Legal Metrology Officer
with stamp

SCHEDULE-XXVIII

[see rule 19]

COMPOUNDING FEE FOR VARIOUS OFFENCES

Sr. No.	Nature of Offence and Section	Corresponding Penal Section of the Act	Compounding Fee (₹)			
			Category	1st Offence	2nd Offence	3rd or Subsequent Offence
1	Use or keeping of Weight, Measure or Numeration other than the Standard Weight, Measure or Numeration {Section 8(3)}	25	Hawkers	Improvement Notice	2500/-	200000/-
			Individual/ HUF	Improvement Notice	5000/-	200000/-
			Proprietor/ Proprietorship Firm/ Partner/ Partnership Firm	Improvement Notice	10000/-	200000/-
			Member/ Society/ Trustee/ Trust	Improvement Notice	25000/-	200000/-
			Director/ Company/ Government Department/ Local Authority	Improvement Notice	100000/-	300000/-
2	Alteration of weight or measure {Section 26}	Section 26	Hawkers	5000/-	10000/-	To be filed in court of law
			Individual/ HUF	10000/-	50000/-	To be filed in court of law
			Proprietor/ Proprietorship Firm/ Partner/ Partnership Firm	25000/-	100000/-	To be filed in court of law
			Member/ Society/ Trustee/ Trust	25000/-	100000/-	To be filed in court of law
			Director/ Company/ Government Department/ Local Authority	50000/-	100000/-	To be filed in court of law
3	Manufacture or Sale of weight or measure not conforming to Standards. {Section 8(4)}	27	Individual/HUF/ Proprietor/ Proprietorship Firm/ Partner/ Partnership Firm/ Member/Society/ Trustee/ Trust	Improvement Notice	50000/-	300000/-
			Director/ Company/ Government Department/Local Authority	Improvement Notice	100000/-	400000/-
4	Transaction, dealing or contract in respect of Goods, Class of Goods or undertakings by weight, measure or number other than prescribed. {Section 10}	28	Hawkers	Improvement Notice	2500/-	100000/-
			Individual/ HUF	Improvement Notice	10000/-	100000/-
			Proprietor/ Proprietorship Firm/ Partner/ Partnership Firm	Improvement Notice	25000/-	100000/-
			Member/ Society/ Trustee/ Trust	Improvement Notice	30000/-	150000/-
			Director/ Company/ Government Department/ Local Authority	Improvement Notice	50000/-	200000/-

UNOFFICIAL Simplifying compliance

5	Quote or make announcement or issue or exhibit of price list or changing of price otherwise than in terms of standard units of weight or measure or numeration. {Section 11}	29	Hawkers	Improvement Notice	2500/-	100000/-
			Individual/ HUF	Improvement Notice	10000/-	100000/-
			Proprietor/ Proprietorship Firm/ Partner/ Partnership Firm	Improvement Notice	25000/-	100000/-
			Member/ Society/ Trustee/ Trust	Improvement Notice	30000/-	150000/-
			Director/ Company/ Government Department/ Local Authority	Improvement Notice	50000/-	200000/-
6	Custom, usage, practice or method of whatever Nature to demand, receive or cause to be demanded or received, any quantity of article, thing or service in excess of or less than, the quantity specified by weight, measure or number in the contract or other agreement in relation to the said article, thing or service. {Section12}	30	Hawkers	1000/-	5000/-	To be filed in court of law
			Individual/ HUF	5000/-	10000/-	To be filed in court of law
			Proprietor/ Proprietorship Firm/ Partner/ Partnership Firm	10000/-	20000/-	To be filed in court of law
			Member/ Society/ Trustee/ Trust	10000/-	20000/-	To be filed in court of law
			Director/ Company/ Government Department/ Local Authority	10000/-	20000/-	To be filed in court of law
7	Non Production of documents and non-Maintenance of records, registers by Manufacturer, Dealer or Repairer and non-production of weight, measure, document and prescribed register on requisition. {Section 15 (1), 15 (2) & 17}	31	Hawkers	Improvement Notice	5000/-	50000/-
			Individual/ HUF	Improvement Notice	10000/-	50000/-
			Proprietor/ Proprietorship Firm/ Partner/ Partnership Firm	Improvement Notice	10000/-	50000/-
			Member/ Society/ Trustee/ Trust	Improvement Notice	15000/-	100000/-
			Director/ Company/ Government Department/ Local Authority	Improvement Notice	25000/-	100000/-
8	Penalty for use of unverified weight or measure {Section 24(1) & 33}	33	Hawkers	2000/-	To be filed in court of law	
			Individual/ HUF	5000/-	To be filed in court of law	
			Proprietor/ Proprietorship Firm/ Partner/ Partnership Firm	10000/-	To be filed in court of law	
			Member/ Society/ Trustee/ Trust	10000/-	To be filed in court of law	
			Director/ Company/ Government Department/ Local Authority	10000/-	To be filed in court of law	
9	Penalty for sale or delivery of commodities etc. by non-standard weight or measure {Section 34}	34	Hawkers	Improvement Notice	1500/-	50000/-
			Individual/ HUF	Improvement Notice	2500/-	50000/-
			Proprietor/ Proprietorship Firm/ Partner/ Partnership Firm	Improvement Notice	10000/-	50000/-
			Member/ Society/ Trustee/ Trust	Improvement Notice	10000/-	75000/-
			Director/ Company/ Government Department/ Local Authority	Improvement Notice	25000/-	100000/-

UNCOMPLY CAT Simplifying compliance

10	Penalty for rendering services by non-standard weight, measure or number {Section 35}	35	Hawkers	Improvement Notice	1500/-	50000/-
			Individual/ HUF	Improvement Notice	2500/-	50000/-
			Proprietor/ Proprietorship Firm/ Partner/ Partnership Firm	Improvement Notice	10000/-	50000/-
			Member/ Society/ Trustee/ Trust	Improvement Notice	10000/-	75000/-
			Director/ Company/ Government Department/ Local Authority	Improvement Notice	25000/-	100000/-
11	Non-Compliance of declaration in respect of pre-packaged commodity by manufacturer/dealer/ retailer. {Section 18(1)}	36(1)	Hawkers	Improvement Notice	5000/-	2500000/-
			Individual/ HUF	Improvement Notice	20000/-	2500000/-
			Proprietor/ Proprietorship Firm/ Partner/ Partnership Firm	Improvement Notice	50000/-	2500000/-
			Member/ Society/ Trustee/ Trust	Improvement Notice	50000/-	2500000/-
			Director/ Company/ Government Department/ Local Authority	Improvement Notice	500000/-	5000000/-
12	Non-compliance of net quantity-requirement of pre-packaged commodity by manufacturer. {Section 18(1)}	36(2)	Hawkers	10000/-	25000/-	50000/-
			Individual/ HU	10000/-	50000/-	200000/-
			Proprietor/ Proprietorship Firm/ Partner/ Partnership Firm	25000/-	100000/-	500000/-
			Member/ Society/ Trustee/ Trust	50000/-	200000/-	1000000/-
			Director/ Company/ Government Department/ Local Authority	100000/-	500000/-	5000000/-
13	Penalty for giving false information or false returns {Section 41}	41(1) & (2)	Individual/ HUF	Improvement Notice	1000/-	200000/-
			Proprietor/ Proprietorship Firm/ Partner/ Partnership Firm	Improvement Notice	2000/-	200000/-
			Member/ Society/ Trustee/ Trust	Improvement Notice	3000/-	300000/-
			Director/ Company/ Government Department/ Local Authority	Improvement Notice	5000/-	500000/-
14	Penalty for manufacture of weight or measure without Registration Certificate. {Section 23 & 45}	45	Individual/HUF/ Proprietor/ Proprietorship Firm/ Partner/ Partnership Firm /Society/ Member/Trust/ Trustee	Improvement Notice	10000/-	200000/-
			Director/ Company/ Government Department/ Local Authority	Improvement Notice	20000/-	500000/-

UNCOMPLYCAT Simplifying Compliance

15	Penalty for repair, sale, etc., of weight or measure without Registration Certificate. {Section 23 & 46}	46	Individual/HUF/ Proprietor/ Proprietorship Firm/ Partner/ Partnership Firm /Society/ Member/Trust/ Trustee	Improvement Notice	5000/-	200000/-
			Director/ Company/ Government Department/ Local Authority	Improvement Notice	5000/-	500000/-
16	Penalty for tampering with Registration Certificate. {Section 47}	47	Individual/HUF/ Proprietor/ Proprietorship Firm/ Partner/ Partnership Firm /Society/ Member/Trust/ Trustee	Improvement Notice	10000/-	200000/-
			Director/ Company/ Government Department/ Local Authority	Improvement Notice	20000/-	500000/-
17	Violation of any provision of any rule made under the Act. {Section 52(3) & 53(3)}	52(3), 53(3)	Hawkers	2000/- with suspension or revocation.		
			Individual/ HUF	5,000/- with suspension or revocation.		
			Proprietor/ Proprietorship Firm/ Partner/ Partnership Firm	10,000/- with suspension or revocation.		
			Member/ Society/ Trustee/ Trust	50,000/- with suspension or revocation.		
			Director/ Company/ Government Department/ Local Authority	1,00,000/- with suspension or revocation.		

UNCOMPLY CAT Simplifying compliance

SCHEDULE-XXIX

[see rule 20]

FORM OF APPEAL

Appeal against an order of a Legal Metrology Officer/ Controller:

1. Name and address of the appellant.....
2. No. and date of order of Legal Metrology Officer/ Controller against which the appeal is preferred (copy of the order to be enclosed).....
3. Whether the appellant desires to be heard in person or through an authorized representative.....
4. Grounds of appeal (supporting documents to be attached) .....
   .....
   .....
   .....
   .....
5. Details of fee for Appeal (Receipt/ Challan No. and Date).....

Date……. Signature of the Appellant

UNCOMPLYCAT Simplifying Compliance

SCHEDULE-XXX

[see rule 20]

Fee for Appeal

Sr. No.	Description	Amount in (₹)
1	Appeal to Controller	2000/- for each appeal
2	Appeal to State Government	5S000/- for each appeal

AMNEET P. KUMAR,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department.

12899—C.S.—H.G.P., Pkl.

UNCOMPLYCATE
Simplifying compliance